अध्याय–1
प्रस्तावना

1 उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास के लिये परिवहन एवं संचार की सुदृढ़ एवं व्यापक व्यवस्था आवश्यक तो है ही साथ ही यह प्रदेश वासियों को सुखी एवं समृद्ध जीवनयापन सुलभ कराने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। राज्य सरकार द्वारा इसके सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के लिये यथासम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। यद्यपि परिवहन एवं संचार व्यवस्था को अधिक उपयोगी बनाने की दृष्टि से देश तथा उत्तर प्रदेश में रेलमार्गों, वायुमार्गों, जलमार्गों एवं राजमार्गों का भी विकास किया जा रहा है, किन्तु प्रदेश की परिवहन एवं संचार व्यवस्था में सड़क–यातायात का विशेष एवं महत्वपूर्ण स्थान है और मोटरगाड़ियां प्रदेश के आर्थिक विकास एवं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का आवश्यक अंग बन गयी हैं। प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में समाहित क्षेत्र तथा उनमें रहने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता एवं संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये सरकार परिवहन–व्यवस्था के विस्तार की ओर सतत् प्रयत्नशील है।

2 प्रदेश में मोटरगाड़ियों की संख्या में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि व इनके नियन्त्रण में प्राविधिक ज्ञान की उपयोगिता को देखते हुए वर्ष 1945 में वाहन के संचालन को नियमित करने के उद्देश्य से मोटरयान अधिनियम, 1939 की धारा–133 ''ए'' के प्राविधानों के अन्तर्गत परिवहन विभाग की स्थापना की गयी। विभाग द्वारा यह भी अनुभव किया गया कि व्यावसायिक वाहनों के आर्थिक एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा आदि के कारण उनके संचालन को नियमित करने हेतु विशेष प्राविधान की आवश्यकता है। इस तथ्य के दृष्टिगत मोटरगाड़ी अधिनियम–1939 के अध्याय–4 के क्रियान्वयन हेतु राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों का गठन किया गया, जो व्यावसायिक वाहनों के संचालन को नियंत्रित करते हैं।

3 वर्ष 1939 से प्रचलित मोटरगाड़ी अधिनियम एवं नियमावलियों के प्राविधानों के अंतर्गत सड़क परिवहन के क्षेत्र में हुये अनुसंधान, विकास एवं आर्थिक तकनीकी प्रगति के सापेक्ष सामंजस्य स्थापित करने में कालान्तर में कठिनाई के अनुभव होने पर दिनांक 01 जुलाई, 1989 से मोटरयान अधिनियम–1939 व उ0प्र0 मोटरगाड़ी नियमावली–1940 के स्थान पर क्रमशः मोटर वाहन अधिनियम–1988 व उ0प्र0 मोटरयान नियमावली–1998 लागू की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता स्थापित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली–1989 लागू की गयी है। उक्त अधिनियम एवं नियमावलियों के लागू हो जाने के फलस्वरूप अनेक वाहनों के पंजीकरण, चालक/परिचालक लाईसेंस एवं व्यावसायिक वाहनों के स्वस्थता–प्रमाणपत्र आदि जारी करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं तद्विषयक शुल्कों की दरों में पूरे देश में एकरूपता स्थापित हो गयी है।

4 प्रदेश में आवागमन एवं यातायात–व्यवस्था में होने वाली प्रगति का अनुमान प्रदेश में मोटरगाड़ी उद्योग में वर्षानुवर्ष प्रत्येक क्षेत्र में हो रहे व्यापक विकास एवं नये पंजीकृत मोटर वाहनों एवं मार्गों पर चलने वाले वाहनों की वर्ष–प्रतिवर्ष बढ़ रही संख्या से लगाया जा सकता है। वर्ष 1991–92 में जहां मार्ग पर चालित सभी प्रकार की मोटर गाड़ियों की संख्या (वर्तमान उत्तराखण्ड राज्य के वाहनों को सम्मिलित करके) 21,51,457 थी और अब (वर्तमान उत्तराखण्ड को छोड़कर) यह संख्या बढ़कर माह नवम्बर, 2020 तक 3,57,04,465 हो गयी है। इस प्रकार विगत 29 वर्षों में इनकी संख्या में लगभग 17 गुने की वृद्धि हुई है। प्रदेश में वर्षवार नयी पंजीकृत एवं मार्गों पर चालित मोटरगाड़ियों की संख्या का विवरण क्रमशः तालिका–1 एवं तालिका–2 में प्रदर्शित की गयी है।

5 यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि परिवहन आयुक्त संगठन प्रदेश के राजस्व प्राप्ति में बहूमूल्य योगदान देता है। वर्ष 2019–20 में राजस्व प्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य रू0 7863.42 करोड़ के सापेक्ष रू0 7173.20 करोड़ का राजस्व वसूल कर राजकोष में जमा कराया गया, जो वार्षिक लक्ष्य का 91.22 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु शासन द्वारा रू 8650.00 करोड का राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसके सापेक्ष माह नवम्बर–2020 तक रू0 3257.47 करोड़ राजस्व वसूल कर राजकोष में जमा कराया जा चुका है, जो वार्षिक लक्ष्य का 37.66 प्रतिशत है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से ही कोविड–19 महामारी का प्रभाव होने तथा प्रदेश में लॉकडाउन घोषित किये जाने के फलस्वरूप परिवहन कार्यालयों एवं सभी प्रकार

के वाहनों का संचालन लगभग दो से ढाई माहों तक नही हो सका। राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकार के माल एवं यात्री वाहनों के देय कर में लगभग रू 224.00 करोड़ माफ किया गया है। महामारी के प्रभाव से वाहनों का पंजीयन गत वर्षो की तुलना में काफी कमी आयी है। आय–व्ययक वर्ष 2021–22 हेतु रू 9350.00 करोड़ राजस्व अर्जन का लक्ष्य निर्धारित है।

6 प्रशासन की दृष्टि से विभाग को 6 जोन, 19 सम्भागों एवं 75 उपसंभागों में बांटा गया है। जोन स्तर पर उप परिवहन आयुक्त एवं सम्भागों के स्तर पर सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण रखा जाता है। उप संभागों पर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी का संगठन प्रशासन हेतु उत्तरदायी है। परिक्षेत्रीय/संभागीय/उपसंभागीय परिवहन कार्यालय का विवरण तालिका 'अ' में दर्शाया गया हैः–

तालिका 'अ'

शासन/ मुख्यालय	अधीनस्थ परिक्षेत्र	अधीनस्थ संभाग	अधीनस्थ उप संभाग/जनपद
प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन → परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश →	मेरठ →	1. मेरठ →	मेरठ, बागपत
		2. गाजियाबाद →	गाजियाबाद, बुलन्दशहर, गौतमबुद्धनगर, हापुड़
		3. सहारनपुर →	सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली
	आगरा →	4. आगरा →	आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, मथुरा
		5. अलीगढ़ →	अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज
		6. झांसी →	झांसी, ललितपुर, जालौन (उरई)
	बरेली →	7. बरेली →	बरेली, शाहजहॉपुर, पीलीभीत, बदायूॅ
		8. मुरादाबाद →	मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, सम्भल
	कानपुर →	9. कानपुर →	कानपुर–नगर, कानपुर–देहात, इटावा, फर्रूखाबाद, औरैया, कन्नौज
		10. प्रयागराज →	प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी
		11. चित्रकूटधाम →	बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा
	लखनऊ →	12. लखनऊ →	लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर–खीरी, उन्नाव, हरदोई
		13. अयोध्या →	अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अम्बेडकरनगर, अमेठी
		14. बस्ती →	बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर
		15. देवीपाटन →	गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती
	वाराणसी →	16. वाराणसी →	वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चन्दौली
		17. गोरखपुर →	गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज, कुशीनगर
		18. आजमगढ़ →	आजमगढ़, मऊ, बलिया
		19. मीरजापुर →	मीरजापुर, सोनभद्र, संतरविदासनगर (भदोही)

तालिका–1

उत्तर प्रदेश में वर्षवार पंजीकृत की गई मोटरगाड़ियों की संख्या का विवरणः–

वर्ष	मोटर साइकिल	मोटर कार	बस	मिनी बस	ट्रक	तीन पहिया माल वाहन	ट्रैक्टर	टैम्पो / आटो रिक्शा	अन्य	**योग**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1980-81	41401	3810	1242	-	5591	-	14146	-	5112	71302
1982-83	57393	4019	1587	-	5222	-	12216	-	4311	84748
1983-84	71136	3625	1862	250	2776	529	13364	1714	3209	98468
1984-85	85004	4256	2194	117	3634	433	13835	2792	4095	116360
1985-86	92711	6111	1187	116	4396	370	15222	2601	4257	126970
1986-87	140014	8081	1747	157	4117	455	18644	2474	4657	180366
1987-88	160370	12123	1640	238	5324	532	19435	3295	2024	204981
1988-89	149013	9768	1611	208	5648	571	25586	5023	1858	199286
1989-90	179676	10358	1574	264	6994	974	27176	6692	6141	239849
1990-91	187436	11104	1209	633	8056	1314	35933	7337	2922	255944
1991-92	173703	10009	1198	367	6411	1472	36289	6847	2722	239018
1992-93	128816	6973	1521	1104	3706	709	27506	3974	4102	178411
1993-94	152398	11687	1213	889	3713	911	28175	4179	3848	206813
1994-95	167258	12200	1493	1092	5953	1156	30467	4811	3468	227898
1995-96	168676	13978	1400	763	7310	2093	28450	5083	6686	234439
1996-97	230933	27309	1146	588	10581	3659	34718	10796	11162	330892
1997-98	254225	28985	1813	730	9593	3112	39311	10145	8439	356353
1998-99	325793	33197	1244	814	9282	3837	52650	10698	12882	450397
1999-00	329633	42766	1575	1031	8312	3921	51286	10934	10897	460355
2000-01	406216	39840	1450	1439	7202	4817	84141	11933	7625	564663
2001-02	364839	64241	730	745	3619	2325	38750	6927	16550	498726
2002-03	552378	43827	1452	1005	7051	3531	40715	9546	9912	669417
2003-04	585013	47189	1182	910	13259	3766	39421	11302	8773	710815
2004-05	665589	52311	1223	942	16827	4260	42714	9691	9130	802687
2005-06	769183	60090	1570	1209	17825	5216	52705	12627	14364	934789
2006-07	773478	71213	1565	1206	22895	4909	45173	20235	16189	956863
2007-08	748731	81158	1402	1080	24590	5282	41338	14078	21894	939553
2008-09	831946	92423	1910	1471	23529	5789	46219	21404	24928	1049619
2009-10	1120748	116706	2628	2024	36353	6620	80123	34034	42809	1442045
2010-11	1269550	127116	3097	2385	43474	7112	83287	34480	42814	1613315
2011-12	1368524	134580	2753	2120	50178	7766	73513	38374	50068	1727876
2012-13	1455867	140549	3594	2768	61370	5712	77972	38254	68556	1854642
2013-14	1713375	141646	3709	2858	53105	6099	87315	32062	58829	2098999
2014-15	1914202	160233	4347	2161	52865	5539	90712	31555	58535	2320149
2015-16	1921003	173618	5110	2541	55659	4813	71112	35755	57882	2327493
2016-17	1974792	152288	7268	3615	58544	6022	71829	42090	64487	2380935
2017-18	2475196	220169	5442	2680	77858	6509	78007	50253	85291	3001405
2018-19	2664481	222551	6968	3465	96193	11558	99916	73165	113401	3291698
2019-20	2836408	253317	8280	4078	85293	11817	112588	64982	153054	3529817
2020-21 नवम्बर, 2020 तक	1006942	129574	775	386	20598	4516	70174	7313	18229	1258507

तालिका–2

उत्तर प्रदेश में वर्षवार मार्गों पर चालित मोटरगाड़ियों की संख्या का विवरणः–

वर्ष	कार	मोटर साइकिल	बस	टैक्सियां	ट्रक / माल वाहन	ट्रैक्टर	कर से मुक्त गाड़ियां	अन्य	**योग**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1980-81	46911	256775	8350	7483	33047	94305	13432	14150	474453
1982-83	51960	336096	9932	10222	39843	120671	14892	16619	600235
1983-84	53434	393658	16425	12768	41145	125268	30740	9736	683174
1984-85	61207	488468	18385	15042	42769	138653	33483	11882	809889
1985-86	62184	547530	17602	18168	46668	165019	20503	26044	903718
1986-87	71091	695722	19183	22541	50302	175500	20509	31939	1086787
1987-88	80787	833537	20459	22978	54310	193671	25951	25543	1256236
1988-89	94629	989037	22860	27075	59867	221176	28468	27396	1470508
1989-90	100065	1182344	23824	33791	65541	242743	29123	36378	1713809
1990-91	111383	1351877	23304	37345	74930	271672	37574	33602	1941687
1991-92	131583	1518840	23816	49416	75995	289100	27734	34973	2151457
1992-93	133134	1642127	25170	50440	81319	359132	26772	36790	2354884
1993-94	139423	1802523	25559	53245	81544	393012	29651	62382	2587339
1994-95	147939	1941356	27295	56091	82401	419096	30189	67964	2772331
1995-96	131848	2057408	28740	62861	78770	447546	32205	66845	2906223
1996-97	160123	2264232	27367	64284	91216	450088	30067	100965	3188342
1997-98	176689	2731484	28489	76909	96745	522333	33722	108721	3775092
1998-99	208106	2904555	27972	91604	97268	553954	33928	109991	4027378
1999-00	250572	3236415	30472	96700	105268	605240	37843	129601	4492111
2000-01	370570	3583551	25389	94784	121203	663384	48778	41403	4949062
2001-02	321747	3834680	25397	95082	116268	677366	48771	51631	5170942
2002-03	326604	4488426	25357	104214	125010	709797	50689	98298	5928395
2003-04	386202	4893070	26162	107516	151711	717675	29201	111934	6423471
2004-05	499148	5652044	25081	107847	165123	742717	31557	120969	7344486
2005-06	615739	6083655	26549	119789	184428	791411	31616	135947	7989134
2006-07	641939	7138789	25134	123458	193465	797990	39038	125886	9085699
2007-08	703071	7737237	25339	126753	215825	847329	42220	128287	9826061
2008-09	775569	8521198	26331	139203	240433	893683	45164	137231	10778812
2009-10	873251	9493677	28124	162335	268617	953959	51600	156786	11988349
2010-11	984937	10563850	31922	193715	307058	978627	56240	170883	13287232
2011-12	1108100	12410064	34428	235028	338977	1064284	51600	202793	15445274
2012-13	1205374	13724495	40501	284587	400061	1088058	75550	229558	17048184
2013-14	1423020	15395363	45473	312423	467786	1147190	7998	315305	19114558
2014-15	1572217	17398458	51866	350855	511631	1197985	132124	420394	21635530
2015-16	1746117	19258791	57939	380024	562503	1276927	156408	497657	23936366
2016-17	2027972	21127282	75309	429245	624936	1338243	153584	488675	26265246
2017-18	2195783	23911791	77752	524345	682790	1339980	158970	503405	29394816
2018-19	2439845	26597000	86531	606247	777402	1447604	181123	576302	32712054
2019-20	2794390	27959149	109765	753124	880630	1522750	212730	692286	34924824
2020-21 नवम्बर, 2020 तक	3321977	28868495	108326	622156	838028	1585295	113207	246981	35704465

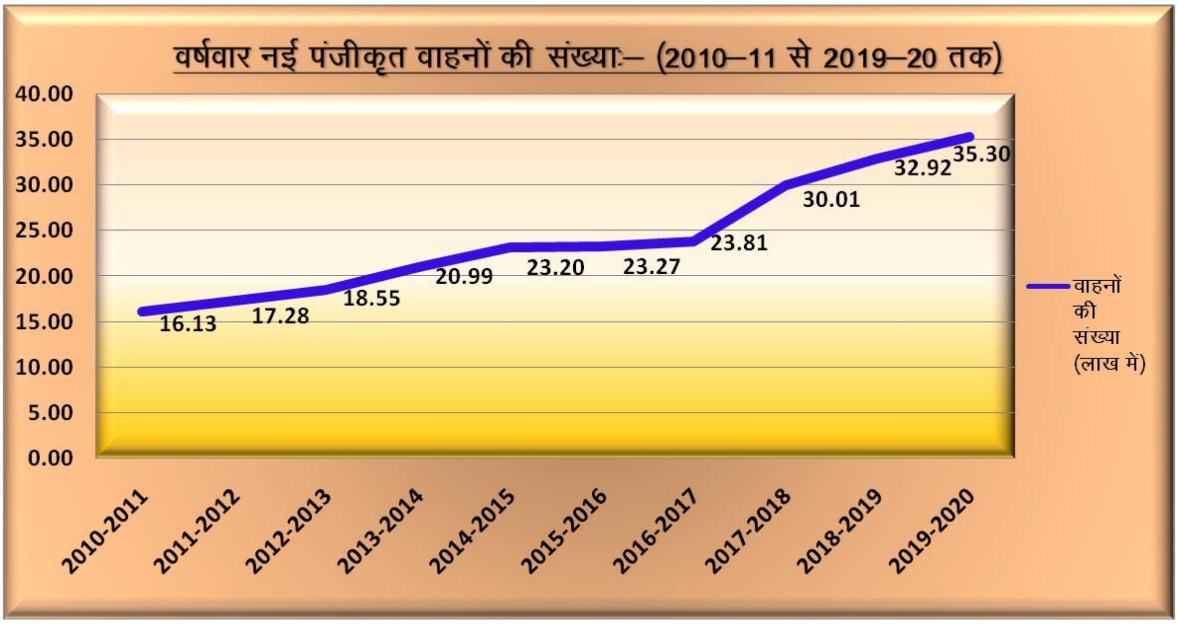

वर्षवार नई पंजीकृत वाहनों की संख्याः– (2010–11 से 2019–20 तक)
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
16.13
17.28
18.55
20.99
23.20
23.27
23.81
30.01
32.92
35.30
वाहनों की संख्या (लाख में)
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

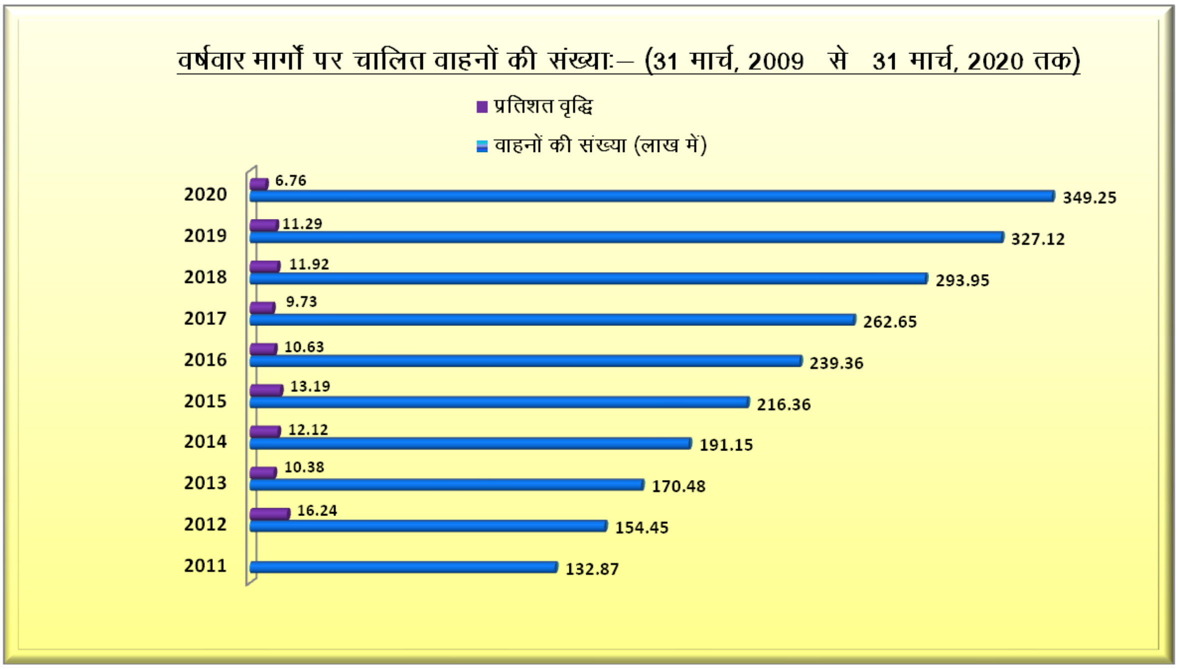

वर्षवार मार्गों पर चालित वाहनों की संख्याः– (31 मार्च, 2009 से 31 मार्च, 2020 तक)
प्रतिशत वृद्धि
वाहनों की संख्या (लाख में)
2020
6.76
349.25
2019
11.29
327.12
2018
11.92
293.95
2017
9.73
262.65
2016
10.63
239.36
2015
13.19
216.36
2014
12.12
191.15
2013
10.38
170.48
2012
16.24
154.45
2011
132.87

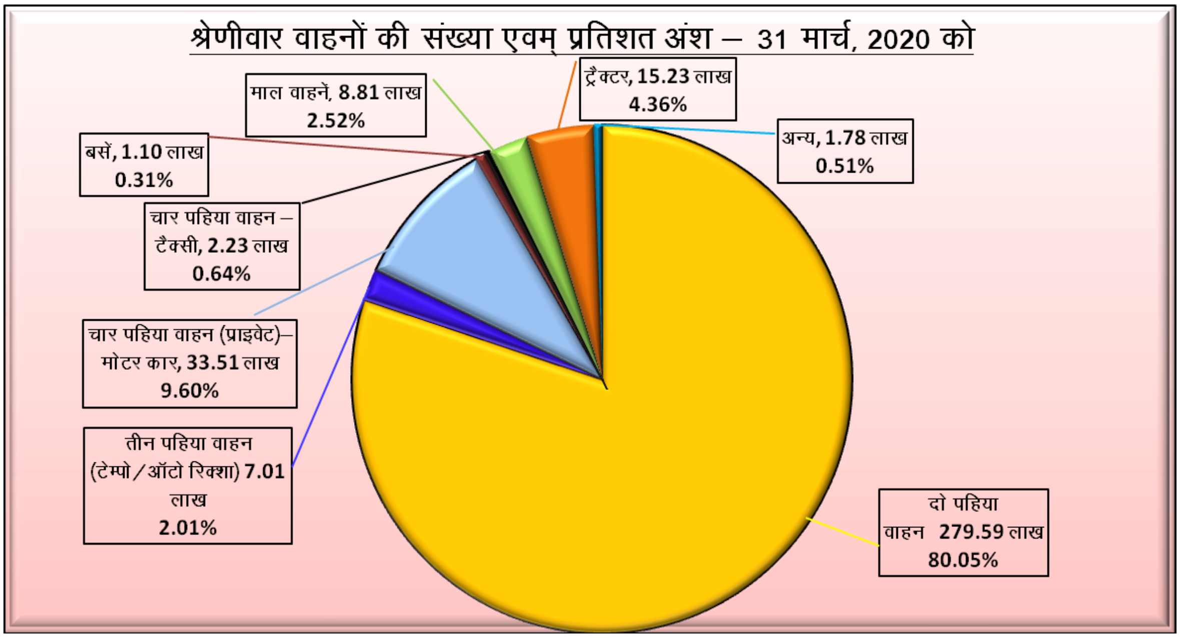
श्रेणीवार वाहनों की संख्या एवम् प्रतिशत अंश – 31 मार्च, 2020 को
माल वाहनें, 8.81 लाख
2.52%
ट्रैक्टर, 15.23 लाख
4.36%
बसें, 1.10 लाख
0.31%
अन्य, 1.78 लाख
0.51%
चार पहिया वाहन – टैक्सी, 2.23 लाख
0.64%
चार पहिया वाहन (प्राइवेट)– मोटर कार, 33.51 लाख
9.60%
तीन पहिया वाहन (टेम्पो/ऑटो रिक्शा) 7.01 लाख
2.01%
दो पहिया वाहन 279.59 लाख
80.05%

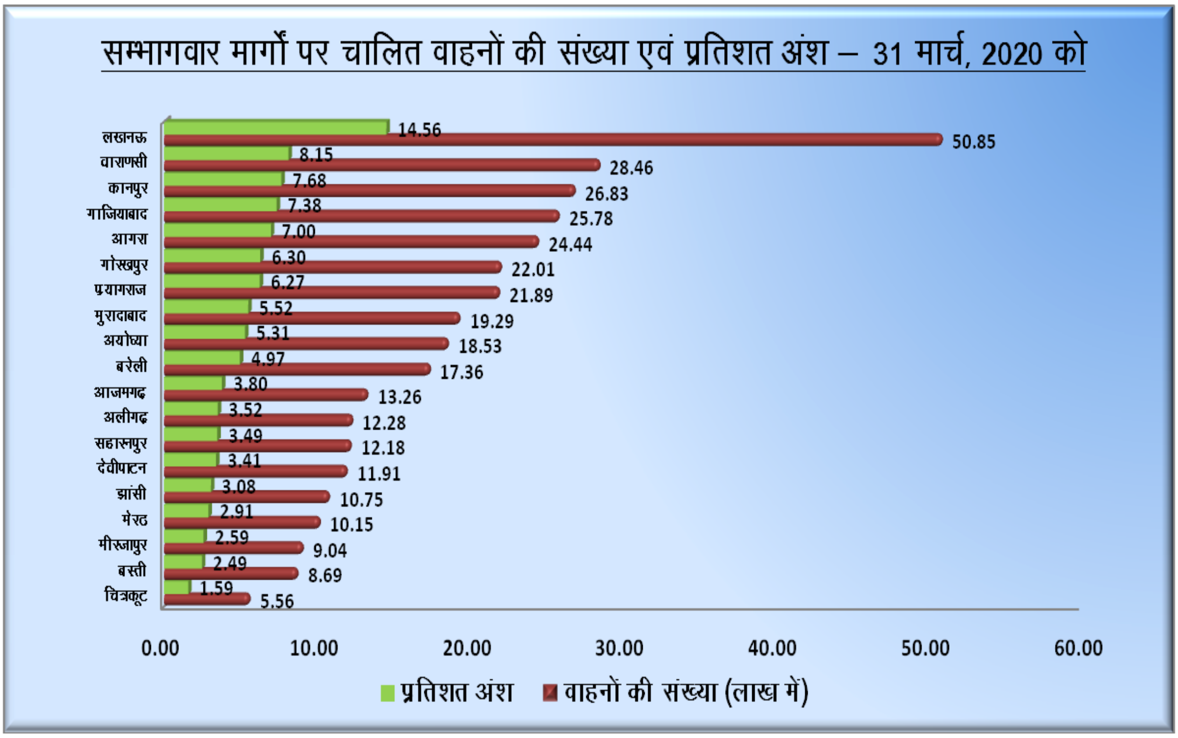
सम्भागवार मार्गों पर चालित वाहनों की संख्या एवं प्रतिशत अंश – 31 मार्च, 2020 को
लखनऊ 14.56 50.85
वाराणसी 8.15 28.46
कानपुर 7.68 26.83
गाजियाबाद 7.38 25.78
आगरा 7.00 24.44
गोरखपुर 6.30 22.01
प्रयागराज 6.27 21.89
मुरादाबाद 5.52 19.29
अयोध्या 5.31 18.53
बरेली 4.97 17.36
आजमगढ़ 3.80 13.26
अलीगढ़ 3.52 12.28
सहारनपुर 3.49 12.18
देवीपाटन 3.41 11.91
झांसी 3.08 10.75
मेरठ 2.91 10.15
मीरजापुर 2.59 9.04
बस्ती 2.49 8.69
चित्रकूट 1.59 5.56
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
प्रतिशत अंश
वाहनों की संख्या (लाख में)

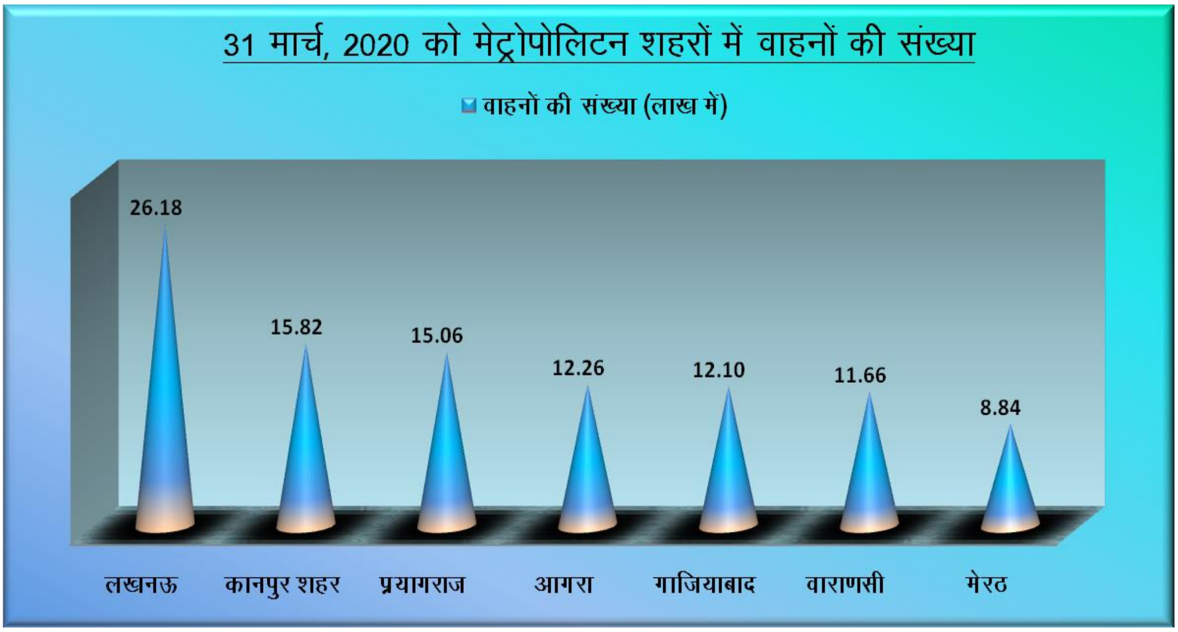
31 मार्च, 2020 को मेट्रोपोलिटन शहरों में वाहनों की संख्या
वाहनों की संख्या (लाख में)
26.18
15.82
15.06
12.26
12.10
11.66
8.84
लखनऊ
कानपुर शहर
प्रयागराज
आगरा
गाजियाबाद
वाराणसी
मेरठ

अध्याय–2
चालक एवं परिचालक लाइसेन्स का निर्गमन

1 चालकों एव परिचालकों को लाइसेंस देने का कार्य मोटर वाहन अधिनियम–1988 की धारा क्रमशः–8, 9 एवं 30 के अन्तर्गत लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा किया जाता है। चालकों/परिचालकों को लाइसेंस जारी करने हेतु उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1998 के नियम–3 के तहत संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में अधिकृत है। संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अधिकृत होने पर सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) द्वारा भी लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में कार्य किया जा सकता है। वर्तमान में लाइसेंस सम्बन्धी समस्त सेवाएं केवल ऑन–लाइन माध्यम से parivahan.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रदेश में स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस केन्द्रीयकृत डिस्पैच व्यवस्था के तहत प्रदेश मुख्यालय से कार्यदायी संस्था के माध्यम से प्रिंट व डिस्पैच किये जा रहे है।

2 चालक लाइसेंस प्राप्त करने से पूर्व प्रार्थी को लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करना होता है, जो आगामी 06 माहों हेतु वैध होता है। लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 30 दिन के उपरान्त तथा वैधता की समाप्ति से पूर्व मोटर गाडी चलाने का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने पर चालक द्वारा स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस हेतु आवेदन किया जा सकता है। शिक्षार्थी लाइसेंस हेतु वेबसाइट पर आवेदन करते हुए समस्त आवश्यक दस्तावेज यथा–पते का प्रमाणपत्र, आयु का प्रमाण पत्र तथा परिवहन यान की दशा में मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–8(3) के तहत चिकित्सा प्रमाण पत्र, फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने के उपरान्त ऑन–लाइन फीस का भुगतान कर तिथि व स्थान का स्लाट बुक करना होता है। तदोपरान्त फार्म, समस्त अपलोडेड दस्तावेज, फीस की रसीद व स्लाट बुकिंग स्लिप का प्रिंट प्राप्त कर निर्धारित तिथि पर सम्बन्धित परिवहन कार्यालय में प्रपत्रों की स्कूटनी व बायोमैट्रिक के उपरान्त कम्प्यूटराइज्ड परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ता है। परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के उपरान्त आवेदक द्वारा ऑन–लाइन शिक्षार्थी लाइसेंस का प्रिंट प्राप्त किया जाता है। मोटर साइकिल तथा हल्का मोटरयान का लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य है। बिना गियर वाली मोटर साइकिल हेतु लाइसेंस 16 से 18 वर्ष के बीच की आयु वाले व्यक्ति को उनके अभिभावक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर लिखित सहमति पर प्रदान किया जाता है। परिवहन यान हेतु आवेदक की न्यूनतम आयु 20 वर्ष होना अनिवार्य है। परिवहन यान को चलाने का लाइसेंस 05 वर्ष तक प्रभावी होता है जबकि खतरनाक या जोखिम प्रकृति के माल का परिवहन करने वाले लाइसेंस की वैधता 03 वर्ष की होती है। गैर परिवहन यान के लाइसेंस की वैधता निम्नवत होती है :–

I. लाइसेंस जारी करने या नवीनीकरण की तारीख को 30 वर्ष की आयु से कम आयु के आवेदनों का लाइसेंस 40 वर्ष की आयु तक वैद्य होगा।

II. लाइसेंस जारी करने या नवीनीकरण की तारीख को 30 वर्ष से 50 वर्ष की आयु वाले लाइसेन्स धारक को लाइसेंस जारी करने या नवीनीकरण की तिथि से आगामी 10 वर्षो की अवधि तक वैद्य होगा।

III. लाइसेंस जारी करने या नवीनीकरण की तारीख को 50 वर्ष से 55 वर्ष के बीच की आयु वाले लाइसेन्स धारक को लाइसेन्स जारी करने या नवीनीकरण की तिथि से 60 वर्ष की आयु तक वैद्य होगा।

IV. लाइसेंस जारी करने या नवीनीकरण की तारीख को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के उपरान्त लाइसेंस जारी करने या नवीनीकरण की तिथि से आगामी 05 वर्षो तक वैद्य होगा।

3 परिचालकों को लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया का विवरण मोटर वाहन अधिनियम–1988 के अध्याय–3 एवं उ0प्र0 मोटरयान नियमावली–1998 के अध्याय–3 में दिया गया है। प्रत्येक मंजिली गाड़ी में परिचालक का होना अनिवार्य है। परिचालक लाइसेंस हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाईस्कूल या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। परिचालक लाइसेंस की वैधता व नवीनीकरण 03 वर्ष हेतु की जाती है, जो सम्पूर्ण राज्य में प्रभावी होता है।

4 वर्तमान में चालकों/परिचालकों के लाइसेन्स के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के सुविधार्थ प्रत्येक कार्यालय में वृहत् सूचनापट लगाये गये हैं, साथ ही रोड ट्रैफिक सिग्नल की जानकारी हेतु भी प्रत्येक कार्यालय में ट्रैफिक निशानों को चित्रित किया गया है।

5 ड्राइविंग लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु चालकों को प्रशिक्षित करने वाले ड्राइविंग स्कूलों को सुव्यवस्थित ढंग से प्रशिक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध में परिपत्र संख्या–2478 टीआर/94–200 टीआर/84ए, दिनांक 19.11.1994 में परिवहन आयुक्त द्वारा प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिससे चालकों को सही प्रशिक्षण मिल सके एवं योग्य चालक को ही लाइसेन्स जारी किया जाय। मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने के इच्छुक व्यक्तियों की सुविधा–हेतु अपेक्षित औपचारिकताओं एवं तत्सम्बन्धी चेकलिस्ट उक्त परिपत्र के साथ उपलब्ध है, जिसका उपयोग संबंधित व्यक्ति कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में संचालित मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों से सम्बन्धित जनपदवार सूची निम्नवत् हैः– (दिनॉक 30.11.2020 तक)

जोन का नाम	क्र.सं.	जनपद	संख्या
1– लखनऊ	1	लखनऊ	48
	2	रायबरेली	11
	3	हरदोई	09
	4	उन्नाव	05
	5	लखीमपुर	06
	6	सीतापुर	10
	7	अयोध्या	10
	8	बाराबंकी	04
	9	अम्बेडकरनगर	11
	10	सुल्तानपुर	17
	11	अमेठी	10
	12	देवीपाटन (गोण्डा)	04
	13	बहराइच	02
	14	बस्ती	07
	15	संतकबीरनगर	04
	16	सिद्धार्थनगर	01
	17	बलरामपुर	01
	18	श्रावस्ती	01
		योगः	**161**
2– वाराणसी	1	वाराणसी	26
	2	गाजीपुर	09
	3	भदोही	08
	4	आजगमढ़	20
	5	मऊ	10
	6	बलिया	09
	7	गोरखपुर	14

	8	चन्दौली	08
	9	जौनपुर	11
	10	मीरजापुर	15
	11	कुशीनगर	08
	12	महराजगंज	09
	13	देवरिया	11
	14	सोनभद्र	12
		योगः	**170**
3– बरेली	1	बरेली	20
	2	बदायूँ	04
	3	पीलीभीत	06
	4	शाहजहाँपुर	03
	5	मुरादाबाद	16
	6	बिजनौर	07
	7	रामपुर	05
	8	सम्भल	02
	9	अमरोहा	04
		योगः	**67**
4– आगरा	1	आगरा	22
	2	मथुरा	14
	3	महामायानगर (हाथरस)	06
	4	फिरोजाबाद	04
	5	अलीगढ़	08
	6	एटा	08
	7	झांसी	13
	8	मैनपुरी	05
	9	कासगंज	06
	10	उरई	02
	11	ललितपुर	02
		योगः	**90**
5– मेरठ	1	मेरठ	16
	2	बागपत	01
	3	गाजियाबाद	12
	4	गौतमबुद्धनगर	17
	5	बुलन्दशहर	09
	6	सहारनपुर	09

	7	मुजफ्फरनगर	07
	8	हापुड़	05
	9	शामली	04
		योगः	**80**
6– कानपुर	1	कानपुर नगर	39
	2	फर्रूखाबाद	06
	3	इटावा	04
	4	औरैया	05
	5	प्रयागराज	17
	6	फतेहपुर	06
	7	कौशाम्बी	03
	8	प्रतापगढ़	17
	9	कानपुर–देहात	05
	10	कन्नौज	05
	11	महोबा	02
	12	चित्रकूट	02
	13	बॉदा	06
	14	हमीरपुर	03
		योगः	**120**
		कुल योग	**688**

संक्षेप में जोनवार संख्याः–

लखनऊ	**161**
वाराणसी	**170**
बरेली	**67**
आगरा	**90**
मेरठ	**80**
कानपुर	**120**
कुल योग	**688**

6 लाईसेंसिंग प्रणाली को मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त करने हेतु **आटोमेटिक ड्राइविग टेस्टिंग ट्रैक** का निर्माण कानपुर नगर एवं बरेली में पूर्ण होकर कानपुर में संचालित किया जा रहा है तथा बरेली में संचालन हेतु संस्था के चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसमें मोटर साइकिल एवं हल्के मोटरयानों हेतु ड्राइविंग टेस्टिंग की सुविधा पूर्णतः कम्प्यूटराइज्ड उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त दो अन्य जनपदों–आजमगढ़ व प्रतापगढ़ में ऐसे ही आटोमेटिक ड्राइविग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।

7 सुरक्षित परिवहन व्यवस्था हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रत्येक मण्डल में एक–एक **ड्राइवर ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट** स्थापित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। ड्राइविंग ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट (डी0टी0आई0) की स्थापना/संचालन कन्फडेरेशन आफ इण्डियन इन्डस्ट्रीज (सी0आई0आई0), कौशल विकास विभाग व परिवहन विभाग के मध्य हुये त्रिपक्षीय मेमोरेन्डम आफ अन्डरस्टैडिंग (एम0ओ0यू0) के अनुसार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी भूमि पर सड़क सुरक्षा कोष से की जा रही है। चालकों के प्रषिक्षण हेतु ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सभी मण्डलों में स्थापित किये जाने हैं। वर्तमान में 15 मण्डलीय मुख्यालयों के अंतर्गत यथा–प्रयागराज, अयोध्या, बस्ती, मुरादाबाद, मिर्जापुर, आगरा (मथुरा), मेरठ, अलीगढ़, बरेली, वाराणसी, गोरखपुर, झांसी, आजमगढ़, देवीपाटन (गोण्डा) सहारनपुर (मुजफ्फरनगर) स्थानों पर औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान परिसर में इस केन्द्र के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है तथा शासन के पत्र दिनांक 04.12.2020 द्वारा चित्रकूटधाम मण्डल के जनपद बॉदा में ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के निर्माण हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

अध्याय–3

वाहन–पंजीयन एवं स्वस्थता–प्रमाण का निर्गमन

1 मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–39 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रत्येक मोटरगाडी को प्रयोग में लाने से पूर्व पंजीकृत कराना आवष्यक है। ट्रान्सपोर्ट गाड़ियो का पंजीयन उस समय तक वैध नही माना जाता जब तक कि गाड़ी को विधिवत् स्वस्थता–प्रमाणपत्र धारा–56 के अन्तर्गत फार्म–38 में प्राप्त नहीं हो जाता है। प्रदेष के समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रषासन) तथा संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) मोटर गाड़ियों के पंजीयन के लिए पंजीयन अधिकारी हैं।

2 संभाग/उपसंभाग में गाड़ियों का निरीक्षण– गाड़ियों के निरीक्षण के लिए संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) नियुक्त हैं। नई ट्रान्सपोर्ट गाड़ियों को पंजीयन तिथि से 08 वर्ष की आयु सीमा तक 02 वर्ष की अवधि का स्वस्थता–प्रमाणपत्र दिया जाता है तथा उसके पश्चात् वाहन के स्वस्थता–प्रमाणपत्र का नवीनीकरण एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है।

3 वाहनों को स्वस्थता–प्रमाणपत्र जारी करने से पूर्व उनकी प्रदूषण मानकों के अन्तर्गत जॉच करके उन्हें प्रदूषणमुक्त होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। वर्तमान में वाहनों की स्वस्थता की जॉच मशीनों के माध्यम से करके स्वस्थता प्रमाण–पत्र निर्गत करने की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है। इस कार्य हेतु निजी क्षेत्र में भी "प्राधिकृत प्रशिक्षण केन्द्रो" को स्थापित किये जाने हेतु परिवहन विभाग द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

4 सरकारी गाड़ियों का क्रय, रख–रखाव, मरम्मत, निष्प्रयोज्य घोषित करने व नीलामी संबंधी कार्य जो मुख्यालय में उप परिवहन आयुक्त (प्राविधिक) की देख–रेख में किया जाता था, का विकेन्द्रीकरण किया जा चुका है और अब परिवहन आयुक्त कार्यालय में विषेष मामले ही सन्दर्भित करने की आवष्यकता रह गयी है।

5 (ए) मोटर वाहनों में पंजीयन–चिन्हों का प्रदर्षन– मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा–41(6) के अन्तर्गत केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–50 के अनुसार पंजीकृत मोटर वाहनों पर पंजीयन–चिन्ह का प्रदर्षन वाहन के आगे व पीछे दोनों ही ओर करना अनिवार्य है। केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–51 के अन्तर्गत विभिन्न मोटर वाहनों के पंजीयन–चिन्हों के आकार निर्धारित किये गये है। परिवहन गाड़ियों पर प्रदर्षित चिन्ह उनके अगले एवं पिछले भाग पर ऊर्ध्वतल से 30 अंष से अधिक झुकाव वाला नहीं होना चाहिए। मोटरसाइकिल और इनवैलिड कैरिज के सामने की ओर वाहन के ऊर्ध्वतल पर हैण्डिल बार के समानान्तर और पीछे की ओर सादी प्लेट पर पंजीयन–चिन्ह का प्रदर्षन किया जाना चाहिए। सामान्यतः यह पंजीयन–चिन्ह राज्य एवं पंजीयन–अधिकारी कोड प्रथम पंक्ति में तथा दूसरा भाग उसके ठीक नीचे वाली पंक्ति में प्रदर्षित किए जाने चाहिए। मोटरकारों आदि में वाहन के मध्य में आगे व पीछे सादी प्लेट पर मध्य में पंजीयन–चिन्ह प्रदर्षित किए जाने चाहिए।

(बी) परिवहन वाहन में पहचान–चिन्ह वाहन में बाडी के दाहिनी तथा बाई ओर पेन्ट करके प्रदर्षित किया जाएगा।

(सी) परिवहन वाहन में यदि वाहन, यात्री वाहन स्टेज या कान्ट्रैक्ट कैरिज है, तो ड्राइवर और पैजेन्जर के बीच स्थापित पार्टीषन में पंजीयन–चिन्ह यात्रियों की ओर प्रदर्षित होना चाहिए। यदि पार्टीषन उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी दषा में ड्राइवर–सीट के बाई ओर बाडी के अन्दर रूफ पर अन्दर ऊपर की ओर प्रदर्षित होना चाहिए। यदि वाहन मोटरकैब, मैक्सीकैब है, तो ऐसी दषा में पंजीयन–चिन्ह डैष बोर्ड पर प्रदर्षित होना पर्याप्त है।

(डी) ऐसी परिवहन गाड़ी जिसमें एक या अधिक ट्रेलर हों तो अन्तिम ट्रेलर पर प्लेन प्लेट सर्फेस पर पंजीयन–चिन्ह प्रदर्षित किया जाएगा। मोटरसाइकिल में आगे की ओर प्रदर्षित पंजीयन–चिन्ह वाहन के ऊपर जिसमें मेडगार्ड भी शामिल है, पर प्रदर्षित किया जाना चाहिए, न कि पृथक पट्टिका पर।

6 केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–50 में वाहन के पंजीयन चिन्ह् प्रदर्शित करने के सम्बन्ध में प्राविधान किया गया है। नियम–50 के अनुसार समस्त मोटरयानों के अगले एवं

पिछले दोनों भागों पर पंजीयन चिन्ह निम्न रूप से विनिर्दिष्टियों की हाईसिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पर स्पष्ट और पठनीय रूप में प्रदर्शित किया जायेगाः–

(i) प्लेट डी०आई०एन० 1745 / डी०आई०एन० 1783 या आई०एस०ओ० 7591 के अनुरूप 1.0 एम०एम० एल्युमिनियम की बनी ठोस युनिट की होगी। प्लेट के किनारे एवं कोने गोल होंगे। प्लेटों के किनारे उभरे हुए होने चाहिए। प्लेट हाट–स्टेम्पिंग के योग्य होगी एवं रेफ्लेक्टिव शीट की कम से कम पाँच वर्ष तक के लिए नष्ट न होने की गारण्टी होगी।

(ii) प्लेट में बाएं केन्द्र पर नीले रंग में "IND" अक्षर अंकित होगा तथा इसकी होट–स्टैम्पिंग भी होगी ताकि यह प्लेट का अभिन्न अंग हो।

(iii) प्रत्येक प्लेट की हाट–स्टेम्पिंग एवं क्रोमियम आधारित होलोग्राम प्रयोग करके कूट रचना से सुरक्षित किया जायेगा। प्लेट पर कम से कम 10 अंकों की लेजर ब्राण्डेड स्थाई पहचान संख्या बायीं ओर अंकित होगी, जिसमें अंक का आकार कम से कम 5 मि०मी० होगा।

(iv) अगले और पिछले भाग पर पंजीयन चिन्हों के अलावा स्वविध्वंसक प्रकार का तीसरा पंजीयन चिन्ह् क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टीकर यान के विण्डशील्ड के बायीं ओर शीर्ष भाग पर चिपकाया जायेगा, जिस पर पंजीयन संख्या, पंजीयन प्राधिकारी का नाम, लेजर ब्राण्डेड स्थाई पहचान संख्या (2.5 मि०मी०), वाहन के पंजीयन की तिथि आदि स्टीकर पर मुद्रित होंगें।

(v) डीजल वाहनों के लिए स्टीकर की पृष्ठभूमि नांरगी, पेट्रोल एवं सीएनजी वाहनों के लिए हल्का नीला एवं अन्य सभी वाहनों के लिए स्लेटी रंग की होगी।

(vi) प्लेट को स्नैप लॉक फिटिंग सिस्टम से फिक्स किया जायेगा।

(vii) प्रत्येक वाहन पर पंजीयन चिन्ह् के अक्षर अंग्रेजी के होंगे और अंक अरेबिक न्यूम्रल्स में होंगे। यह पंजीयन चिन्ह् परिवहन यानों पर पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग से तथा अन्य दशाओं में सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग से अंकित किया जायेगा। बैटरी चालित वाहनों (परिवहन यान की दशा में) पंजीयन चिन्ह् हरी पृष्ठभूमि पर पीले रंग से तथा अन्य दशाओं में हरी पृष्ठभूमि पर सफेद रंग से अंकित किया जायेगा।

(viii) प्रत्येक वाहन पर पंजीयन चिन्ह दो लाइनों में लिखा जायेगा, पहली लाइन में राज्य कोड संख्या, पंजीयन अधिकारी का कोड नं० लिखा जायेगा और बाकी विषय वस्तु उसके नीचे दूसरी लाइन में लिखी जायेगी।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत सा0का0नि01162(अ), दिनॉक 04.12.2018 द्वारा नियम–50 के उपनियम (1) में संशोधन करते हुए प्राविधानित किया गया है कि दिनॉक 01 अप्रैल, 2019 के पश्चात् निर्मित नये वाहनों में तीसरे रजिस्ट्रीकरण चिन्ह् सहित अति सुरक्षा रजिस्ट्रेशन प्लेट वाहन निर्माता द्वारा अपने डीलरों के माध्यम से फिक्स की जायेगी। इसके साथ ही अधिसूचना संख्या–का0आ06052(अ), दिनॉक 06.12.2018 द्वारा नये एवं मौजूदा वाहनों में तीसरे रजिस्ट्रीकरण चिन्ह् सहित अति सुरक्षा रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाये जाने हेतु आदेश निर्गत किये गये हैं।

उक्त आदेशों के क्रम में प्रदेश में नये वाहनों पर तीसरे रजिस्ट्रीकरण चिन्ह् सहित अति सुरक्षा रजिस्ट्रेशन प्लेट लगायी जा रही है एवं मौजूदा वाहनों पर तीसरे रजिस्ट्रीकरण चिन्ह् सहित अति सुरक्षा रजिस्ट्रेशन प्लेट वाहन निर्माता द्वारा अपने डीलरों के माध्यम से लगाये जाने हेतु भी पत्र संख्या–45हा०सि० / कं०से० / 2019–48ए(8) / 2017, दिनांक 01.01.2020 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश भी निर्गत किये जा चुके हैं।

शासनादेश संख्या 3638 / तीस–3–2020–125एम / 2017, दिनांक 20.10.2020 द्वारा दिनांक 01.04.2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क्स सहित हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाये जाने हेतु समय–सीमा निर्धारित की गयी है, जिसके क्रम में इस कार्यालय के परिपत्र संख्या 246(शा0)हा0सि0 / सा0प्र0 / 2020–48ए(8) / 2017, दिनांक 22.10.2020 द्वारा मोटर वाहनों में थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क्स सहित हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की बुकिंग हेतु सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स (एस0ए0आई0एम0) द्वारा वेबसाइट विकसित की जा रही है।

पंजीयन–चिन्ह् का आकार

विभिन्न प्रकार के वाहनों पर प्रदर्शित किये जाने वाले पंजीयन चिन्ह के अंकों के आकार की माप (मिली मीटर में) निम्न तालिका में प्रदर्शित है:–

क्र0सं0	वाहन की श्रेणी		माप निम्न से कम नहीं होगी		
			ऊॅचाई	मोटाई	बीच का स्थान
1	2		3	4	5
1.	सभी मोटर साइकिल और माल ढोने में असमर्थ तिपहिया वाहन	पिछले–अक्षर	35	7	5
2.	सभी मोटर साइकिल और माल ढोने में असमर्थ तिपहिया वाहन	पिछले–अंक	40	7	5
3.	70सी0सी0 से कम क्षमता वाले इंजनयुक्त मोटर साइकिल	अगले अक्षर और अंक	15	25	25
4.	अन्य मोटर साइकिल	अगले अक्षर और अंक	30	5	5
5.	500सी0सी0 से अनधिक क्षमता वाले इंजन युक्त तिपहिया वाहन (और ई–रिक्षा या ई–गाड़ी)	पिछले और अगले अंक और अक्षर	35	7	5
6.	500 सी0सी0 से अधिक क्षमता वाले इंजन युक्त तिपहिया वाहन	पिछले और अगले अंक और अक्षर	40	7	5
7.	अन्य दूसरे मोटर वाहन	पिछले और अगले अक्षर एवं अंक	65	10	10
8.	पावर टिलर	अगले अक्षर और अंक	15	2.5	2.5
9.	पावर टिलर से जुड़े ट्रेलर	पिछले अक्षर और अंक	30	5	5
10.	संयुक्त हारवेस्टर	अग्र और पश्च अक्षर और अंक	65	10	10
11.	संयुक्त हारवेस्टर के शीर्ष समुच्य के लिए ट्रेलर	पश्च अक्षर और अंक	65	10	10

7 नम्बर पोर्टबिलिटी की सुविधा–दिल्ली, हरियाणा एवं पंजाब राज्य की भांति उत्तर प्रदेष में भी उत्तर प्रदेष मोटरयान नियमावली–1998 में सत्ताइसवां संषोधन द्वारा नियम–51 में संषोधन करते हुए वाहनों के नम्बर पोर्टबिलिटी की सुविधा प्रदान कर दी गयी है, जिसकी अन्तिम अधिसूचना संख्या–17/2019/1300/तीस–4/2019–08(03)/2015, दिनांक 15.09.2019 प्रख्यापित की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नागरिकों को नम्बर पोर्टबिल्टी की सुविधा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गयी है। इस सुविधा के अन्तर्गत वाहन स्वामी अपने पुराने वाहन का पंजीयन चिन्ह अपने नये वाहन पर पोर्ट करा सकेगा। इस कार्य हेतु ऑन–लाइन सुविधा विकसित कर दी गयी है।

8 वी0आई0पी0 नम्बरों की बुकिंग हेतु ई–आक्षन व्यवस्था– पूर्व से व्याप्त व्यवस्था में संषोधन करते हुये कतिपय पंजीयन चिन्हों को अति आकर्षक, अतिमहत्वपूर्ण, आकर्षक एवं महत्वपूर्ण नम्बरों के रूप में विभक्त किया गया है। यह पंजीयन चिन्ह निर्धारित धनराषि जमा करने पर आवेदक द्वारा आरक्षित कराया जाता है। इस व्यवस्था को पारदर्षी बनाने हेतु ई–आक्षन की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी। ई–नीलामी प्रक्रिया के लागू होने के पश्चात् वी0आई0पी0 नम्बरों की बुकिंग की प्रक्रिया में पारदर्षिता आयेगी तथा परिवहन विभाग के राजस्व प्राप्ति में भी वृद्धि होगी।

9 प्राधिकृत प्रशिक्षण केन्द्र–मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा 56(2) तथा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली–1989 के नियम–63–72 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा मशीनों से वाहनों की जॉच हेतु निजी क्षेत्र में ''प्राधिकृत प्रशिक्षण केन्द्र'' स्थापित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–1395/तीस–4–2019, दिनांक 19.11.2019 एवं शासनादेश संख्या–1737/तीस–4–2019, दिनांक 19.12.2019 के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या–1144सा०प्र०/2019–16टी आर/2019, दिनांक 31.12.2019 द्वारा समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों को विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र के आवेदन एवं प्रक्रिया सम्बन्धी विस्तृत दिशा–निर्देश परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश के वेबसाइट http://uptransport.upsdc.gov.in पर उपलब्ध है। इसके अन्तर्गत विभाग द्वारा ''प्राधिकृत प्रशिक्षण केन्द्रों'' को स्थापित किये जाने हेतु आवेदन–पत्र आमंत्रित किये गये हैं। आवेदन पत्रों की समुचित जॉच सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा गठित समिति से की जायेगी तथा उपयुक्त पाये जाने पर निर्णय हेतु शासन को प्रेषित किया जायेगा, तदनुसार शासन की अनुमति के उपरान्त "प्राधिकृत प्रशिक्षण केन्द्र" का प्राधिकार–पत्र सम्बन्धित संभाग के संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा। उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र हेतु प्रथम ''प्राधिकृत प्रशिक्षण केन्द्र'' को गाजियाबाद में शासन के पत्र दिनांक 16.12.2020 द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है।

10 डीलर प्वाइन्ट रजिस्ट्रेशन–अभी तक यह सुविधा मात्र निजी यानों के लिये ही थी, जिससे वाहन क्रेता को पंजीकरण के लिये परिवहन कार्यालय नही जाना पड़ता था। माह सितम्बर 2020 से यह सुविधा 16 श्रेणियों के परिवहन यानों में भी शुरू कर दी गयी है। पंजीकरण कार्य को और अधिक सुरक्षित, पारदर्शी तथा त्वरित बनाने हेतु डीलर्स द्वारा अपलोड किये जा रहे वाहन क्रय सम्बन्धी प्रपत्रों व अभिलेखों पर डिजिटल हस्ताक्षर की व्यवस्था माह अक्टूबर 2020 से लागू करते हुये माह नवम्बर 2020 से डीलर्स द्वारा वाहन विक्रय सम्बन्धी भौतिक पत्रावली परिवहन कार्यालय भेजे जाने की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है। अब यह भौतिक पत्रावली डीलर्स द्वारा सुरक्षित रखी जायेगी।

अध्याय–4

परिवहन आयुक्त संगठन की प्राविधिक शाखा शासकीय वाहनों से संबंधित प्राविधिक कार्यो का नियंत्रण–केन्द्र है। शासकीय वाहन की मरम्मत–हेतु गैराजों (मोटरवाहनों की मरम्मत करने वाले वर्कशाप) को मान्यता व मरम्मत–हेतु श्रम–दरें इसी शाखा द्वारा निर्धारित की जाती हैं। टायरों की रिट्रेडिंग के लिए वर्कशापों हेतु सी श्रेणी की मान्यता दी जाती है। इस संबन्ध में आवश्यक शासनादेश निम्न प्रकार हैं:–

1 उ0प्र0 के शासकीय विभागों को **वाहनों के क्रय का अधिकार** शासनादेश संख्या–3552/टी/30–4–1केपीक/78, दिनांक 12 नवम्बर 1986 द्वारा विकेन्द्रीकरण की नीति के अनुसार विभागाध्यक्षों को प्रदान किये गये हैं, परन्तु शासन के राज्य सम्पत्ति विभाग के वाहनों के रख–रखाव एवं उनको निष्प्रयोज्य घोषित करने का कार्य प्राविधिक अधिकारियों की देख–रेख में प्राविधिक शाख द्वारा ही किया जाता है।

2 शासकीय **वाहनों की मरम्मत** के संबन्ध में शासनादेश संख्या–3982/टी/30–95–1–30 जेबी/70, दिनांक 30 नवम्बर, 1995 द्वारा मरम्मत की नीति व प्रक्रिया निर्धारित की गयी है तथा इसी के अनुसार शासकीय वाहनों के मरम्मत–कार्य सम्पन्न होते है। शासनादेशानुसार वर्ष एवं किलोमीटर के आधार पर रू0 25,000/– तक की मरम्मत का अधिकार विभागाध्यक्षों को प्रदान किये गये हैं।

3 शासकीय **वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित करने** के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–3817 टी/30–4–24 के.एम./86, दिनांक 31–10–86 द्वारा मापदण्ड व नीति निर्धारण करते हुए निष्प्रयोज्य के अधिकार विभागाध्यक्षों को प्रदान किये गये हैं, परन्तु नई निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत विशेष परिस्थितियों में समय से पूर्व (प्रिमैच्योर) निष्प्रयोज्य की कार्यवाही परिवहन विभाग द्वारा गठित समिति की संस्तुति के आधार पर परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा सम्पन्न की जाती है।

4 (क) **निष्प्रयोज्य घोषित वाहनों की नीलामी** सम्बन्धी शासनादेश संख्या–3087 टी/30–438 /90, दिनांक 27.08.92 में आंशिक संशोधन करते हुये शासनादेश संख्या–1914/30–4–2002 –38/90, दिनांक 05.08.2002 जारी किया गया, जिसमें सरकारी विभागों की निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी हेतु जनपद लखनऊ स्थित प्रदेश मुख्यालय के विभागाध्यक्ष एवं शासन स्तर पर प्रयुक्त होने वाले वाहनों की नीलामी हेतु शासन स्तर पर समिति गठित करते हुये परिवहन आयुक्त या उनके प्रतिनिधि को अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष के कार्यालय में परिवहन व्यवस्था के राजपत्रित अधिकारी को सदस्य तथा परिवहन आयुक्त कार्यालय के तकनीकी अधिकारी सदस्य होंगे। जिला स्तर एवं मण्डल स्तर पर प्रयुक्त वाहनों की नीलामी हेतु जिला स्तरीय समिति तथा सम्बन्धित विभागीय अधिकारी (सदस्य) सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (सदस्य) होंगे। मण्डल स्तरीय समिति में मण्डलायुक्त (अध्यक्ष) एवं सम्बन्धित विभागीय अधिकारी (सदस्य) तथा सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारी (सदस्य) होंगें। निष्प्रयोज्य घोषित वाहनों के मूल्य का मूल्यांकन करने हेतु वाहन का मॉडल एवं वाहन द्वारा तय की गयी दूरी के आधार पर शासन द्वारा मानक तय कर दिये गये हैं, जिससे निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी के समय उनके न्यूनतम मूल्य निश्चित करने का आधार तय होने के कारण इस बिन्दु पर अस्पष्टता समाप्त हो गयी है।

(ख) शासनादेश संख्या–2747/30–4–94–24के.एम./76, दिनांक 04.10.1997 के अनुसार मण्डलायुक्त/विभागाध्यक्ष द्वारा वाहन को निष्प्रयोज्य घोषित करते समय यह प्रमाणित करने की व्यवस्था है कि (1) वाहन की मरम्मत में व्यय की धनराशि (ईंधन को छोड़कर) वाहन के वर्तमान क्रय मूल्य के 65 प्रतिशत से अधिक नहीं है। (2) वाहन को निष्प्रयोज्य घोषित करना आर्थिक दृष्टि से मितव्ययी है। (3) वाहन की नीलामी में न्यूनतम मूल्य उसके वर्तमान क्रय–मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर होगा, किन्तु यदि वाहन द्वारा निर्धारित न्यूनतम जीवनकाल अथवा तय की गयी दूरी की न्यूनतम सीमा पूरी न हुई हो, तो इनमें से एक अथवा दोनों मापदण्डों के लिए उनके पूरे न होने की सीमा में रह गई कमी के अनुपात में नीलामी के न्यूनतम मूल्य के निर्धारण में समय वृद्धि करके निर्धारित की जायेगी।

5 **गैराजों को मान्यता** दिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः 4828टी/30–4–7के एम/ 85 दिनांक 15.01.86 में विस्तृत संशोधन करने के उपरान्त शासन द्वारा शासनादेश संख्या 742–टी/30–4–2000–7 केएम 85, दिनांक 11.08.2000 जारी किया गया है। नवीन

शासनादेशानुसार मान्यता प्राप्त गैराजों की कुल संख्या 178 हैं, जिसमें ए श्रेणी के 31, बी श्रेणी के 78 तथा सी श्रेणी के 69 गैराज हैं।

6 शासनादेश संख्या–3997टी/30–4–168/91, दिनांक 06.04.1994 एवं संख्या–2575/30–4–94–168/91, दिनांक 03.09.1994 के अनुसार मान्यता प्राप्त गैराजों, पेट्रोल–पम्प, पेट्रोलियम उत्पादनकर्ताओं तथा अन्य स्वैच्छिक/प्राधिकृत संस्थाओं को **प्रदूषण–जॉच–केन्द्र की मान्यता** प्राधिकृत स्टेशन/सचल केन्द्र के रूप में प्रदान की जाती है।

7 **नए वाहनों को पंजीयन हेतु अनुमोदन** वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिनांक 30.11.2020 तक की अवधि में कुल 580 नयी वाहनों का पंजीयन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

8 **"सीएनजी लीकेज जॉच केन्द्र" की मान्यता** केन्द्रीय मोटरयान नियमावली–1989 के नियम 114 (बी) (आइटम एफ ऑफ रूल 115 बी) के बिन्दु–एफ के संलग्नक व ए0आई0एस0–024 तथा ए0आई0एस0–028 में दिये गये प्राविधानों में की गयी व्यवस्था के अनुक्रम में प्रदेश में सीएनजी चलित वाहनों (शिक्षा संस्थान, बस, लोक सेवायान) के गैस लीकेज की चेकिंग हेतु 03 वर्ष तक की अवधि के लिये "सीएनजी लीकेज जॉच केन्द्र" की मान्यता प्रदान की जाती है। वर्तमान में ऐसे सीएनजी लीकेज जॉच केन्द्रो की संख्या–33 है।

9 **इलेक्ट्रिक वाहनों की मैनुफैक्चरिंग एवं संचालन को प्रोत्साहन** उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के मैन्युफैक्चरिंग एवं संचालन को प्रोत्साहन प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में विनिर्मित प्रथम 01 लाख दोपहिया वाहनों पर शत–प्रतिशत एवं अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों के कर एवं अतिरिक्त कर में 75 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में अधिसूचनाएँ दिनांक 23.06.2020 को निर्गत की जा चुकी हैं। इस निर्णय से प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को प्रोत्साहन मिलेगा तथा पर्यावरण भी संरक्षित होगा।

अध्याय–5

मोटर दुर्घटनाओं में आर्थिक सहायता

1 उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा–8 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली–1998 के नियम–30 एवं 31 में किये गये प्रावधान के अनुसार किसी ''सार्वजनिक यान'' (इसके अन्तर्गत ऐसा कोई मोटरयान अभिप्रेत है, जिसका उपयोग भाड़े या पारिश्रमिक पर यात्रियों का वहन करने के लिए किया जाता है या जिसे उपयोग के अनुकूल बना लिया गया है तथा इसके अन्तर्गत बड़ी टैक्सी, मोटर टैक्सी, ठेकागाड़ी और मंजिली गाड़ी भी सम्मिलित है) से दुर्घटना होने की दशा में पीड़ित यात्री या अन्य व्यक्ति के उत्तराधिकारी को राहत देने हेतु जिस जिला मजिस्ट्रेट की अधिकारिता में दुर्घटना हुई हो, उस जिले के जिलाधिकारी राहत के लिए व्यक्तियों की हकदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यथासाध्य किसी ऐसे अधिकारी से जॉच करायेगा, जो सबडिवीजनल मजिस्ट्रेट से निम्न श्रेणी का न हो एवं राहत की धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट संस्तुति परिवहन आयुक्त को उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

2 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या–1560/30–4–2009–167–91टीसी, दिनांक 31–08–09 जो दिनांक 28–10–09 से प्रभावी है, के द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली–1998 में किये गये संशोधन एवं प्रख्यापित की गयी उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (छठवां संशोधन) नियमावली, 2009 के नियम–30 की अनुसूची के अनुसार यात्री अथवा अन्य व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने या अंग क्षति होने की दशा में अलग–अलग दर से सहायता राशि देय होती है। उदाहरणार्थ–

क– यात्री की मृत्यु की दशा में	रू0 40,000/–
ख– यात्री की दशा में ऐसी पूर्ण स्थायी निःशक्तता जो नियोजन उपजीविका या अन्य किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने में रोक उत्पन्न करें।	रू0 40,000/–
ग– अन्य व्यक्ति की मृत्यु की दशा में	रू0 10,000/–
घ– अन्य व्यक्ति की दशा में ऐसी पूर्ण स्थायी निःशक्तता जो नियोजन उपजीविका या अन्य किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने में रोक उत्पन्न करें।	रू0 10,000/–

3 सम्बन्धित जिलाधिकारी जिसकी अधिकारिता में घटना घटित हुई हो, दुर्घटना की जॉच कराकर चेक लिस्ट के अनुसार बिन्दुवार जॉचाख्या जिसमें मृतकाश्रितों के स्पष्ट नाम/पते व घायलों की हुई अंगक्षति के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाणपत्र के आधार पर देय आर्थिक सहायता हेतु संस्तुति सहित परिवहन आयुक्त को प्रेषित करते है।

4 नियम–31 के उपनियम (1) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट से संस्तुति प्राप्त होने पर परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि से धनराशि सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के निस्तारण पर आबंटित करते हैं, जो ऐसा होने पर इसे स्वीकृत, आहरित और ऐसे राहत के हकदार व्यक्तियों के मध्य वितरित कराते हैं।

5. उपरोक्त व्यय परिवहन विभाग की अनुदान संख्या–43 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम –200–अन्य कार्यक्रम–04–बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की बस में दुर्घटना हो जाने की दशा में आर्थिक सहायता–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) के मद में प्रावधानित धनराशि से सहायता राशि आवंटित की जाती है।

6. वर्तमान (2020–21) एवं गत दो वित्तीय वर्षो (2018–19 एवं 2019–20) में बस दुर्घटनाओं (सार्वजनिक सेवा यान) में दी गयी आर्थिक सहायता का विवरण–

वित्तीय वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष 2020–21

	2018—19	2019—20	(30.11.2020 तक)
आलोच्य अवधि में सूचित दुर्घटना प्रकरण	249	390	113
जिलाधिकारियों द्वारा पूर्ण जांच आख्या प्राप्त होने पर निस्तारित प्रकरणों की संख्या	110	103	52
कुल आवंटित बजट	रू 24.00 लाख	रू 37.50 लाख	कुल प्रावधान रू 24.00 लाख। प्रथम छः माह हेतु रू 12.00 लाख अवमुक्त
परिवहन आयुक्त स्तर से आवंटित सहायता धनराशि	रू 20.35 लाख	रू 37.50 लाख	रू 11.95 लाख
जिलाधिकारियों द्वारा वितरित सहायता धनराशि	रू 19.15 लाख	रू 33.07 लाख	रू 7.50 लाख
मृत व्यक्तियों जिनके आश्रित लाभान्वित हुए की संख्या	143 मृतक (यात्री 23, अन्य 120)	176 मृतक (यात्री 67, अन्य 109)	78 मृतक (यात्री 15, अन्य 63)
अंगक्षति से घायलों की संख्या	—	02	01

अनुसूची

(नियम—30 देखें)

निःशक्तों को और मृत यात्रियों के आश्रितों को और अन्य मृतकों या निःशक्त या व्यक्तियों के आश्रितों को देय राहत की धनराशि

क्रम संख्या	दुर्घटना/क्षति का विवरण	देय राहत की धनराशि यात्री की दशा में	अन्य व्यक्ति की दशा में
1.	यात्री की मृत्यु	40,000	10,000
2.	अन्य व्यक्ति की मृत्यु	—	10,000
3.	निःशक्त यात्री और अन्य निःशक्त हुये व्यक्ति को देय राहत धनराशि—		
	(i) ऐसी पूर्ण स्थायी निःशक्तता जो नियोजन उपजीविका या अन्य किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने में रोक उत्पन्न करें।	40,000	10,000
	(ii) दो अंगों की हानि	40,000	10,000
	(iii) दोनों नेत्रों की दृष्टि की पूर्ण हानि	40,000	10,000
	(iv) टखनें के ऊपर एक पैर की छति	20,000	5,000
	(v) पैर की समस्त ॲगुलियों की क्षति पैर के ॲगूठे की दोनों बड़ी ॲगुलास्थि	8,000	2,000
	एक बड़ी ॲगुलास्थि	2,000	500
	बड़ी से भिन्न ॲगुलास्थि	800	200
	यदि पैर के ॲगूठे से अधिक अंगुलियों की छति हुई		

हो	400	100
(vi) एक ऑख की छति	20,000	5,000
(vii) दोनों कानों की सुनने की शक्ति की छति	20,000	5,000
(viii) एक कान की छति	6,000	1,500
(ix)दाहिनी कलाई से या उसके ऊपर एक भुजा की हानि	20,000	5,000
(x) एक हाथ का अंगूठा और चार अंगुलियों की छति	16,800	4,200
(xi) अंगूठे की दानों अंगुलास्थि की छति	4,000	1,000
(xii) चार अंगुलियों की छति	14,000	3,200
(xiii) तर्जनी अंगुलियों की छति–		
तीन अंगुलास्थि	4,000	1,000
दो अंगुलास्थि	2,400	600
एक अंगुलास्थि	1,600	400
(xiv) मध्यिका अंगुलीं की छति–		
तीन अंगुलास्थि	2,400	600
दो अंगुलास्थि	1,600	400
एक अंगुलास्थि	800	200
(xv) अनामिका अंगुलीं की छति–		
तीन अंगुलास्थि	2,000	500
दो अंगुलास्थि	1,600	400
एक अंगुलास्थि	800	200
(xvi) कनिष्ठिका अंगुलीं की छति–		
तीन अंगुलास्थि	1,600	400
दो अंगुलास्थि	1,200	300
एक अंगुलास्थि	800	200
(xvii) प्रथम या द्वितीय (अतिरिक्त) तीसरे, चौथे या पॉचवे (अतिरिक्त) मेटा–कार पल्स की छति।	800	200

अध्याय–6
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जनहित याचिका संख्या–4215/2018 में पारित निर्णय दिनांक 27.11.2018 के अनुपालन में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–165 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से सम्बन्धित मामलों के निस्तारण के लिए अधिसूचना संख्या–77/तीस–3–2019, दिनांक 09.01.2019 द्वारा 71 जनपदों (श्रावस्ती, शामली, अमेठी व अम्बेड़कर नगर को छोड़कर) में कुल 75 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों की स्थापना का निर्णय लिया गया है। जिन 04 जनपदों में अधिकरण की स्थापना नही की गयी है, इन जनपदों के वादों का निस्तारण भौगोलिक दृष्टि से निकटस्थ जनपद के अधिकरण क्रमशः बलरामपुर, मुजफ्फरनगर, सुल्तानपुर व अयोध्या के अधिकरण की सीमाक्षेत्र में समाहित किया गया है। लम्बित वादों की संख्या के आधार पर लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर–नगर एवं मेरठ में दो–दो मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं अन्य जनपदों में एक–एक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के कार्यालय को स्थापित/संचालित किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 68 जनपदों में 70 अधिकरण स्थापित हो चुके हैं, जिनमें से 67 अधिकरण क्रियाशील हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 में समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों को संचालित किया जाना लक्षित है।

मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या–43 के राजस्व पक्ष के अर्न्तगत लेखाशीर्षक–3055–सड़क परिवहन–800–अन्य व्यय–03– मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल हेतु मूल बजट प्रावधान रू 2709.15 लाख स्वीकृत है। कतिपय मदों में बजट प्रावधान स्वीकृत न होने तथा प्रावधानित मदों में धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता के दृष्टिगत शासन के पत्र संख्या 3218/तीस–3–20–06बी/2014टीसी, दिनांक 25.09.2020 द्वारा लेखाशीर्ष 3055–सड़क परिवहन–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–अधिष्ठान व्यय की मद संख्या 01–वेतन में उपलब्ध बचत रू 911.42 लाख, 03–मँहगाई भत्ता में बचत रू 500.00 लाख तथा 56–नगर प्रतिकर भत्ता में बचत रू 40.00 लाख अर्थात कुल बचत रू 1451.42 लाख को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण योजना हेतु विभिन्न मानक मदों में व्यय हेतु स्वीकृत किया गया।

मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु मूल प्रावधान रू 2709.15 लाख तथा पुनर्विनियोजित धनराशि रू 1451.42 लाख अर्थात कुल धनराशि रू 4160.57 लाख स्वीकृत है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल हेतु रू 5963.50 लाख का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया, जिसके सापेक्ष रू 3761.00 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत है।

अध्याय–7

राज्य/संभागीय परिवहन प्राधिकरण, उ0प्र0

ट्रान्सपोर्ट गाड़ियों के संचालन पर नियंत्रण मोटरगाड़ी अधिनियम–1988 के अध्याय–5 की धारा–68 के अन्तर्गत गठित राज्य परिवहन प्राधिकरण तथा संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। वर्तमान में राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण का गठन निम्नवत है:–

(क) **राज्य परिवहन प्राधिकरण**

1–	प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग।	अध्यक्ष
2–	राज्य सरकार के न्याय विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा सम्यक रूप से नाम निर्दिष्ट राज्य सरकार के विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी।	सदस्य
3–	निदेशक यातायात, उत्तर प्रदेश या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट, कोई अधिकारी जो, उप निदेशक यातायात, उ0प्र0 से निम्न पंक्ति का न होगा।	सदस्य

(ख) **सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण:–**

1–	मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
2–	जिलाधिकारी	सदस्य
3–	उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र)	सदस्य

तालिका –1

(लोक सेवा यानों से सम्बन्धित सूचना 01–04–2020 से 30–11–2020 तक)

संभाग का नाम	स्टेज कैरिज (जारी परमिटो की संख्या)		स्टेज कैरिज संचालित वाहनों की संख्या		कान्ट्रैक्ट कैरिज परमिटों से आच्छादित वाहन				निजी सेवा यान परमिट से आच्छादित वाहन					
	बस 13 से 35 सीट तक	बड़ी बस	बस 13 से 35 सीट तक	बड़ी बस	बस 13 से 35 सीट तक	बड़ी बस	मैक्सी कैब	मोटर कैब टैक्सी	मैक्सी कैब 12 सीट तक	बस 13 से 35 सीट तक	बड़ी बस	नगर बस परमिट से आच्छादित वाहन	परमिटों से आच्छादित कुल वाहनों का योग	परमिट से मुक्त सवारी वाहनों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
आजमगढ़	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0
देवीपाटन	0	0	0	0	7	35	15	76	5	15	5	0	158	0
अयोध्या	2	0	2	0	0	0	20	54	22	26	14	0	140	0
चित्रकूटधाम	2	26	2	26	59	141	84	107	365	169	98	0	632	0
मिर्जापुर	12	1	12	1	0	0	0	351	5	31	4	0	417	0
बस्ती	7	8	58	156	0	0	10	17	589	542	244	0	1375	0
झॉसी	0	22	0	22	0	0	40	571	6	11	8	0	25	0

बरेली	2	18	2	18	2	0	27	26	1	21	13	0	110	2
मुरादाबाद	0	0	5	2083	0	3	1	0	16	18	40	50	128	0
मेरठ	0	283	0	203	0	2	0	3	85	251	373	0	1200	0
अलीगढ़	0	0	0	299	0	0	0	0	3	8	16	46	372	260
प्रयागराज	12	8	12	8	0	0	4	533	6	29	9	0	601	3
कानपुर	7	15	7	15	0	4	2	1773	13	20	24	3	1861	0
गोरखपुर	6	10	6	10	0	0	21	50	5	9	13	34	61	202
आगरा	0	0	55	479	0	0	0	15	6	50	39	0	644	0
सहारनपुर	0	0	0	0	0	0	1	0	8	10	1	0	20	122
वाराणसी	14	25	14	25	0	0	3	88	108	332	11	0	581	669
गाजियाबाद	0	0	0	0	17	101	2	52	13	23	57	116	381	0
लखनऊ	1	1	1	1	2	4	3	9	37	26	18	0	104	1080 (ई– रिक्शा)

1 मोटरयान अधिनियम–1988 जो 01 जुलाई 1989 से प्रभावी हुआ है। अधिनियम में निहित प्राविधानों एवं शर्तो के अर्न्तगत सभी प्रकार के लोक सेवायानों का परमिट उदारनीति के अर्न्तगत जारी किये जाते है।

2 अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक गाड़ी के परमिट के लिए प्रार्थना पत्र यथास्थिति सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण अथवा राज्य परिवहन प्राधिकरण को दिया जाना है। यदि मार्ग अन्तः संभागीय है, तो ऐसे मार्गों के लिए प्रार्थना–पत्र उस संभाग के संभागीय परिवहन प्राधिकरण को दिया जाता है, जिसमें मार्ग का अधिकांश भाग पड़ता है। अन्तर्राज्यीय मार्गों पर सवारी गाड़ियों के परमिट राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा ही जारी किये जाते हैं।

3 अर्न्तराज्यीय मार्गों के लिए परमिट उत्तर प्रदेश तथा सम्बन्धित राज्य के बीच हुए पारस्परिक परिवहन समझौते के आधार पर स्वीकृत/जारी किये जाते हैं। अर्न्तराज्यीय मार्गों पर जारी होने वाले परमिटों की संख्या समझौतों में दी गयी संख्या से सीमित हो जाती है। ऐसे समझौते समय–समय पर पुनरीक्षित किये जाते हैं।

4 अधिसूचित (राष्ट्रीयकृत) मार्गो पर केवल उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को ही परमिट दिये जाने की व्यवस्था है। योजना की अधिसूचना में प्राविधान होने पर ही ऐसे मार्ग या उसके भाग पर अन्य को भी परमिट स्वीकृत किया जा सकता है।

5 राज्य परिवहन प्राधिकरण तथा समस्त संभागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा परमिट जारी किये जाने की व्यवस्था को पूर्णतः ऑन–लाइन कर दिया गया है। आवेदक द्वारा वाहन–4 पोर्टल पर आवेदन पत्र तथा आवेदन फीस जमा करने के पश्चात कार्यालय द्वारा 03 कार्य दिवस के अन्दर प्रपत्रों का परीक्षण कर उपयुक्त पाये जाने पर आवेदन सत्यापित कर ग्रान्ट फीस जमा करने हेतु आवेदक को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर एस0एम0एस0 प्राप्त होगा। आवेदक द्वारा फीस जमा करने की तिथि से 02 कार्य दिवस के अन्दर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रकरण पर विचार कर स्वीकृत/अस्वीकृत करने का निर्णय लिया जाता है। आवेदन अस्वीकृत होने की दशा में आवेदक को इस आशय का भी एस0एम0एस0 प्राप्त होगा तथा स्वीकृत होने पर वाहन स्वामी परमिट का प्रिन्ट ऑन–लाइन प्राप्त कर सकेंगें। परमिट धारक को इस आशय का एस0एम0एस0 प्राप्त होगा

कि 02 कार्य दिवस के पश्चात किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित कार्यालय में आकर परमिट की मूल प्रति प्राप्त कर लें। वाहन पोर्टल व नेषनल परमिट पोर्टल को इंटीग्रेट करने का कार्य एन0आई0सी0 द्वारा किया जा रहा है, ताकि परमिट प्राप्त करने हेतु आवेदक को अलग–अलग पोर्टल पर आवेदन न करना पड़े तथा एक ही आवेदन से प्रक्रिया पूर्ण हो सके।

6 प्राधिकरणों द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक वाहनों के प्रति परमिट जारी किये जा रहे हैं। जनभार–वाहनों के प्रति नेशनल परमिट विभिन्न संभागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा जारी किये जाते हैं, जिनका विवरण निम्नवत हैः–

तालिका–2

क्रमांक	संभागीय परिवहन प्राधिकरण का नाम	वैध राष्ट्रीय परमिट जनभार वाहनों की संख्या (30–11–2020) तक
1	**2**	**3**
1	आजमगढ़	3298
2	देवीपाटन	605
3	अयोध्या	4851
4	चित्रकूटधाम	1498
5	मिर्जापुर	7864
6	बस्ती	1128
7	झांसी	248
8	बरेली	7854
9	मुरादाबाद	4632
10	मेरठ	10409
11	अलीगढ़	7237
12	प्रयागराज	11218
13	कानपुर	17327
14	गोरखपुर	671
15	आगरा	9942
16	सहारनपुर	6457
17	वाराणसी	13759
18	गाजियाबाद	19165
19	लखनऊ	638

7 अन्तर्राजीय मार्गो पर माल/यात्रियों के परिवहन हेतु मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा 88 की उप धारा–(5) व (6) के अन्तर्गत हुये पारस्पारिक परिवहन समझौते के अनुसार परमिट जारी किये जाते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश और निम्नलिखित राज्यों के बीच पारस्पारिक परिवहन समझौता लागू हैः–

1–मध्य प्रदेश, 2–राजस्थान, 3–हरियाणा, 4–पंजाब, 5–हिमांचल प्रदेश, 6–चण्डीगढ़, 7–बिहार, 8–जम्मू एवं कश्मीर 9–उत्तराखण्ड।

8 प्रदेश के विभिन्न नगरों में नगर सीमा के अन्तर्गत यात्रियों को यातायात की सुविधा के दृष्टिगत वर्ष 1992 में नगर बसों का संचालन प्रारम्भ किया गया है। वर्तमान में 12 नगरों में नगर बसों का संचालन हो रहा है, जिनमें से 07 नगरों–लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, मथुरा एवं आगरा में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत संबंधित नगरीय संचालन इकाई द्वारा नगर बसों का संचालन किया जा रहा है। अन्य नगरों में निजी संचालकों द्वारा नगर बसों का संचालन किया जा रहा है। उक्त महानगरों/नगरों में संचालित नगर बसों का विवरण निम्नवत हैः–

तालिका–3

विवरण 01.04.2020 से 30.11.2020 तक
(महानगरों/नगरों में संचालित नगर बसों का विवरण)

क्रमांक	नगर का नाम	निर्धारित परमिटों की संख्या	30.11.2020 तक जारी परमिटों की संख्या	संचालित बसों की संख्या
1	2	3	4	5
1	अयोध्या	91	16	16
2	वाराणसी	निर्धारित नही	130	130
3	लखनऊ	निर्धारित नही	296	296
4	कानपुर	निर्धारित नही	458	458
5	आगरा	निर्धारित नही	229	226
6	प्रयागराज	निर्धारित नही	119	119
7	गाजियाबाद	निर्धारित नही	116	110
8	मेरठ	निर्धारित नही	67	33
9	गोरखपुर	301	34	34
10	मथुरा	निर्धारित नही	59	59
11	मुरादाबाद	निर्धारित नही	413	50
12	अलीगढ़	129	125	46

9 परमिट शर्तों का उल्लंघन करने पर मोटरगाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही राज्य/संभागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा की जाती है। राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 04.07.2018 में प्राधिकरण द्वारा उक्त अधिनियम, की धारा–88(5) के अन्तर्गत अभियोगों को प्रशमित किये जाने हेतु सहमति धनराशि निम्नानुसार निर्धारित की गयी हैः–

क्रमांक	वाहन की श्रेणी	ओवर लोड़िंग प्रति सवारी	मार्ग/क्षेत्र/उद्देश्य संबंधी परमिट–शर्तों का उल्लंघन	अन्य परमिट शर्तो का उल्लंघन (प्रति अभियोग)
1	2	3	4	5
1	टैक्सी (मोटर कैब)	1000	5000	1000
2	मैक्सी कैब	1000	5000	1000
3	अन्य कान्ट्रैक्ट कैरिज	1000	10000	2000
4	टूरिस्ट वाहन	1000	10000	2000
5	स्टेट कैरिज	1000	10000	2000

टिप्पणीः– ओवरलोड़िग हेतु अधिकतम प्रशमन शुल्क क्रम संख्या–1 एवं 2 हेतु रू0 5000/– एवं शेष के लिए 10,000/–

10 राज्य/संभागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–86 के अन्र्तगत की गयी कार्यवाही का विवरण निम्न तालिका में प्रदर्शित हैः–

तालिका–4

राज्य/संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही का विवरणः–

क्रमांक	संभाग का नाम	दिनांक 31.03.2020 तक लम्बित वादों की संख्या	चालू वित्तीय वर्ष में दिनांक 30.11.2020 तक वादो की संख्या	कुल वाद (3 + 4)	कुल निस्तारित वाद	प्रश्मन शुल्क लाख रू0 में	वित्तीय वर्ष के अन्त में निस्तारण हेतु ष्शेष वादों की संख्या (5–6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आजमगढ़	306	41	347	87	4.75	260
2	देवीपाटन	124	20	144	15	1.24	129
3	अयोध्या	403	107	510	25	10.64	485

4	चित्रकूटधाम	103	18	121	27	1.35	94
5	मिर्जापुर	63	46	109	33	1.65	76
6	बस्ती	0	32	32	0	0	32
7	झांसी	115	37	152	68	17.32	84
8	बरेली	59	43	102	0	0	102
9	मुरादाबाद	94	41	135	47	2.35	88
10	मेरठ	176	52	228	09	1.01	219
11	अलीगढ़	40	26	66	08	0.12	58
12	प्रयागराज	240	81	321	74	5.40	247
13	कानपुर	635	64	699	454	25.95	245
14	गोरखपुर	13	40	53	28	1.60	25
15	आगरा	256	53	309	53	6.51	256
16	सहारनपुर	41	21	62	13	1.06	49
17	वाराणसी	645	119	764	340	34.00	425
18	गाजियाबाद	230	222	452	79	13.17	373
19	लखनऊ	308	50	358	51	1.40	307

अध्याय–8

मोटर गाड़ी कानून का प्रवर्तन

1 मोटरगाड़ी से सम्बन्धित विभिन्न अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से मुख्यालय पर अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) तथा प्रदेश के 6 परिक्षेत्रों में तैनात उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) की देख–रेख में 114 सचल प्रवर्तनदलों की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय पर दो विशेष प्रवर्तन दल कार्यरत हैं। मार्गों पर वाहनों की चेकिंग हेतु प्रत्येक दल में एक राजपत्रित सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), एक प्रवर्तन पर्यवेक्षक एवं 3 प्रवर्तन सिपाही के अतिरिक्त चालकयुक्त एक स्टाफ कार का भी प्राविधान है। प्रवर्तन शाखा के मुख्य कार्यों में मोटर व्हैकिल एक्ट एवं उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम के प्राविधानों का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराना, नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कराना, वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण कराना है।

2 मोटरयान अधिनियम, 1988 तथा उसके अधीन बनायी गयी केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 तथा उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के प्राविधानों के उल्लघंन के सम्बन्ध में किये गये चालानों के निस्तारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 213 (5) (इ) के अधीन चालान न्यायालय को भेजे जाने की व्यवस्था है। न्यायालय भेजे जाने वाले ऐसे अपराधों में से कतिपय अपराध उक्त अधिनियम की धारा 200 के अधीन शमनीय है। ऐसे अपराधों को प्रशमित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रशमन की दरें निर्धारित की जाती रहीं हैं। इस संबंध में अन्तिम बार दरें अधिसूचना संख्या–10/2020/752/तीस–4–2020/01(सा0)/2017, दिनांक 30.07.2020 द्वारा निर्धारित की गयी हैं।

3 विभिन्न जुर्मों के शमन–हेतु निर्धारित प्रशमन–शुल्क की राशि एवं प्राधिकृत अधिकारियों की सूचना निम्न सारिणी में दर्शायी जा रही हैः–

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते है।	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएँ जिसके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है।	अपराधों का विवरण।	प्रशमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा मे	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1		2	4	5
(1) परिवहन विभाग के पदधारी यात्रीकर अधिकारी/ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/ संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन। **(2) पुलिस विभाग के पदधारी (एक) नागरिक पुलिस/ यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी।** **(दो) यातायात पुलिस निरीक्षक/उपनिरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी।** **(तीन) नागरिक पुलिस के अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र की अधिकारिता के अर्न्तगत निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक।** **(चार) समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट।**	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 122, 126 के साथ पठित धारा 177	<u>**यातायात सम्बन्धी अपराध**</u> 1— पार्किंग नियमों का उल्लघंन।	रू 500/—	रू 1500/—
	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 130 के साथ पठित धारा 177 केन्द्रीय मोटरयान नियमावली का नियम 15(7)	2— मॉग किये जाने पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र, परमिट, स्वस्थता प्रमाण—पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण—पत्र (पीयूसी) प्रस्तुत करने में विफल होने पर। **टिप्पणीः— डिजीलॉकर में इलेक्ट्रानिक प्रारूप में दस्तावेज स्वीकार किये जायेंगें।**		
	मोटरयान अधिनियम, की धारा 177 के साथ पठित धारा 47	3— 12 माह से अधिक अवधि तक अन्य राज्यों के रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का उपयोग करने पर।		
	धारा 184क, ख, घ, ड, च में उल्लिखित अपराधों को छोड़कर मोटरयान अधिनियम की धारा 119 के साथ पठित धारा 177	4— धारा 184क, ख, घ, ड, च में उल्लिखित अपराधों को छोड़कर ड्राइवर द्वारा बिना किसी संकेत के गली बदलते हुये यातायात नियमों का उल्लंघन किया जाना।		
	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 6(2) के साथ पठित धारा 177	5— अन्य व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस देने पर।		
	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 123 के साथ पठित धारा 177	<u>**यात्रियों से सम्बन्धित अपराध**</u> 6— फुट बोर्ड पर यात्रियों के खड़े होने पर।		
	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 72(13) के साथ पठित धारा 177	<u>**वाणिज्यिक यानों से सम्बन्धित अपराध**</u> 7— अनुज्ञेय किराये से अधिक किराया लेने पर।		
	उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के नियम 28 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 177	8— परिवहन यानों में आवश्यक अपेक्षित सूचना प्रदर्शित न करने पर।		

	उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के नियम 166क के साथ पठित धारा 177	9– मोटर कैब में किराया मीटर कार्यशील न होने पर। 10– मोटरयान अधिनियम यातद्वीन जारी नियमावली, विनियमावली या अधिसूचनाओं के किसी उपबन्ध का उल्लघंन करने वाले अन्य अपराध जो ऊपर उल्लिखित नहीं है तथा जिनके लिये विनिर्दिष्ट जुर्माना विहित नही किया गया है।		
(एक) परिवहन विभाग के अधिकारी– **यात्रीकर अधिकारी/ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन।** **(दो) समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट।**	178(1)	**मंजिली गाड़ियों में यात्रियों से सम्बन्धित अपराध** 1– बिना वैध टिकट या पास के यात्रा करना। 2– मॉगने पर पास या टिकट प्रस्तुत न करना।	रू 500/–	–
–तदैव–	178(2)	**मंजिली गाड़ियों में परिचालकों से सम्बन्धित अपराध** 1– किराया न लेना या किराया लेने से इंकार करना। 2– टिकट जारी न करना या टिकट जारी करने से इंकार करना। 3– अवैध टिकट देना। 4– कम किराया का टिकट प्रदान करना। 5– टिकट या पास की जॉच न करना।	रू 500/–	–
–तदैव–		यदि ठेका गाड़ी का परमिट धारक या चालक इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों का उल्लंघन करके ठेका गाड़ी संचालित करने या यात्रियों को ले जाने से मना करता है:–		
	178(3)(क)	(क) दो पहिया या तीन पहिया मोटरयानों की दशा में।	रू 50/–	–
	178(3)(ख)	(ख) यान के किसी अन्य मामले में।	रू 500/–	–
(1) परिवहन विभाग के अधिकारी **यात्रीकर अधिकारी/ सहायक संभागीय परिवहन**	179(1)	प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी विधि सम्मत निदेश का उल्लंघन करना या ऐसी किसी कृत्य का	रू 2000/–	–

अधिकारी/संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन। **(2) पुलिस विभाग के अधिकारी** **(एक) नागरिक पुलिस/यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी।** **(दो) यातायात पुलिस निरीक्षक/उपनिरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी।** **(तीन) नागरिक पुलिस के अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र की अधिकारिता के अर्न्तगत निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक।** **(चार) समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट।**		निर्वहन करने में व्यवधान डालना, जिसका निर्वहन करने के लिये इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारीगण अपेक्षित हों या सशक्त हों।		
–तदैव–	179(2)	इस अधिनियम के अधीन उपलब्ध कराये जाने हेतु अपेक्षित सूचना देने से अस्वीकार करना या मिथ्या सूचना देना, जिसे वह सत्य न मानता हो।	रू 2000/–	–
–तदैव–	180	जो कोई, चाहे वह मोटरयान का स्वामी हो या उसका भार साधक व्यक्ति हो, ऐसे किसी अन्य व्यक्ति, जो धारा 3 या धारा 4 के उपबन्धों का समाधान नही करता है, से यान चलवाता है या उसकी अनुज्ञा देता है।	रू 5000/–	–
–तदैव–	181	धारा 3 या धारा 4 के उपबन्धों का उल्लघंन कर यान चलाने पर।	रू 5000/–	–
–तदैव–	182(1)	ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा यान चलाये जाने पर जो इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस धारित करने या उसे प्राप्त करने के लिये निरर्ह हो।	रू 10000/–	–
–तदैव–	182(2)	ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा मंजिली गाड़ी के परिचालक के रूप में कार्य करना, जो इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस धारित करने या उसे प्राप्त करने के लिये निरर्ह हो।	रू 10000/–	–

(क) अपर परिवहन आयुक्त से अनिम्न एवं प्रमुख सचिव, सचिव एवं विशेष सचिव परिवहन विभाग। **(क) अपर परिवहन आयुक्त से अनिम्न एवं प्रमुख सचिव, सचिव एवं विशेष सचिव परिवहन विभाग।**	182क(1)	(क) जो कोई, या तो मोटरयानों का विनिर्माणकर्ता, आयातकर्ता या व्यवहारी हो, उक्त अधिनियम के अध्याय–7 और तद्वीन बनायी गयी नियमावली तथा विनियमावली के उपबन्धों का उल्लंघन कर किसी यान का विक्रय करना, परिदान करना, परिवर्तन करना या विक्रय, परिदान अथवा परिवर्तन करने के लिये प्रस्ताव करना। **(i) विनिर्माणकर्ता** **(ii) आयातकर्ता** **(ख) व्यवहारी**	रू 100000/– प्रति वाहन रू 100000/– प्रति वाहन	–
अपर परिवहन आयुक्त से अनिम्न एवं प्रमुख सचिव, सचिव एवं विशेष सचिव परिवहन विभाग।	182क(3)	जो कोई मोटरयान के ऐसे किसी संघटक, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा नाजुक सुरक्षा संघटक के रूप में अधिसूचित किया गया हो और जो अधिनियम के अध्याय–7 या तद्वीन बनायी गयी नियमावली एवं विनियमावली के उपबन्धों के अनुरूप न हो, विक्रय करता है या विक्रय करने का प्रस्ताव करता है या उसके विक्रय की अनुज्ञा प्रदान करता है।	रू 100000/– प्रति संघटक	–
(एक) परिवहन विभाग के पदाधिकारी यात्रीकर अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन।	182क(4)	जो कोई मोटरयान का स्वामी होते हुये किसी मोटरयान में ऐसी रीति से परिवर्तन करता है, जो इस अधिनियम या तद्वीन बनायी गयी नियमावली और विनियमावली के अधीन अनुज्ञात न हो।	रू 5000/– प्रति परिवर्तन	–
अपर परिवहन आयुक्त से अनिम्न एवं प्रमुख सचिव, सचिव एवं विशेष सचिव परिवहन विभाग।	182ख	(I) धारा 62क(1) का उल्लंघन ऐसे किसी मोटरयान का रजिस्ट्रीकरण किये जाने पर जिससे यानों की चौड़ाई, ऊँचाई, लम्बाई और प्रलम्भ एवं वहन किये गये भार के उपबन्धों से संम्बन्धित धारा 110 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन	रू 5000/–	रू 10000/–

		होता हो।		
–तदैव–	182ख	(II) धारा 62क(2) का उल्लंघन किसी विहित प्राधिकरण या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र द्वारा उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के उपबन्धों से सम्बन्धित धारा 118 के अधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन करने पर।	रू 5000/–	रू 10000/–
(1) परिवहन विभाग के पदधारी यात्रीकर अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन। **(2) पुलिस विभाग के पदधारी** **(एक) नागरिक पुलिस/यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी।** **(दो) यातायात पुलिस निरीक्षक/उपनिरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी।** **(तीन) नागरिक पुलिस के अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र की अधिकारिता के अर्न्तगत निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक।** **(चार) समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट।**	183(1)	अधिनियम की धारा 112 में निर्दिष्ट गति सीमाओं का उल्लंघन करके कोई मोटरयान चलाने अथवा ऐसे व्यक्ति, जो उसके द्वारा नियोजित हो या उसके नियंत्रणाधीन हो, के द्वारा यान चलवाने पर।	(i) हल्के मोटरयान की दशा में रू 2000/– (ii) मध्यम/भारी यात्री/मालयान की दशा में रू 4000/–	**अशमनीय**
–तदैव–	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के नियम 21 के साथ पठित धारा 184(ग)	यान चलाते समय हाथ से पकडे जाने वाले संचार उपकरणों (हैण्ड हेल्ड डिवाइस) का उपयोग करना।	रू 1000/–	रू 10000/–
–तदैव–	186	यह ज्ञात होते हुये कि वह किसी ऐसे रोग या निःशक्तता से ग्रस्त है जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक स्थान में उसके द्वारा यान चलाने से साधारण जनता के लिये खतरा सम्भावित है सार्वजनिक स्थान में किसी व्यक्ति द्वारा मोटरयान चलाने पर।	रू 1000/–	रू 2000/–
–तदैव–	189	यह ज्ञान होते हुये कि वह किसी ऐसे रोग या निःशक्तता से ग्रस्त है जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक स्थान में उसके द्वारा यान चलाने से साधारण जनता के	रू 5000/–	रू 10000/–

		लिये खतरा सम्भावित है सार्वजनिक स्थान में किसी व्यक्ति द्वारा मोटरयान चलाने पर।		
–तदैव–	190(2)	किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान में ऐसा मोटरयान चलाने या चलवाने पर जो 1–सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में विहित मानको का उल्लंघन करता हो यथा रेफ्लेक्टर न लगा होना, मानक के अनुसार रेट्रो रेफ्लेक्टिव टेप न लगा होना, वाणिज्यिक यानों में मानको के अनुसार स्पीड़ लिमिट डिवाइस न लगा होना। 2– वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में विहित मानकों का उल्लंघन कारक हो। 3–ध्वनि प्रदूषण के सम्बन्ध में विहित मानकों का उल्लंघन कारक हो।	रू 10000/–	रू 10000/–
(1) परिवहन विभाग के अधिकारी **यात्रीकर अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन।** **(2) पुलिस विभाग के अधिकारी** **(एक) नागरिक पुलिस/यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी।** **(दो) यातायात पुलिस निरीक्षक/उपनिरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी।** **(तीन) नागरिक पुलिस के अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र की अधिकारिता के अर्न्तगत निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक।**	मोटरयान अधिनियम की धारा 39 एवं धारा 56 के साथ पठित धारा 192 केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 51 के साथ पठित धारा 192	(i) रजिस्ट्रीकरण के बिना या निलम्बित या रद्दकृत रजिस्ट्रीकरण के साथ मोटरयान संचालित किये जाने पर । (ii) वैध उपयुक्तता प्रमाण पत्र के बिना यान संचालित किये जाने पर। (iii) यान में रजिस्ट्रीकरण चिन्ह को विहित रीति से प्रदर्शित न करने पर। (iv) अन्य मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण संख्या को अपने यान पर प्रदर्शित करने पर।	रू 5000/– रू 5000/– रू 5000/– रू 5000/–	रू 10000/– रू 10000/– रू 10000/– रू 10000/–
–तदैव–	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 66 के साथ पठित धारा 192(क)	जो कोई परमिट के बिना कोई मोटरयान चलाता है या ऐसे मार्ग से सम्बन्धित, जिस पर या ऐसे क्षेत्र से सम्बन्धित, जिसमें या ऐसे प्रयोजन से सम्बन्धित, जिसके लिये यान चलाया जा सकता है, परमिट के किसी शर्त का उल्लंघन करके कोई यान चलवाता है या चलाये जाने की	रू 10000/–	रू 10000/–

		अनुज्ञा प्रदान करता है।		
परिवहन विभाग के अधिकारी यात्रीकर अधिकारी/ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन।	194(1)	अनुज्ञेय भार से अधिक भार वाले यान चलाये जाने की दशा में:— (क) अधिनियम की धारा 113 और 115 के उपबन्धों का उल्लंघन करके कोई मोटरयान चलाये जाने पर तथा (ख) यदि किसी मोटरयान में अधिक भार हो तो प्रति टन अधिक भार होने पर।	रू 20000/— और प्रति टन अधिक भार के लिये रू 2000/— अतिरिक्त	—
—तदैव—	194(1क)	जो कोई मोटरयान चलाता है या कोई मोटरयान चलवाता है या चलवाने की अनुज्ञा प्रदान करता है, जब ऐसा मोटरयान इस प्रकार से भारित किया जाये कि भार या उसका आंशिक भाग या बॉडी के पार्श्व भाग या अग्र भाग की तरफ या अनुज्ञेय सीमा से अधिक की ऊँचाई के पृष्ठ भाग की तरफ बाहर निकला होने पर (1) यदि भार कृषि उत्पाद हो (2) कोई अन्य भार	रू 100/— रू 20000/—	—
—तदैव—	मोटरयान अधिनियम की धारा 114 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 194(2)	धारा 114 के उपबन्धों का उल्लंघन करके यान चलाने या चलवाने या चलाने की अनुज्ञा प्रदान करने पर (इस निमित प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा तुलवाये जाने का निदेश दिये जाने के पश्चात तुलवाने हेतु यान को रोकने और प्रस्तुत करने से इंकार किये जाने पर या तुलवाये जाने से पूर्व भार या उसके आंशिक भाग को हटाने या हटवाये जाने पर)	रू 40000/—	
(1) परिवहन विभाग के पदधारी यात्रीकर अधिकारी/ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन। (2) पुलिस विभाग के पदधारी (एक) नागरिक पुलिस/ यातायात पुलिस के	उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम 135 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 194क	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र अथवा अनुज्ञा पत्र (में अनुमोदित से) भिन्न यात्री परिवहन यान में अधिक यात्रियों को ले जाने पर।	रू 200/— प्रति यात्री	—

राजपत्रित अधिकारी। (दो) यातायात पुलिस निरीक्षक/उपनिरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी। (तीन) नागरिक पुलिस के अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र की अधिकारिता के अर्न्तगत निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक। (चार) समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट।				
–तदैव–	मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 194ख(1)	यान चलाते समय सुरक्षा बेल्ट का उपयोग करने में विफल रहने या सुरक्षा बेल्ट न पहनने वाले यात्रियों को ले जाये जाने पर।	रू 1000/–	–
–तदैव–	मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 194ख(2)	ऐसे बालक, जो 14 वर्ष की आयु न प्राप्त किया हो तथा सुरक्षा बेल्ट या किसी बाल सुरक्षा प्रणाली द्वारा सुरक्षित न किया गया हो, के साथ कोई मोटरयान चलाने पर या कोई मोटरयान चलवाने या उसकी अनुज्ञा दिये जाने पर।	रू 1000/–	–
–तदैव–	मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 194ग	जो कोई स्वयं के अतिरिक्त एक व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों को वहन करते हुये मोटर साइकिल चलाता है या मोटर साइकिल चलवाता है या उसकी अनुज्ञा प्रदान करता है।	रू 1000/–	–
–तदैव–	केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम की धारा 129 एंव उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के नियम 121 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 194 घ	हेलमेट नही पहनने के उल्लंघन पर।	रू 1000/–	–
–तदैव–	194 ड़	आपात यानों यथा एम्बुलेन्स, अग्निशमन यान इत्यादि को अबाध रूप से गुजरने देने में विफल होने पर।	रू 10000/–	
–तदैव–	194 च	जो कोई मोटरयान चलाते समय– 1–सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु हार्न अनावश्यक रूप से या निरन्तर या आवश्यकता से अधिक बजाता है या 2–निषिद्ध क्षेत्र में हार्न बजाता है या	रू 1000/–	रू 2000/–

		3–ऐसा मोटर यान चलाता है जिसमें ऐसे कटआउट का उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा एक्जास्ट गैस साइलेंसर से भिन्न माध्यम से निर्मुक्त किये जाते हैं।		
–तदैव–	196	गैर बीमाकृत यान चलाना या मोटरयान चलाने के लिये अनुज्ञा देना।	रू 2000/–	रू 4000/–
–तदैव–	198	बिना प्राधिकार के यान में अनधिकृत दखल देने या उसमें छेड़छाड़ करने पर।	रू 1000/–	–

4 प्रवर्तन दलों के कार्य का मूल्यांकन करने हेतु उन्हें विशेष, ए, बी व सी श्रेणी में विभाजित करते हुये उनके लिये विभिन्न कार्यों के मानक समय–समय पर निर्धारित किया जाता रहा है। इस संबंध में अन्तिम बार प्रवर्तन दलों के श्रेणी का विभाजन एवं उनके कार्यो के मानक का निर्धारण परिपत्र संख्या 760 इन्फ/2013–95 इन्फ/01, दिनॉक 26.07.2013 द्वारा किया गया है। दलों की वर्तमान स्थिति तथा उनका श्रेणी–विभाजन तालिका ''अ'' में एवं श्रेणीवार कार्यों का मूल्यांकन हेतु निर्धारित मानक तालिका ''ब'' में प्रदर्शित किये गये हैं। धारा–207 के अन्तर्गत थानों में बन्द किये गये वाहनों की संख्या तालिका "स" में प्रदर्शित है–

तालिका ''अ''

स्पेशल श्रेणी के प्रवर्तन दल 1–लखनऊ, 2–चन्दौली, 3–कानपुर, 4–प्रयागराज, 5–बरेली, 6–मुरादाबाद, 7–वाराणसी, 8–गोरखपुर, 9–गाजियाबाद, 10–गौतमबुद्धनगर, 11–आगरा, 12–अलीगढ़, 13–हापुड, 14–झॉसी।

ए श्रेणी के प्रवर्तन दल 1–उन्नाव, 2–रायबरेली, 3–सीतापुर, 4–सुल्तानपुर, 5–बाराबंकी, 6–अयोध्या, 7–बस्ती, 8–फिरोजाबाद, 9–कानपुर–देहात, 10–उरई, 11–इटावा, 12–औरैया, 13–कौशाम्बी, 14–प्रतापगढ़, 15–फतेहपुर, 16–बॉदा, 17–हमीरपुर, 18–महोबा, 19–अमेठी, 20–मुजफ्फरनगर 21–शाहजहॉपुर, 22–अमरोहा, 23–बिजनौर, 24–रामपुर, 25–शामली, 26–जौनपुर, 27–मथुरा, 28–कुशीनगर, 29–हाथरस, 30–मिर्जापुर, 31–भदोही, 32–मेरठ, 33–बुलन्दशहर, 34–सहारनपुर।

बी श्रेणी के प्रवर्तन दल 1–लखीमपुर, 2–हरदोई, 3–गोण्डा, 4–बलरामपुर, 5–बदायूॅ, 6–देवरिया, 7–आजमगढ़, 8–मऊ, 9–सोनभद्र, 10–बागपत, 11–मैनपुरी, 12–कन्नौज, 13–ललितपुर, 14–एटा, 15–संतकबीरनगर।

सी श्रेणी के प्रवर्तन दल 1–चित्रकूट, 2–गाजीपुर, 3–बलिया, 4–बहराइच, 5–पीलीभीत, 6–सम्भल, 7–अम्बेडकरनगर, 8–श्रावस्ती, 9–सिद्धार्थनगर, 10–फर्रूखाबाद, 11–महाराजगंज, 12–कासगंज।

'तालिका 'ब'

मद	परिपत्र संख्या 760 इन्फ/2013–95 इन्फ/01, दिनॉक 26.07.2013 द्वारा निर्धारित लक्ष्य।			
	स्पेशल श्रेणी	**ए श्रेणी**	**बी श्रेणी**	**सी श्रेणी**
1. चालान (इसमें बन्द वाहन भी सम्मिलित होंगे)	350	300	225	150
2. वाहनों को बन्द करना	200	150	110	75
3. प्रशमन–शुल्क की	30.00	24.00	18.00	12.00

वसूली (रूपये लाख में)	(जनपद के प्रत्येक प्रवर्तन दल के लिए)	(जनपद के प्रत्येक प्रवर्तन दल के लिए)	(जनपद के प्रत्येक प्रवर्तन दल के लिए)	(जनपद के प्रत्येक प्रवर्तन दल के लिए)
4. करों की वसूली (रूपये लाख में) कार्यालय ज्ञाप संख्या 36इन्फ / 2020–80इन्फ / 2019, दिनांक 07.01.2020 द्वारा निर्धारित लक्ष्य	15.00 (जनपद के प्रत्येक प्रवर्तन दल के लिए)	12.00 (जनपद के प्रत्येक प्रवर्तन दल के लिए)	10.00 (जनपद के प्रत्येक प्रवर्तन दल के लिए)	5.00 (जनपद के प्रत्येक प्रवर्तन दल के लिए)

मुख्यालय पर आयोजित मासिक स्टाफ बैठक में समस्त अधिकारियों द्वारा किये गये प्रवर्तन कार्यो की अलग–अलग समीक्षा की जाती है।

तालिका–स

वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह नवम्बर, 2020 तक बन्द वाहनों का विवरणः–

क्रमांक	सम्भाग	बन्द वाहन
1.	लखनऊ	2527
2.	कानपुर	3300
3.	झांसी	945
4.	आगरा	1965
5.	अलीगढ	616
6.	प्रयागराज	2331
7.	मेरठ	467
8.	गाजियाबाद	2649
9.	अयोध्या	1528
10.	गोरखपुर	681
11.	वाराणसी	1476
12.	आजमगढ	571
13.	बरेली	1292
14.	मुरादाबाद	711
15.	सहारनपुर	2131
16.	बस्ती	284
17.	मिर्जापुर	917
18.	चित्रकूटधाम (बांदा)	3204
19.	देवीपाटन (गोण्डा)	867
	योग :	**28462**

5 प्रवर्तन अधिकारियों को समय–समय पर लिखित एवं मौखिक रूप से विशेष आदेश दिये गये कि मात्र चालानों की संख्या में वृद्धि के उद्देश्य से ट्रकों के ही चालान पर अधिक बल न दिया जाए, बल्कि सामान्य जनता की सुविधा, सड़क–सुरक्षा नियमों का पालन एवं विभिन्न शहरों को यथासम्भव प्रदूषण से मुक्त करने के उद्देश्य से सुनियोजित ढंग से चेकिंग का कार्य सम्पादित किया जाय। इसके साथ ही उन्हें यह भी निर्देश दिये गये कि राजस्व की वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके द्वारा अधिक से अधिक ऐसी गाड़ियों के चालान किये जायें, जिन पर

विभिन्न कर अवशेष हैं। इसके लिए प्रदेश में कार्यरत सभी उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) जो प्रवर्तन अधिकारियों के पर्यवेक्षक अधिकारी हैं, के परिक्षेत्र के अन्तर्गत किये गये प्रवर्तन कार्यों की प्रत्येक माह समीक्षा मुख्यालय पर की जाती है तथा लक्ष्य के अनुरूप प्रवर्तन–कार्य न करने के सम्बन्ध में प्रवर्तन अधिकारियों के कार्यों का अनुश्रवण परिक्षेत्र एवं संभाग स्तर पर संबंधित अधिकारी द्वारा करने के लिए उन्हें निर्देशित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह नवम्बर, 2020 तक

चालान वाहनें	441590
बन्द वाहनें	28462
प्रशमन शुल्क (रूपये लाख में)	12801.56

विभाग के प्रवर्तन दलों द्वारा किये गये चालानों एवं उन पर हुई कार्यवाही का विवरणः–

वर्ष	किये गये चालानों की संख्या	वसूला गया प्रशमन शुल्क (रूपये लाख में)
1	2	3
1970–71	**34080**	**..**
1975–76	**53632**	**..**
1980–81	**90175**	**..**
1985–86	**102045**	**125.23**
1986–87	**122261**	**148.61**
1987–88	**158547**	**191.09**
1988–89	**162428**	**220.32**
1989–90	**195958**	**203.21**
1990–91	**131060**	**140.14**
1991–92	**115067**	**134.59**
1992–93	**129989**	**192.48**
1993–94	**149726**	**232.57**
1994–95	**130425**	**359.25**
1995–96	**109431**	**405.67**
1996–97	**95590**	**465.76**
1997–98	**100911**	**611.23**
1998–99	**127558**	**1491.07**
1999–00	**134218**	**2218.79**
2000–01	**131051**	**2754.22**
2001–02	**133751**	**2351.65**
2002–03	**143234**	**2075.98**
2003–04	**159149**	**2638.77**
2004–05	**133812**	**3209.40**
2005–06	**226159**	**403.60**
2006–07	**241817**	**476.40**
2007–08	**217326**	**628.58**
2008–09	**235439**	**11326.00**
2009–10	**234597**	**11271.00**
2010–11	**243031**	**11513.45**
2011–12	**212247**	**9141.01**
2012–13	**231721**	**13136.62**
2013–14	**292103**	**22127.19**
2014–15	**269314**	**23494.75**
2015–16	**287511**	**27275.99**
2016–17	**308554**	**26462.86**
2017–18	**376135**	**19400.05**
2018–19	**590990**	**20269.60**
2019–20	**692115**	**22674.69**

2020–21 में नवम्बर, 2020 तक	441590	12801.56

अध्याय–9
वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियन्त्रण

1 देश में बढ़ते वाहनों की संख्या तथा उनसे उत्पन्न वायुमण्डलीय प्रदूषण विगत कतिपय वर्षो से विकराल रूप धारण कर रहा है। इस समस्या के महत्व को समझते हुए केन्द्र सरकार द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 में प्रदूषण उत्पन्न करने वाले वाहनों को एक अपराध के रूप में स्वीकारते हुए इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई केन्द्रीय मोटरयान नियमावली–1989 के नियम 115 में प्रदूषण– नियंत्रण हेतु मानकों का निर्धारण किया गया गया है।

2 भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, नई दिल्ली से सड़क सुरक्षा स्कीम के अर्न्तगत प्रदेश में बढ़ते हुये वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु नये मानक के प्रदूषण मापी यंत्र वित्तीय वर्ष 2015–16 में 10 बोलेरो वाहनों मे ंगैस एनालाइजर प्रदूषण जॉच संयत्र लगाकर तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में 09 बोलेरो वाहनों में ंगैस एनालाइजर, वित्तीय वर्ष 2017–18 में 20 स्मोक मीटर क्रय करके प्रदेश के संभागों में संभागीय परिवहन अधिकारियों को चेकिंग के दौरान वाहनों का उत्सर्जन मानक जॉच करने तथा प्रदूषण निर्धारित मानक से अधिक पाये जाने पर उन वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

3 विभागीय संसाधनों की कमी के दृष्टिगत वाहनों के प्रदूषण जॉच हेतु सरकारी मान्यता प्राप्त ''ए'' ''बी'' श्रेणी के गैराजों में प्रदूषणमापी यन्त्र लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इनके अतिरिक्त स्वयंसेवी संस्थाओं, पेट्रोल पम्पों तथा वाहन डीलरों आदि को भी प्रदूषणमापी यन्त्र लगाकर वाहनों के प्रदूषण की जॉच कर, प्रदूषण मुक्त प्रमाणपत्र जारी करने हेतु मान्यता दी गयी है। वर्ष 2018 से लगातार चल रहे प्राइवेट प्रदूषण जॉच केन्द्रों के निरीक्षण में 84 प्रदूषण जॉच केन्द्र बन्द पाये गये तथा जनपद के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों (प्रशासन/प्रवर्तन) द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या के आधार पर दिनॉक 30.11.2020 तक उत्तर प्रदेश में कुल 1676 प्राइवेट प्रदूषण जॉच केन्द्र संचालित हैं।

4 अप्रैल 2019 से प्रदूषण मुक्त प्रमाण–पत्र जारी करने की व्यवस्था ऑन–लाइन हो गयी है, जिसमें प्रदूषण जॉच केन्द्र द्वारा जॉच के उपरान्त वाहन 4.0 साफ्ट्वेयर के माध्यम से प्रदूषण प्रमाण–पत्र निर्गत किये जा रहे हैं। प्रदूषण जॉच केन्द्र स्वामी द्वारा प्रदूषण प्रमाण–पत्र प्रिंटिंग, स्टेशनरी पर

व्यय स्वयं किया जा रहा है। ऑन–लाइन व्यवस्था प्रारम्भ होने के पश्चात प्रदेश मुख्यालय से पुस्तिका व स्टीकर देना अब बन्द कर दिया गया है, जिसके कारण पुस्तिका व स्टीकर के मद में जमा की जाने वाली धनराशि राजकीय कोष में जमा करने की व्यवस्था समाप्त हो गयी है। 01 फरवरी 2020 से नया प्रदूषण जॉच केन्द्र स्थापित करने, प्रदूषण जॉच केन्द्र का नवीनीकरण तथा कार्यस्थल परिर्वतन की स्वीकृति का कार्य भी ऑन–लाइन कर दिया गया है।

5 वाहनों से निकलने वाले धूम्र की जॉच हेतु उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन अनुभाग–4 द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 14/2020/822/तीस–4–2020, दिनांक 20.10.2020 द्वारा **"उत्तर प्रदेश ऑनलाइन मोटरयान प्रदूषण जॉच केन्द्र योजना–2020"** निर्गत की गयी है, जिसका क्रियान्वयन प्रक्रियाधीन है। इस योजना में किसी भी सामान्य नागरिक के साथ–साथ एन0जी0ओ0/ट्रस्ट/सभी प्रकार के फर्म/कम्पनी (प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड/पार्टनरशिप/प्रोपराइटरशिप), प्रदूषण जॉच उपकरण फिटेड मोटरयान के स्वामी, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निमग के वर्कशाप तथा परिवहन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त गैराज को प्रदूषण जॉच केन्द्र खोलने हेतु प्राधिकार–पत्र ऑनलाइन प्राप्त करने की व्यवस्था बनायी गयी है।

6 उत्तर प्रदेश ऑनलाइन मोटरयान प्रदूषण जॉच केन्द्र योजना–2020 के बिन्दु–6(ii) में प्रदूषण जॉच प्रमाण–पत्र निर्गत करने की दरें निम्नवत संशोधित की गयी हैं, जो दिनांक 01.01.2021 से प्रभावी होना हैः–

क्रम संख्या	वाहन की श्रेणी	निर्धारित शुल्क
1	पेट्रोल चलित दोपहिया वाहन	रू 50/–
1.	तिपहिया वाहन (पेट्रोल/सी0एन0जी0/एल0पी0जी0)	रू 70/–
2.	चारपहिया वाहन (पेट्रोल/सी0एन0जी0/एल0पी0जी)	रू 70/–
3.	ड़ीजल चलित वाहन	रू 100/–

7 इसी योजना के बिन्दु–15 में यह भी प्राविधान किया गया है कि विनिर्माता द्वारा अधिकृत वाहन डीलर्स को अपने वर्कशाप में "प्रदूषण जॉच केन्द्र" स्थापित करने हेतु प्राधिकार–पत्र प्राप्त किया जाये। वर्कशाप में सर्विस हेतु आने वाले प्रत्येक वाहन की प्रदूषण जॉच करना अनिवार्य होगा। पेट्रोल वाहनों के अधिकृत वाहन डीलर के लिये पेट्रोल वाहनों की जॉच हेतु प्रदूषण जॉच केन्द्र का प्राधिकार पत्र तथा डीजल वाहनों के लिये डीजल वाहनों की जॉच का प्राधिकार पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा तथा ऐसे वाहन डीलर, जहॉ पेट्रोल एवं डीजल दोनो प्रकार के वाहनों हेतु वाहन निर्माता का अधिकृत वर्कशाप है को पेट्रोल एवं डीजल दोनो प्रकार के वाहनों हेतु प्रदूषण जॉच–केन्द्र का प्राधिकार प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

अध्याय–10
विभागीय प्राप्तियों की स्थिति

1 वर्ष 1997 के पूर्व मोटरयानों पर मार्गकर का आरोपण संयुक्त प्रान्त मोटरगाड़ी कराधान अधिनियम–1935 के अन्तर्गत किया जाता था। उक्त के अतिरिक्त उ0प्र0 मोटरगाड़ी (यात्रीकर) अधिनियम–1962 के अन्तर्गत व्यावसायिक यात्रीयानों पर यात्रीकर तथा उ0प्र0 मोटरगाड़ी (मालकर) अधिनियम–1964 के अन्तर्गत मालयानों पर माल–कर का आरोपण किया जाता था। यात्रीयानों पर वाहन के संचालन के अन्तर्गत वे–बिल/एकमुश्त समझौते (एल.एस.ए.) के आधार पर यात्रीकर तथा मालयानों पर पे–लोड के आधार पर मालकर का उद्ग्रहण किया जाता था।

2 वर्ष 1988 के पूर्व निजी वाहनों पर वार्षिक कर का आरोपण किया जाता था। वर्ष 1988 से निजी वाहनों हेतु एक बारीय कर की व्यवस्था लागू की गयी जिसमें वाहनों के देय कर हेतु एक निश्चित धनराशि निर्धारित की गयी, जिसे कालान्तर में वाहन के क्रय मूल्य के आधार पर आरोपित किया जाने लगा।

3 वर्ष 1997 में यात्री एवम् माल वाहनों हेतु उक्त तीनों अधिनियमों को समाप्त कर उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम–1997 एवम् उ0प्र0 मोटरयान कराधान नियमावली–1998 दिनांक 09.11.1998 से लागू की गयी। इस अधिनियम के अन्तर्गत मोटरयानों पर मार्गकर एवम् अतिरिक्त कर (मालयान/यात्रीयान) के आरोपण का प्राविधान किया गया। मालयानों पर मार्गकर एवम् अतिरिक्त कर के आरोपण का प्राविधान यान के सकल यान भार के आधार पर किया गया जबकि व्यावसायिक यात्रीयानों के लिए मार्गकर सीटिंग क्षमता के आधार पर निर्धारित निश्चित धनराशि के करारोपण का प्राविधान किया गया। मंजिली वाहनों पर अतिरिक्त कर सीटिंग क्षमता एवम् त्रैमास में तय की गयी दूरी के आधार पर आरोपित किया गया। ठेका वाहनों हेतु अतिरिक्त कर सीटिंग क्षमता के आधार पर प्रति त्रैमास धनराशि निर्धारित थी।

विभिन्न वर्षो में विभागीय राजस्व की वसूली निम्न तालिका में प्रदर्शित है–

(धनराशि लाख रूपये में)

वर्ष	मोटरयान कर	मालकर/ मालवाहनों से अतिरिक्त कर	यात्रीकर/यात्रीवाहनों से अतिरिक्त कर			योग
			निजी	उ0प्र0परि0नि0	पथकर	
1989–90	7901.87	4319.17	3338.58	4674.41	993.98	21228.01
1990–91	8910.22	5058.37	3653.67	4908.32	1071.07	23681.65

1991—92	9741.77	5765.30	4353.13	5336.27	127.39	26471.86
1992—93	9568.70	6292.40	5182.38	6565.16	1332.24	28940.88
1993—94	9866.33	6187.29	5844.40	6963.14	541.55	29402.71
1994—95	10748.19	7912.47	6290.48	5797.38	—	30748.52
1995—96	12377.73	10089.24	6625.09	6215.40	—	35307.46
1996—97	13860.75	10703.04	6783.70	4404.00	—	35751.49
1997—98	15407.34	11786.18	6918.77	2871.45	—	36983.74
1998—99	19342.96	11856.48	8818.58	5600.00	—	45618.02
1999—00	26686.14	14231.10	12157.55	8199.00	—	61291.79
2000—01	29261.46	14660.25	12879.09	7300.00	—	64100.80
2001—02	36058.53	14287.25	11764.52	2819.00	—	64969.30
2002—03	49923.69	16034.24	14330.56	4805.00	—	85093.49
2003—04	48235.13	18082.58	15595.90	4336.00	—	86239.61
2004—05	46945.40	18846.36	15593.49	4680.00	—	86065.27
2005—06	60600.26	20848.78	16249.35	10594.00	—	108292.39
2006—07	57374.84	23025.48	18214.19	14429.00	—	113043.51
2007—08	60897.66	24529.90	19808.10	20600.00	—	125835.66
2008—09	68340.44	26739.50	21305.00	22827.00	—	139211.94

4 वर्ष 2009—10 में शासन द्वारा उ0प्र0 मोटरयान कराधान अधिनियम—1997 एवं उ0प्र0 मोटरयान कराधान नियमावली—1998 में संशोधन किये गये है। मालयानों तथा निजी क्षेत्र के व्यावसायिक यात्री वाहनों पर लगने वाले दो प्रकार के करों 'कर एवं मालकर या यात्रीकर' को समिश्रित करके एक प्रकार के कर ''मोटरयान कर'' का प्राविधान किया गया है। माल वाहनों पर कर वाहन के सकल यान भार क्षमता एवम् यात्री वाहनों पर वाहन की सीटिंग क्षमता एवं वाहन की आयु के आधार पर करारोपण का प्राविधान किया गया। इसके अन्तर्गत ठेका वाहनों एवं मंजिली वाहनों पर कर के अन्तर को समाप्त कर दिया गया। निजी वाहनों पर वाहन क्रय मूल्य के आधार पर पुरानी करारोपण की व्यवस्था को रखा गया है।

(धनराशि लाख रूपये में)

वर्ष	गैर परिवहन यानो से प्राप्त कर	माल यानों से प्राप्त कर		यात्री यानों से प्राप्त कर	अन्य राज्यों की परिवहन यानों का ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर	मोटर वाहन फीस	अतिरिक्त कर(यात्री वाहन) (उ0प्र0 रा0स0प0 निगम) से प्राप्त	योग
		नेशनल परमिट योजना से प्राप्त	अन्य माल वाहनों से प्राप्त					
2009-10	48475.14	11570.56	31634.05	26945.36	—	25313.98	23612.00	167551.09
2010-11	76101.27	13280.53	39068.93	29383.77	—	27371.43	21501.00	206706.93
2011-12	104854.41	12275.03	45340.25	33333.28	—	29712.84	12400.00	237915.81
2012-13	130056.26	13821.77	56693.32	41736.97	237.56	39199.86	17616.08	299361.82
2013-14	151237.88	13885.32	64282.38	47069.53	1135.23	46657.25	20054.00	344321.59
2014-15	171841.33	14531.68	67896.13	51136.10	1249.85	50318.89	22722.00	379695.98
2015-16	210681.78	15939.48	76071.46	58725.52	4281.77	53886.47	21300.00	440886.48
2016-17	257905.05	16827.21	83157.43	64576.34	5778.61	62220.67	24367.00	514832.31
2017-18	331126.48	18602.00	95498.85	57549.53	7424.18	97678.24	27073.00	634952.28
2018-19	358034.29	19977.00	107139.06	58991.97	8455.00	114494.68	25901.00	692993.00
2019-20	372029.26	20324.79	107395.52	72935.01	8903.00	112607.56	23125.00	717320.14
2020-21 (नवम्बर 2020 तक)	182442.80	7301.76	56814.68	27452.81	3879.90	47555.32	299.66	325746.93

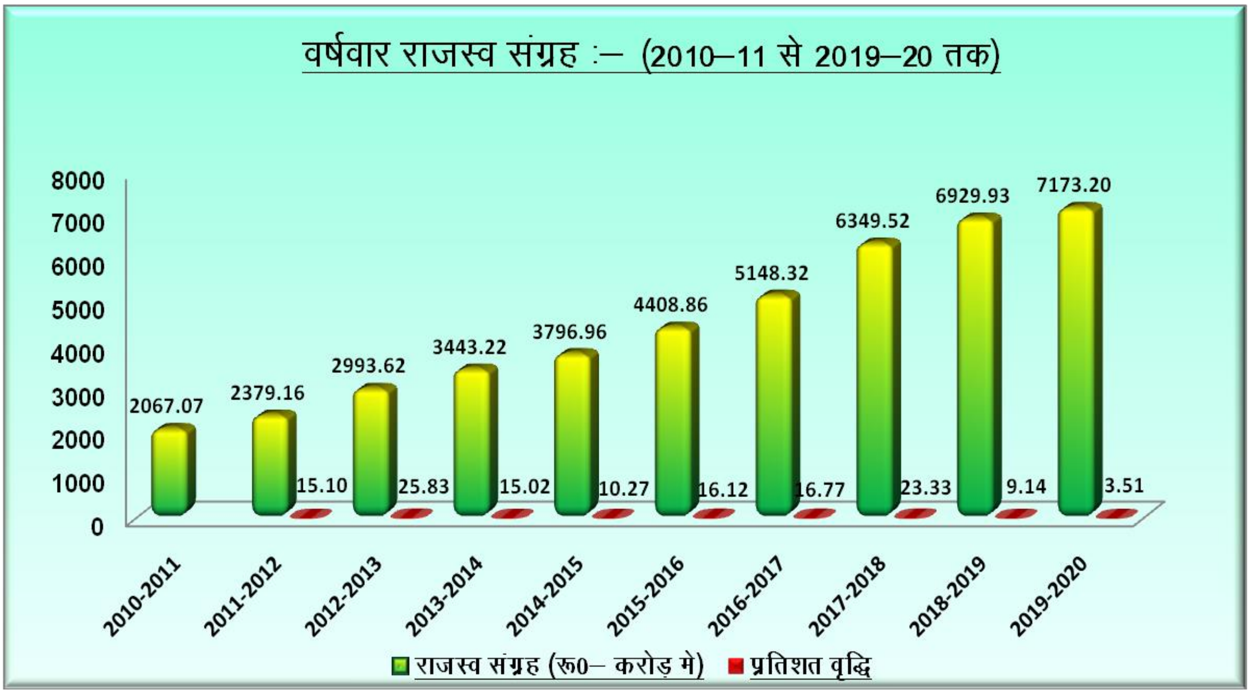
वर्षवार राजस्व संग्रह :– (2010–11 से 2019–20 तक)
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2067.07
2379.16
2993.62
3443.22
3796.96
4408.86
5148.32
6349.52
6929.93
7173.20
15.10
25.83
15.02
10.27
16.12
16.77
23.33
9.14
3.51
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
राजस्व संग्रह (रू0– करोड़ मे)
प्रतिशत वृद्धि

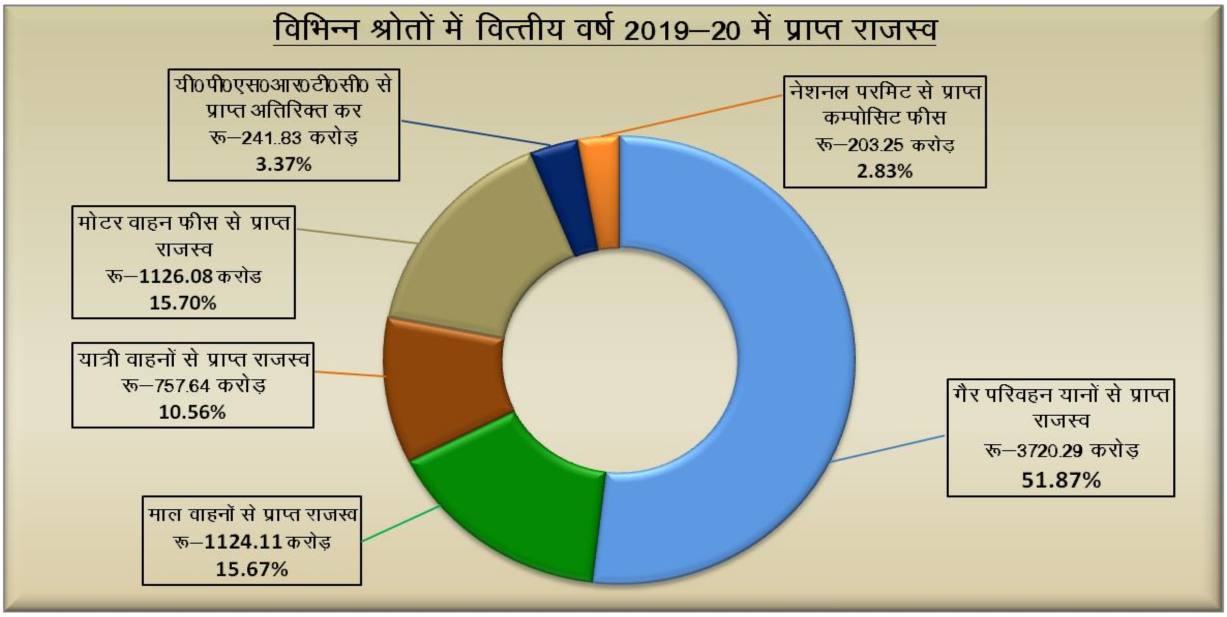
विभिन्न श्रोतों में वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्राप्त राजस्व
यी0पी0एस0आर0टी0सी0 से प्राप्त अतिरिक्त कर रू–241.83 करोड़ 3.37%
नेशनल परमिट से प्राप्त कम्पोसिट फीस रू–203.25 करोड़ 2.83%
मोटर वाहन फीस से प्राप्त राजस्व रू–1126.08 करोड 15.70%
यात्री वाहनों से प्राप्त राजस्व रू–757.64 करोड़ 10.56%
गैर परिवहन यानों से प्राप्त राजस्व रू–3720.29 करोड़ 51.87%
माल वाहनों से प्राप्त राजस्व रू–1124.11 करोड़ 15.67%

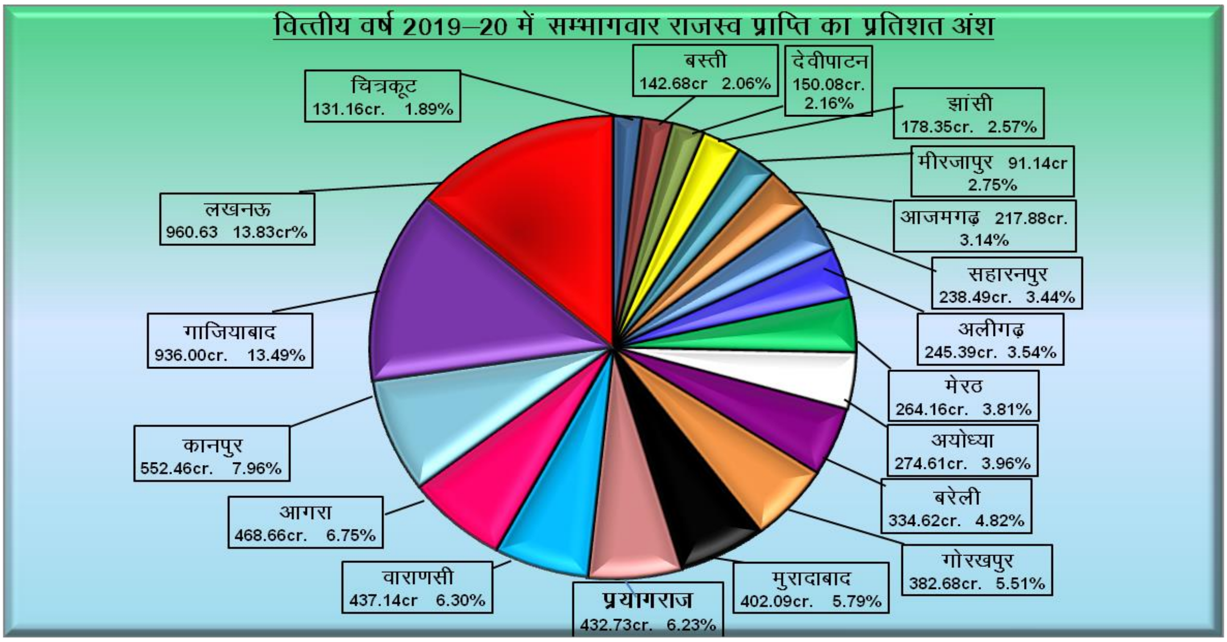

5 मोटरयानों के कर आरोपण की व्यवस्था का सरलीकरणः–

(i) उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 एवं उ0प्र0 मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 में वर्ष 2009–10 में शासन द्वारा संशोधन करते हुए मोटरयानों पर आरोपित होने वाले करों को सरल किया गया है तथा साथ ही साथ ऐसे संशोधन किये गये हैं, जिससे वाहन स्वामियों को परिवहन कार्यालयों में कर जमा करने हेतु बार–बार न आना पड़े, साथ ही साथ परिवहन कार्यालयो में कार्यों का भार भी कम हो सके।

(ii) उक्त अधिनियम/नियमावली में किये संशोधन के क्रम में मालयानो तथा निजी क्षेत्र के यात्रीयानो पर लगने वाले दो प्रकार के करों को समिश्रित करके एक प्रकार के कर आरोपण का प्राविधान किया गया है।

(iii) छोटे मालयानो यथा तीन हजार किलो ग्राम तक सकलयान भार वाले तथा आटो रिक्शा एवं टैम्पो टैक्सियों के लिये त्रैमासिक के स्थान पर वार्षिक कर जमा करने का प्रावधान किया गया है तथा ऐसे वाहनों के स्वामियों को एकबारीय कर जमा करने की सुविधा भी प्रदान की गयी है।

(iv) अन्य परिवहन यानों के स्वामियों को भी मासिक/त्रैमासिक कर के स्थान पर एक वर्ष का कर एकमुश्त जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट दी गयी है।

(v) नगर बसों से पहले लिये जाने वाले अतिरिक्त कर (यात्रीकर) से भी पूर्ण छूट प्रदान किया गया है।

(vi) एन0सी0आर0 राज्यों के मध्य हुए समझौते के अन्तर्गत एन0सी0आर0 क्षेत्र में अनन्य रूप से संचालित होने वाले सी0एन0जी0 चालित मोटर कैब को प्रदेश में लगने वाले कर से पूर्ण छूट प्रदान किया गया है।

(vii) शारीरिक रूप से अशक्त बच्चों के शिक्षा/प्रशिक्षण का कार्य करने वाली संस्थाओं के स्वामित्व वाले वाहनों को भी कर के भुगतान से छूट प्रदान की गयी है।

(viii) उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा–2 के खण्ड (ज्ञ) के अनुसार परिवहन यान से तात्पर्य किसी मालयान या लोक सेवायान से है, तदनुसार उक्त अधिनियम के प्रावधानानुसार शैक्षणिक संस्था के नाम से पंजीकृत यान कराधान के उद्देश्य से गैर परिवहन यान की श्रेणी में आता है। इस प्रकार शैक्षणिक संस्था के नाम पंजीकृत मोटरयानों के सन्दर्भ में उक्त अधिनियम की धारा–4 की उपधारा (1) के अनुसार केवल एक बारीय कर जमा करने की व्यवस्था है। स्कूल एवं फैक्ट्री में अनुबन्धित होकर चलने वाले यानो पर देय कर में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की गयी है।

(ix) अभी तक उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली 1998 के अन्तर्गत समय–समय पर संशोधन किये गये हैं। इसी क्रम में वर्ष 2015 में संशोधन किया गया है, जिसके द्वारा गैर परिवहन यानों के पुनः पंजीयन के समय ग्रीन टैक्स (हरित कर) जमा

कराये जाने का प्राविधान किया गया है। ग्रीन टैक्स की दर ऐसे यान के पंजीयन के समय देय एकबारीय कर का 10 प्रतिशत निर्धारित की गयी है।

(x) वर्ष 2015 में ही गैर परिवहन यानो पर आरोपित किये जाने वाले कर की दरों में भी संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार रू0 40000 तक मूल्य वाली मोटर साइकिलों पर उनके मूल्य का 7 प्रतिशत, रू0 40000 से अधिक मूल्य की मोटरसाइकिलों पर उनके मूल्य का 10 प्रतिशत, अन्य गैर वातानुकूलित वाहनों पर उनके मूल्य का 7 प्रतिशत, रू0 10.00 लाख तक की वातानुकूलित वाहनों पर उनके मूल्य का 8 प्रतिशत तथा रू0 10 लाख से अधिक की वातानुकूलित वाहनों पर उनके मूल्य का 10 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया है।

(xi) वर्तमान में इलेक्ट्रिक व्हैकिल पॉलिसी आ गयी है, जिसके अर्न्तगत उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिये जाने एवं प्रदूषण की रोकथाम के उद्देश्य से औद्योगिक विकास विभाग **"उ0प्र0 इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति–2019"** प्रख्यापित की गयी है। इस नीति के अधीन उ0 प्र0 में विनिर्मित इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) में टू–व्हीलर ईवीज को रोड़ टैक्स में 100 प्रतिशत तथा अन्य ईवीज को रोड़ टैक्स में 75 प्रतिशत की छूट प्रदान किया गया है।

अध्याय–11

सड़क सुरक्षा

1 सड़क सुरक्षा सीधे आम जनमानस से जुड़े होने के कारण सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु परिवहन विभाग कृतसंकल्प है। सड़क सुरक्षा के उपायों एवं सम्बन्धित कार्यों को प्रभावी ढ़ंग से क्रियान्वित करने हेतु राज्य सड़क सुरक्षा नीति, राज्य सड़क सुरक्षा परिषद को पुनर्गठित किये जाने एवं सड़क सुरक्षा कोष के सृजन एवं इस हेतु उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली–2014 बनाये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों से यह दृष्टिगोचर होता है कि गत वर्षो में जहॉ सड़क दुर्घटनाओं व इनमें मृत होने वाले व्यक्तियों में 9–10 प्रतिशत की वृद्धि हो रही थी वहीं विभाग के प्रयासो से वर्ष 2019 में इस संख्या में लगभग स्थिरता प्राप्त हुई है तथा वर्ष 2020 में माह नवम्बर तक 18.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुयी है। प्रदेश में वर्ष 2019 में वर्ष 2018 की तुलना में 42,674/– सड़क दुर्घटनाओं के सापेक्ष 42,572/– सड़क दुर्घटनाएँ तथा 22,164/– व्यक्तियों के सापेक्ष 22,655/– व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इस संख्या में कमी लाने के लिये परिवहन विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग, पुलिस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा शिक्षा विभाग के साथ संयुक्त प्रयास किये जा रहे हैं।

2 सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये प्रदेश सरकार ने 2014 में सड़क सुरक्षा नीति बनायी गयी है जिसमें मोटरवाहन से सम्बन्धित विभागों के द्वारा किये जाने वाले अल्पकालिक, मध्यकालिक, दीर्घकालिक कार्यों का विवरण दिया गया है। सड़क सुरक्षा नीति को लागू करने के लिये फन्ड की कोई कमी न हो इसके लिये वर्ष 2014 में ही "उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष नियमावली–2014" बनायी गयी जिसमें गत वित्तीय वर्ष में पुलिस एवं परिवहन विभाग के द्वारा मोटरवाहन कानून के

उल्लंघन से जमा करायी गयी धनराशि का 50 प्रतिशत बजटरी प्राविधानों के माध्यम से क्रेडिट किये जाने का प्राविधान है। इस कोष को खर्च करने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों की समिति बनायी गयी है। उक्त नियमावली में सड़क सुरक्षा नीति का लागू करने के लिये विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा कोष में बजटरी प्राविधानों द्वारा आवंटित राशि को खर्च किया जाता है। इस प्रकार सड़क पर सुरक्षित यात्रा के लिये प्रदेश सरकार कटिबद्ध है लेकिन इस कार्य में समाज के प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होने की आवश्यकता है जिससे कि वे सड़क पर चलते समय, वे चाहें मोटर से चलें या पैदल या किसी अन्य गैर– मोटरीकृत साधन से, स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों को सुरक्षित रखें।

3 प्रदेष सरकार सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा एक्सप्रेस–वे, राज्य राजमार्गों एवं राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुष लगाने और दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को त्वरित चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु कृत संकल्पित है। सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को कम करने एवं दुर्घटना में घायल एवं मृत व्यक्तियों की संख्या में कमी लाये जाने हेतु मुख्यतः 02 रूपों में प्रयास किये गये हैं:– (1) संस्थागत प्रयास। (2) जागरूकता संबंधी प्रयास। जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

(1) संस्थागत प्रयासः–

सड़क सुरक्षा सेल (लीड एजेंसी) का गठनः–

- मा0 सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के द्वारा प्रदेष स्तर पर परिवहन विभाग के अंतर्गत एक सड़क सुरक्षा सेल (लीड एजेंसी) का गठन परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित किया गया है, जिसमें अपर परिवहन आयुक्त (स0सु0), सहायक परिवहन आयुक्त (स0सु0) तथा सड़क सुरक्षा से संबंधित विभागो यथा–पुलिस, लोक निर्माण, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं षिक्षा विभाग के एक–एक अधिकारी विषेश कार्याधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।

उत्तर प्रदेष राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठनः–

- मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेष राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 01 वर्ष में 02 बैठकों का आयोजन कर सड़क सुरक्षा के प्रति किये जाने वाले प्रयासों की समीक्षा की जाती है तथा आवष्यकतानुसार उनके स्तर से निर्देष दिये जाते हैं।

उच्च स्तरीय समिति एवं कोष प्रबंधन समिति का गठन वर्ष 2014 में किया गयाः–

- मुख्य सचिव, उ0प्र0 की अध्यक्षा में उपर्युक्त समिति कार्य करती है। पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा विगत वर्ष में प्रषमन शुल्क के रूप में जमा कराई गई धनराषि का 50 प्रतिषत अंष कोष प्रबंधन समिति के अंतर्गत बजटरी प्राविधान के माध्यम से प्रतिवर्ष आवंटित कराये जाने की व्यवस्था है।

जिला एवं मण्डलीय सड़क सुरक्षा समितियों का गठनः–

- सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुष लगाये जाने हेतु पूर्व से ही जनपद स्तर पर प्रत्येक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में "जिला सड़क सुरक्षा समिति" वर्ष 1995 से ही गठित है। प्रत्येक वर्ष जिला सड़क सुरक्षा समिति की कम से कम 06 बैठकों का आयोजन कराया जाना होता है तथा बैठकं में लिये गये निर्णयों के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु वर्ष 2015 में प्रत्येक मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में "मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति" का गठन किया जा चुका है, जिसकी वर्ष में कम से कम 04 बैठकों का आयोजन कराया जाना आवष्यक है।

सड़क सुरक्षा नीतिः–

- प्रदेष सरकार द्वारा वर्ष 2014 में सड़क सुरक्षा नीति जारी की गई, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्यवाही की जाती है:–

  सड़क सुरक्षा डाटा बेस की स्थापना–सड़क सुरक्षा डाटा बेस की स्थापना की गयी है, जिसके अंतर्गत पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा सड़क दुर्घटना के विष्लेषण की प्रणाली विकसित की जा रही है। इसके अंतर्गत वर्ड बैंक सहायतार्थ परियोजना भी प्रस्तावित है। सड़क परिवहन एंव

राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार (मोर्थ) के निर्देशन में एक इन्ट्रीग्रेटेड रोड एक्सीडेन्ट डाटा (आई0 रैड) एप्स के द्वारा भी इस दिशा में एडवांस स्तर पर प्रयास किया जा रहा है।

सुरक्षित सड़क की अवस्थापनाः– इसके अंतर्गत लोक निर्माण विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है, जिसमें सड़क के निर्माण संबंधी कमियों को दूर करने की कार्यवाही की जाती है तथा ब्लैक स्पाट्स के सुधारीकरण की कार्यवाही भी करायी जाती है। वर्ष 2017 में 1057 ब्लैक स्पाट्स चिन्हित किये गये हैं, जिनके सुधारीकरण की कार्यवाही संबंधित सड़क निर्माण एजेंसी द्वारा की गई है। पुनः वर्ष 2018 में 1270 ब्लैक स्पाट्स चिन्हित कर लिय गये हैं, जिसके सापेक्ष अल्पकालिक सुधारों को पूर्ण करते हुये दीर्घकालिक सुधारों की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2019 में 1131 तथा वर्ष 2020 में 1110 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किये जाने की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है।

सुरक्षित परिवहन व्यवस्था हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रत्येक मण्डल में एक–एक **ड्राइवर ट्रेनिग इन्स्टीट्यूट** स्थापित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। ड्राइविंग ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट (डी0टी0आई0) की स्थापना/संचालन कन्फडेरेशन आफ इण्डियन इन्डस्ट्रीज (सी0आई0आई0), कौशल विकास विभाग व परिवहन विभाग के मध्य हुये त्रिपक्षीय मेमोरेन्डम आफ अन्डरस्टैडिंग (एम0ओ0यू0) के अनुसार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी भूमि पर सड़क सुरक्षा कोष से की जा रही है। चालकों के प्रषिक्षण हेतु ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सभी मण्डलों में स्थापित किये जाने हैं। वर्तमान में 15 मण्डलीय मुख्यालयों के अंतर्गत यथा–प्रयागराज, अयोध्या, बस्ती, मुरादाबाद, मिर्जापुर, आगरा (मथुरा), मेरठ, अलीगढ़, बरेली, वाराणसी, गोरखपुर, झांसी, आजमगढ़, देवीपाटन (गोण्डा) सहारनपुर (मुजफ्फरनगर) स्थानों पर औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान परिसर में इस केन्द्र के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है तथा शासन के पत्र दिनांक 04.12.2020 द्वारा चित्रकूटधाम मण्डल के जनपद बॉदा में ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के निर्माण हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

लाईसेंसिंग प्रणाली को मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त करने हेतु **आटोमेटिक ड्राइविग टेस्टिंग ट्रैक** का निर्माण कानपुर नगर एवं बरेली में पूर्ण होकर कानपुर में संचालित किया जा रहा है तथा बरेली में संचालन हेतु संस्था के चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसमें मोटर साइकिल एवं हल्के मोटरयानों हेतु ड्राइविंग टेस्टिंग की सुविधा पूर्णतः कम्प्यूटराइज्ड उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त दो अन्य जनपदों–आजमगढ़ व प्रतापगढ़ में ऐसे ही आटोमेटिक ड्राइविग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।

सुरक्षित वाहनः– सड़कों पर चलने वाले वाहन सुरक्षित हो सकें, इसके लिए मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त आटोमैडेट इंस्पेक्षन प्रणाली की स्थापना की जा रही है, जिसमें वाहनों की स्वस्थता की जॉच आधुनिक मशीनों से पूर्णतः कम्प्यूटराइज्ड कराया जायेगा। भारत सरकार के सहयोग से लखनऊ में इंस्पेक्षन एवं सर्टिफिकेषन (आई0 एण्ड सी0) सेंटर निर्मित होकर सितम्बर, 2019 से क्रियाषील है। इसके अतिरिक्त आगरा एवं कानपुर में भी ऐसे सेंटर का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

विष्व बैंक के सहयोग सेः– उत्तर प्रदेष कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत उत्तर प्रदेष सरकार तथा विष्व बैंक के मध्य हुये ऋण अनुबंध योजना के तहत प्रदेश में परिवहन विभाग के माध्यम से सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यों को 04 घटकों में क्रियान्वयन हेतु प्राविधानित किया गया है, जिसके अर्न्तगत 05 जनपदों यथा–बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, गोरखपुर व झॉसी में **इंस्पेक्षन एवं सर्टिफिकेषन** (आई0 एण्ड सी0) सेन्टर की स्थापना का कार्य तथा राज्य की सड़क सुरक्षा नीति का पुनर्गठन व प्रभावी क्रियान्वयन कराया जाना है।

प्रषिक्षण कार्यकमः–सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए सभी मुख्य विभागों यथा–परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों का प्रषिक्षण भी समय–समय पर कराया जाता है।

(2) जागरूकता संबंधी कार्यक्रमः—

- **यातायात सप्ताह का मनाया जानाः—** विगत वर्षों में भारत सरकार के मार्गदर्षन में माह जनवरी में केवल एक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता था, किंतु प्रदेष सरकार के कुषल मार्गदर्षन में विगत वर्ष से उत्तर प्रदेष में प्रत्येक त्रैमास में एक सड़क सुरक्षा सप्ताह अर्थात् एक वर्ष में कम से कम चार सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। अब तक दिनांक 22—06—2020 से 28—06—2020 तक प्रथम , दिनांक—05.10.2020 से 11.10.2020 तक द्वितीय सड़क सुरक्षा सप्ताह तथा तृतीय सड़क सुरक्षा सप्ताह दिनांक— 18.11.2020 से 24.11.2020 तक मनाया गया, जिसके अन्तर्गत जन मानस में सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे—सेमिनार, नुक्कड़ नाटक, बाइकोथॉन, स्टेक होल्डर्स कार्यषाला, सड़क सुरक्षा गोष्ठी, स्कूटर वाहन रैली का आयोजन किया जाता है तथा सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों से संबंधित लीफलेट—पम्फलेट/पॉकेट कैलेन्डर/फोल्डर आदि का वितरण किया जाता है। चतुर्थ सड़क सुरक्षा सप्ताह माह फरवरी, 2021 में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।
- **सड़क सुरक्षा विषयों पर भाषण/निबंध/रंगोली/पेंटिंग/कविता/कहानी/क्विज प्रतियोगिता का आयोजनः—**स्कूल स्तर पर एवं विद्यालय स्तर पर सड़क सुरक्षा से संबंधित विषयों पर निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जाती है। जनपद, मण्डल एवं राज्य स्तर पर प्रथम 03 विजेता विद्यार्थियों सहित 10 विद्यार्थियों को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। इस वर्ष यह प्रतियोगिताएँ कोविड—19 महामारी के दृष्टिगत ऑन—लाइन करायी गयीं है। इसके साथ—साथ स्कूलों में प्रार्थना सभा में यातायात नियमों की प्रतिज्ञा दिलाई जाती है, ताकि यातायात नियमों के प्रति जानकारी स्कूल स्तर से ही विद्यार्थियों को प्राप्त हो सके। स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन हेतु स्कूली वाहनों में यातायात नियमों का पालन हो सके, इस हेतु स्कूल वाहन नियमावली भी प्रख्यापित कर उन पर निरंतर नियंत्रण स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जाती है।
- बेसिक एवं माध्यमिक स्तर पर सड़क सुरक्षा से जुडे विषयों को पाठ्यक्रम में षिक्षा विभाग द्वारा शामिल करा दिया गया है, ताकि सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति बच्चे प्रारंभ से ही जागरूक हो सकें।
- वर्कषॉप/सेमिनॉर एवं नुक्कड़ नाटक के द्वारा समय—समय पर सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा की जाती है।
- पंपलेट, कैलेण्डर एवं अन्य यातायात सामग्री का कुंभ मेला एवं अन्य सार्वजनिक महोत्सवों पर सड़क सुरक्षा नियमों के प्रचार—प्रसार हेतु वितरण किया जाता है।
- एफएम रेडियो, प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के द्वारा यातायात नियमों का प्रचार—प्रसार किया जाता है।
- सिनेमा, मल्टीप्लेक्स एवं विभाग द्वारा संचालित 12 पब्लिसिटी वैन द्वारा यातायात नियमों का ऑडियो—वीडियो माध्यम से लघु फिल्मों के द्वारा प्रचार—प्रसार किया जाता है।
- मैराथन, बाइकोथॉन एवं रैली के माध्यम से यातायात नियमों का प्रचार—प्रसार किया जाता है।
- **उत्तर प्रदेष में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अन्तर्गत वर्ष 2020—21 में (नवम्बर—2020 तक) आयोजित किये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का विवरण—**

क0 सं0	कार्यक्रम का विवरण	कार्यक्रम की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1.	कार्यषाला का आयोजन	150	34353
2.	यातायात नियमों के बारें में षिविर लगाकर जागरूक करना।	150	28549

3.	नुक्कड़ नाटक	265	17283
4.	रिफ्लेक्टर की कार्यवाही	150	31232
5.	स्वास्थ्य षिविर	150	40293
6.	वाइकोथॉन	150	22540
7.	कैंडिल मार्च	150	29255
8.	एफ0एम0 चैनेल द्वारा प्रचार–प्रसार ब्राड कास्ट की संख्या–13200		
9.	लगाये गये होर्डिंग की संख्या–1260		
10.	समाचार पत्रों में विज्ञापन–750		

- यातायात नियमों के प्रति लोगों को अनुषासित एवं जागरूक बनाये जाने हेतु प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही के अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह में किसी भी दो दिवस हेलमेट एवं सीट–बेल्ट के विरूद्ध औचक चेकिंग की कार्यवाही कराई जाती है। इसके साथ–साथ ओवरस्पीडिंग, ड्रंकेन ड्राइविंग एवं वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने वालों के विरूद्ध सभी प्रवर्तन दलों के लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये हैं, जिनके आधार पर प्रभावी कार्यवाही कराई जाती है।
- 06 इण्टरसेप्टर वाहनों द्वारा ओवर स्पीडिंग के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। 311 ब्रेथ–एनालाइजर द्वारा ड्रंकन ड्राइविंग के विरूद्ध कार्यवाही कराई जाती है।

लखनऊ में इंस्पेक्षन एण्ड सर्टिफिकेषन सेंटर की स्थापना

लखनऊ में इन्स्पेक्शन एण्ड सर्टिफिकेशन सेन्टर की स्थापना सम्बन्धी कार्य शासन द्वारा चयनित कार्यदायी संस्था कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0 प्र0 जल निगम द्वारा किया जा रहा है। प्रश्नगत योजना केन्द्रपुरोनिधानित योजना के अर्न्तगत है, जिसकी कुल लागत रू 1262.00 लाख है। इस योजना के अर्न्तगत सिविल कार्य के लिये वर्ष 2014–15 में भारत सरकार द्वारा योजना संचालन हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू0 150.00 लाख तथा सेन्टेज चार्ज के रूप में रू0 32.00 लाख अवमुक्त की गयी है, वर्ष 2015–16 में भारत सरकार द्वारा योजना संचालन हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू0 250.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है तथा वर्ष 2016–17 में रू0 497.76 लाख अर्थात कुल रू 929.76 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासन द्वारा निर्गत की जा चुकी है। जिसे आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को यथा समय उपलब्ध करा दिया गया है। दिनांक 29.05.2019 एवं 30.05.2019 को कार्यदायी संस्था द्वारा संयुक्त रूप से पुर्नालोकन में रोजमार्टा के अधिकारियों एवं आई0 कैट के अधिकारियों द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर अतिरिक्त कार्य की मदों को सम्मिलित करते हुये कार्यदायी संस्था द्वारा रू 1107.98 लाख का पुनरीक्षित आगणन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अन्तर की धनराशि रू 178.22 लाख का बजट प्रावधान राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष रू 66.87 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत सम्बन्धी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस योजना के अतिरिक्त कार्य इसी वित्तीय वर्ष में प्रावधानित धनराशि से पूर्ण होना सम्भावित है।

रायबरेली में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च

चालकों के ट्रेनिंग व रिफ्रेसर प्रषिक्षण हेतु भारत सरकार के सहयोग से जनपद रायबरेली में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च (आई0डी0टी0आर0) निर्माणाधीन है। इन्स्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च (आई0डी0टी0आर0) की स्थापना हेतु शासन के पत्र संख्या 822/30–3–16–64एम/2012, दिनॉक 29.03.2016 के द्वारा कुल रू0 1994.78 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें भारत सरकार द्वारा रू0 1700.00 लाख तथा राज्य सरकार द्वारा रू0 294.78 लाख का व्यय वहन किया जायेगा। भारत सरकार के कुल अंश रू 1700.00 लाख में से वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रथम किस्त रू 150.00 लाख, वित्तीय वर्ष 2016–17 में द्वितीय किस्त रू 500.00 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में तृतीय किस्त रू 500.00 लाख अवमुक्त की जा चुकी है। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा अब तक कुल अवमुक्त की गयी धनराशि रू 1150.00 लाख में से परिवहन विभाग हेतु रू 1144.25 लाख तथा सी0आई0आर0टी0 हेतु रू 5.75 लाख है। भारत सरकार द्वारा सी0आई0 आर0टी0 कों देय धनराशि सीधे उनके पक्ष में अवमुक्त की जाती है। इस प्रकार भारत सरकार से

आई0डी0टी0आर0, रायबरेली हेतु प्राप्त होने वाला अंश रू 550.00 लाख (परिवहन विभाग हेतु रू 547.25 लाख तथा सी0आई0आर0टी0 हेतु रू 2.75 लाख) शेष है।

भारत सरकार के पत्र दिनांक 03.03.2020 द्वारा रू 360.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुयी, जिसमें रू 358.20 लाख परिवहन विभाग हेतु तथा शेष धनराशि रू 1.80 लाख सी0आई0आर0टी0 के लिये है।

आय–व्ययक वर्ष 2021–22 में इन्स्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च (आई0डी0टी0आर0) की स्थापना हेतु रू0 352.98 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत है।

अध्याय–12

परिवहन विभाग की बजटीय व्यवस्था

परिवहन विभाग के अत्यधिक विस्तार के साथ इस बात की आवश्यकता निरन्तर अनुभव की जाती रही है कि यदि मोटरगाड़ी कानूनों का भली–भाँति प्रवर्तन किया जाना है, जनता को अधिकाधिक सुविधायें उपलब्ध करायी जानी है एवं राजस्व अर्जन हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाये जाने हैं, तो परिवहन आयुक्त संगठन का सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए।

1 इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभाग की योजनाओं को प्रथम बार पाँचवी पंचवर्षीय योजना में योजना–अवधि 1974–79 में रू0 58.32 लाख परिव्यय तथा छठी पंचवर्षीय योजना 1980–85 मे रू0 130.00 लाख का परिव्यय निर्धारित किया गया, जिसके सापेक्ष क्रमशः रू0 49.74 लाख तथा रू0 156.15 लाख का व्यय हुआ। सप्तम पंचवर्षीय योजना 1985–90 में रू0 702.67 लाख तथा केन्द्र द्वारा पुनरोनिधानित अन्तर्देशीय जल परिवहन योजना में रू0 50.00 लाख का परिव्यय निर्धारित किया गया। सम्पूर्ण सातवीं पंचवर्षीय योजना–काल में राज्य सेक्टर में बजट प्राविधान रु0 738.37 लाख था, जिसके सापेक्ष रु0 682.08 लाख का व्यय हुआ। अंतर्देशीय जल परिवहन हेतु बजट प्रविधान रु0 14.69 लाख था, जिसके सापेक्ष रु0 14.64 लाख का व्यय हुआ। वर्ष 1990–91 में रू0 100.00 लाख का परिव्यय निर्धारित किया गया। वर्ष 1991–92 में रू0 200.00 लाख (रू0 100.00 लाख पर्वतीय क्षेत्र का सम्मिलित करते हुए) परिव्यय निर्धारित किया गया, जिसके सापेक्ष रु0 90.94 लाख का व्यय हुआ।

2 आठवीं पंचवर्षीय योजनाकाल (1992–97) में मैदानी क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं हेतु सड़क परिवहन (नॉनरोडवेज) हेतु रू0 719.00 लाख निर्धारित परिव्यय के सापेक्ष शासन द्वारा रू0 619.36 लाख का बजट प्राविधान किया गया, जिसके सापेक्ष रू0 555.61 लाख का व्यय किया गया। उत्तराखण्ड क्षेत्र की योजनाओं हेतु रू0 450.00 लाख परिव्यय के सापेक्ष रू0 209.04 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत हुआ, जिसके सापेक्ष रु0 199.16 लाख का व्यय किया गया। अन्तर्देशीय जल परिवहन की (50 प्रतिशत) केन्द्र पुरोनिधानित योजना में रु0 18.00 लाख का प्राविधान स्वीकृत हुआ, जिसके सापेक्षं रु0 7.72 लाख का व्यय हुआ।

3 नवीं पंचवर्षीय योजना–काल 1997–2002 में मैदानी क्षेत्र के विभिन्न योजनाओं हेतु सड़क परिवहन हेतु रु0 13097.00 लाख का परिव्यय निर्धारित किया गया, जिसके सापेक्ष रू0 1204.21 लाख का प्राविधान स्वीकृत हुआ, जिसमें से वर्ष 2001–2002 तक कुल रु0 827.42 लाख का व्यय किया गया। अन्तर्देशीय जल परिवहन योजना, जो 50 प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित थी, में कुल रू0 15.00 लाख के निर्धारित परिव्यय के सापेक्ष रू0 34.00 लाख का प्राविधान स्वीकृत किया गया, जिसके सापेक्ष रू0 15.00 लाख का व्यय किया गया।

4 दसवीं पंचवर्षीय योजनाकाल 2002–03 से 2006–07 तक विभिन्न योजनाओं हेतु सड़क परिवहन के लिए कुल रु0 13,851 लाख का परिव्यय निर्धारित किया गया, जिसके सापेक्ष कुल रु0 2865. 49 लाख का प्रावधान स्वीकृत हुआ तथा वर्ष 2002–03 से वर्ष 2006–07 तक कुल रु0 1884.32 लाख का व्यय किया गया।

5 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2007–2008 से वर्ष 2011–2012 तक विभिन्न योजनाओं हेतु सड़क परिवहन के लिए कुल रु0 4566.99 लाख का परिव्यय निर्धारित किया गया, जिसके सापेक्ष कुल रु0 4195.57 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत हुआ तथा वर्ष 2007–08 से वर्ष 2011–12 तक कुल रु0 3635.93 लाख का व्यय किया गया, जिसका वर्षवार विवरणर निम्न प्रकार है :–

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रमॉक	**वित्तीय वर्ष**	**निर्धारित परिव्यय**	**बजट प्रावधान**	**वास्तविक व्यय**
1.	2007–2008	620.00	620.00	610.15
2.	2008–2009	903.00	903.00	852.35
3.	2009–2010	543.00	540.00	530.36
4.	2010–2011	1500.00	1131.58	667.49
5.	2011–2012	1000.99	1000.99	975.58
	योगः	**4566.99**	**4195.57**	**3635.93**

6 12वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2012–2013 से वर्ष 2016–2017 तक विभिन्न योजनाओं हेतु सड़क परिवहन के लिए कुल रु0 63415.01 लाख का परिव्यय निर्धारित था, जिसके सापेक्ष कुल रु0 83468.26 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत हुआ तथा वर्ष 2012–2013 से वर्ष 2016–2017 तक कुल रु0 60689.71 लाख का व्यय किया गया, जिसका वर्षवार विवरणर निम्न प्रकार है :–

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रमॉक	**वित्तीय वर्ष**	**निर्धारित परिव्यय**	**बजट प्रावधान**	**वास्तविक व्यय**
1.	2012–2013	1699.97	1699.99	1364.29
2.	2013–2014	5037.90	5037.90	1681.40
3.	2014–2015	20653.21	20653.21	18300.07
4.	2015–2016	8968.00	24021.23	21732.82
5.	2016–2017	27055.93	32055.93	17611.13
	योगः	**63415.01**	**83468.26**	**60689.71**

7 प्रमुख सचिव वित्त, उ0 प्र0 शासन के पत्र संख्या 11/2016/बी–1–2818/दस–2016–12 (2)/2017, दिनांक 03.08.2016 जो वित्तीय वर्ष 2017–18 के विभागीय बजट अनुमानों को तैयार किये जाने विषयक है, के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आगामी वित्तीय वर्ष

2017–18 से आय–व्ययक में आयोजनागत एवं आयोजनेतर का वर्गीकरण समाप्त किया जाता है। वित्तीय वर्ष के अनुदान में बजट अनुमान तैयार करते समय राजस्व, पूँजीगत, ऋण एवं अग्रिम के अनुमान आयोजनागत तथा आयोजनेतर पक्ष के अनुमानों को जोड़कर एक ही स्तम्भ में दर्शाये जायें तथा आय–व्ययक अनुमानों को "हजार रूपयों" के स्थान पर "लाख रूपयों" में (दशमलव के दो अंको तक) प्रेषित किये जायें।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थितिः–

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक	वर्ष 2017–2018 हेतु प्रावधानित धनराशि	वास्तविक व्यय
	राजस्व		
1.	2059–लोक निर्माण कार्य–अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रखरखाव	198.91	189.96
2.	2235– सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	24.01	24.00
3.	3055–सड़क परिवहन–अधिष्ठान व्यय मतदेय–	19810.18	16935.10
	भारित–	0.01	0
4.	3055–सड़क परिवहन–संसद सदस्यों की निःशुल्क यात्रा सुविधा के लिए निगम को प्रतिकर का भुगतान	7.00	7.00
5.	3055–सड़क परिवहन–उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष को अन्तरण	5000.00	5000.00
6.	3055–सड़क परिवहन–उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय	1508.89	1462.40
7.	3055–सड़क परिवहन–बाह्य सहायतित योजना– उ0प्र0 कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेन्ट प्रोग्राम	0.01	0
	योग–राजस्व मतदेय–	**26549.00**	**23618.46**
	भारित–	**0.01**	**0**
	पूँजीगत		
1.	4047–अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय–ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना	2497.50	487.55
2.	4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय–सम्भागीय / उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों हेतु भूमि क्रय / भवन निर्माण	2198.72	1638.41
3.	4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय–लखनऊ में इन्स्पेक्शन एण्ड सर्टिफिकेशन सेन्टर की स्थापना	497.76	488.32
4.	5055–सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय–उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय	2993.34	2907.71

5.	5055–सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय–राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूँजी विनियोजन	5000.00	5000.00
	योग–पूँजीगत	**13187.32**	**10521.99**
	कुल योग–राजस्व+पूँजीगत	**39736.32**	**34140.45**
	मतदेय–	**0.01**	**0**
	भारित–		

वित्तीय वर्ष 2018–19 में बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति:–

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक	वर्ष 2018–2019 हेतु प्रावधानित धनराशि	वास्तविक व्यय
	राजस्व		
1.	2059–लोक निर्माण कार्य–अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रखरखाव	500.00	498.23
2.	2059–मोटर एक्सीडेन्ट क्लेम ट्रिब्यूनल भवनों की मरम्मत तथा रखरखाव	75.00	38.43
3.	2235– सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	24.01	19.15
4.	3055–सड़क परिवहन–अधिष्ठान व्यय	20660.39	16395.29
	मतदेय–	0.01	0
	भारित–		
5.	3055–सड़क परिवहन–संसद सदस्यों की निःशुल्क यात्रा सुविधा के लिए निगम को प्रतिकर का भुगतान	12.92	12.91
6.	3055–सड़क परिवहन–उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष को अन्तरण	5000.00	5000.00
7.	3055–सड़क परिवहन–800–अन्य व्यय–03–मोटर एक्सीडेन्ट क्लेम ट्रिब्यूनल	507.25	185.96
8.	3055–सड़क परिवहन–800'अन्य व्यय–05–उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय	1509.20	1034.25
9.	3055–सड़क परिवहन–बाह्य सहायतित योजना–उ0प्र0 कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेन्ट प्रोग्राम	0.01	0
	योग–राजस्व	**28288.78**	**23184.22**
	मतदेय–	**0.01**	**0**
	भारित–		
	पूँजीगत		
1.	4047–अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय–ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं अनुसंधान संस्थान	500.00	497.50

	की स्थापना		
2.	4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय–सम्भागीय/उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों हेतु भूमि क्रय/भवन निर्माण	3179.58	3179.50
3.	5055–सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय–उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय	3491.10	2491.10
4.	5055–सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय–राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूँजी विनियोजन	5000.00	5000.00
	योग–पूँजीगत	**12170.68**	**11168.10**
	कुल योग–राजस्व+पूँजीगत	**40459.46**	**34352.32**
	मतदेय–	**0.01**	**0**
	भारित–		

वित्तीय वर्ष 2019–20 में बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थितिः–

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक	वर्ष 2019–2020 हेतु प्रावधानित धनराशि	वास्तविक व्यय
1	2041–वाहन कर–03–स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान	97.38	72.87
2.	2059–लोक निर्माण कार्य–अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रखरखाव	500.00	488.18
3.	2235– सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	37.51	33.08
4.	3055–सड़क परिवहन–अधिष्ठान व्यय	21902.75	16960.52
	मतदेय–	0.01	0
	भारित–		
5.	3055–सड़क परिवहन–संसद सदस्यों की निःशुल्क यात्रा सुविधा के लिए निगम को प्रतिकर का भुगतान	7.00	6.70
6.	3055–सड़क परिवहन–उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष को अन्तरण	5000.00	5000.00
7.	3055–सड़क परिवहन–800–03–मोटर एक्सीडेन्ट क्लेम ट्रिब्यूनल	2890.25	681.33
8.	3055–सड़क परिवहन–उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय	1509.59	872.43
9.	3055–सड़क परिवहन–बाह्य सहायतित योजना– उ0प्र0 कोररोड नेटवर्क डेवलपमेन्ट प्रोग्राम	0.01	0
	योग–राजस्व	**31944.49**	**24115.11**

	मतदेय–	**0.01**	**0**
	भारित–		
	पूँजीगत		
1.	4047–अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय –ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना	848.03	0
2.	4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय– सम्भागीय/उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों हेतु भूमि क्रय/भवन निर्माण	1455.00	706.81
	5055–सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय–03– 14 मोटर गाड़ियों का क्रय	140.00	83.19
3.	5055–सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय–उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय	3491.10	2855.09
4.	5055–सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय–राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूँजी विनियोजन	5000.00	3742.60
	योग–पूँजीगत	**10934.13**	**7387.69**
	कुल योग–राजस्व+पूँजीगत	**42878.62**	**31502.80**
	मतदेय–	**0.01**	**0**
	भारित–		

वित्तीय वर्ष 2020–21 में बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थितिः–

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक		वर्ष 2020–2021 हेतु प्रावधानित धनराशि	व्यय दिनॉक 30.11.2020 तक
	राजस्व			
1	2041–वाहन कर–03–स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान		106.58	57.86
2	2059–लोक निर्माण कार्य–अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रखरखाव		500.00	0.00
3	2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		24.00	7.50
4	3055–सड़क परिवहन–अधिष्ठान व्यय	मतदेय	19608.29	9861.85
		भारित	0.01	0.00
5	3055–सड़क परिवहन–संसद सदस्यों की निःशुल्क यात्रा सुविधा के लिए निगम को प्रतिकर का भुगतान		7.00	0.00
6	3055–सड़क परिवहन–उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष को अन्तरण		5000.00	0.00
7	3055–सड़क परिवहन–मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल की स्थापना		4160.57	1250.51

8	3055–सड़क परिवहन–उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय	1500.00	58.56
	योग–राजस्व मतदेय	**30906.44**	**11236.28**
	भारित	**0.01**	**0.00**
	पूँजीगत		
1	4047–अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय –इन्स्टीटूयट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च की स्थापना	300.00	0.00
2	4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय–01– कार्यालय भवन–03–सम्भागीय/उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों हेतु भवन निर्माण–24–वृहत निर्माण कार्य	900.00	0.00
3	4059–लखनऊ में आई एण्ड सी0 सेन्टर की स्थापना	178.22	66.87
4	5055–सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय–राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूँजी विनियोजन	2000.00	500.00
5	5055–परिवहन आयुक्त संगठन–मोटर गाड़ियों का क्रय	140.00	0.00
6	5055–सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय–उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय	2500.00	100.00
7	5055–सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय–97–बाह्य सहायतित योजना–9701–सड़क सुरक्षा के अर्न्तगत "उ0प्र0 कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेन्ट प्रोग्राम"	250.00	0.00
	योग–पूँजीगत	**6268.22**	**666.87**
	कुल योग–राजस्व+पूँजीगत मतदेय	**37174.66**	**11903.15**
	भारित	**0.01**	**0.00**

आय–व्ययक वर्ष 2021–22 हेतु प्रस्तावित बजट अनुमान की स्थितिः–

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक	वर्ष 2021–22 हेतु प्रस्तावित धनराशि	वर्ष 2021–22 हेतु प्रावधानित धनराशि
	राजस्व		
1	2041–वाहन कर–03–स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान	–	107.58
2	2059–लोक निर्माण कार्य–अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रखरखाव	710.00	500.00
3	2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	100.00	50.00
4	3055–सड़क परिवहन–अधिष्ठान व्यय मतदेय	29800.94	22858.22
	भारित	0.01	0.01

5	3055–सड़क परिवहन–संसद सदस्यों की निःशुल्क यात्रा सुविधा के लिए निगम को प्रतिकर का भुगतान	7.00	7.00
6	3055–सड़क परिवहन–मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल की स्थापना	5963.50	3761.00
7	3055–सड़क परिवहन–उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष को अन्तरण	6500.00	5000.00
8	3055–सड़क परिवहन–उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय	2500.00	1500.00
9	3055–सड़क परिवहन–बाह्य सहायतित योजनाएँ– उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय	1650.00	200.00
	योग–राजस्व मतदेय	**47231.44**	**33983.80**
	भारित	**0.01**	**0.01**
	पूँजीगत		
1	4047–अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय–800–अन्य व्यय–इन्स्टीटूयट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च की स्थापना	352.98	352.98
2	4047–अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय–800–अन्य व्यय–निर्भया फण्ड के माध्यम से व्हैकिल लोकेशन ट्रैकिंग योजना (केवल राज्यांश हेतु)	616.00	–
3	4047–अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय–केन्द्र पुरोनिधानित योजना–सड़क सुरक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य सहायता प्रोग्राम	0.01	–
4	4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय–01–कार्यालय भवन–051–निर्माण –03–सम्भागीय/उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों हेतु भवन निर्माण–24–वृहत निर्माण कार्य	2210.01	900.00
5	4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय–01–कार्यालय भवन–01–मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के कार्यालयों हेतु–00–23–लधु निर्माण कार्य	200.00	–
6	4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय–लखनऊ में आई एण्ड सी0 सेन्टर की स्थापना	0.01	0.01
7	5055–परिवहन आयुक्त संगठन–मोटर गाड़ियों का क्रय	221.00	50.00
8	5055–सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय–उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय	4000.00	2900.00
9	5055–सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय–800–अन्य व्यय–06–व्हैकिल लोकेशन ट्रैकिंग योजना के संचालन हेतु "निर्भया फण्ड" से प्राप्त केन्दांश के सापेक्ष राज्यांश	–	600.00
10	5055–सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय–97–बाह्य सहायतित योजना–9701–सड़क सुरक्षा के अर्न्तगत "उ0प्र0 कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेन्ट प्रोग्राम"	625.00	250.00

11	5055–सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय–राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूँजी विनियोजन	48242.00	2000.00
	योग–पूँजीगत	**56467.01**	**7052.99**
कुल योग–राजस्व+पूँजीगत	**मतदेय**	**103698.45**	**41036.79**
	भारित	**0.01**	**0.01**

अध्याय–13
आन्तरिक आडिट

परिवहन आयुक्त संगठन में शासनादेश संख्या 7457प0 / तीस–3–120 / जीई75ई–7 / रा0आ0 निधि–23 / 76–77, दिनांक 01.12.1976 द्वारा आडिट अनुभाग का सृजन किया गया। आन्तरिक आडिट अनुभाग के नियंत्रक अधिकारी वित्त नियंत्रक हैं। आन्तरिक आडिट का कार्य मुख्यालय सहित समस्त परिक्षेत्रीय, सम्भागीय एवं उपसम्भागीय परिवहन कार्यालयों पर राजस्व प्राप्तियों एवं व्ययों का सम्परीक्षण करना है। राज्य में विभिन्न विभागो के आन्तरिक आडिट दल शासनादेश संख्या–रा0आ0 ले0प0प्र0 / 2030 / दस–03–दस(112)ए / 2001, दिनॉक 15.01.2003, शासनादेश संख्या–2463 / दस–03–10(112)ए / 2001, दिनॉक 19.05.2003 एवं शासनादेश संख्या–4080 / दस–03–10(112)ए / 2001, दिनॉक 20.10.2003 द्वारा लागू नयी व्यवस्था के अन्तर्गत निदेशक, आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा, उ0प्र0, लखनऊ के अधीन कार्यरत हैं।

आन्तरिक आडिट अनुभाग द्वारा प्रमुख रूप से निदेशक, आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा द्वारा अनुमोदित वार्षिक कैलेण्डर के अनुसार लेखा परीक्षण किया जाता है। आन्तरिक आडिट में उद्घाटित होने वाली आडिट आपत्तियों का निस्तारण शासन स्तर पर गठित आन्तरिक लेखा परीक्षा समिति एवं विभाग स्तर पर गठित आन्तरिक लेखा परीक्षा उप समिति के माध्यम से किया जाता है।

अध्याय–14

परिवहन विभाग की महत्त्वपूर्ण योजनायें

विभाग की महत्त्वपूर्ण प्रस्तावित एवं संचालित योजनायें व कार्य निम्न प्रकार हैं:–

(क) ''परिवहन विभाग की कियान्वित ई–परियोजनाएँ''

1 **वेबबेस्ड वाहन 4.0 व्यवस्था :**

- उत्तर प्रदेष के सभी 76 परिवहन कार्यालयों में क्रियान्वित।

  लाभः–

क– पूरे देश की वाहन पंजीयन व्यवस्था के लिये सिंगल वेब प्लेटफार्म तैयार होना, जिससे चोरी के वाहनों अथवा पंजीयन निरस्त वाहनों के विवरण को रियल टाइम पर ट्रैक करने की सुविधा।

ख– वाहन पंजीयन, फिटनेस, टैक्स पेमेन्ट आदि की सूचना एस0एम0एस0 के माध्यम से वाहन स्वामी को उपलब्ध कराने की सुविधा।

ग– जन सामान्य को परिवहन विभाग की ज्यादा से ज्यादा सेवाएँ ऑन–लाइन माध्यम से प्रदान किये जाने की सुविधा।

घ– 15 सेवाओं हेतु ऑन–लाइन आवेदन एवं डाक्यूमेन्ट अपलोड एवं स्लॉट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध।

2 **वेबबेस्ड सारथी 4.0 व्यवस्था :**

- उत्तर प्रदेष के सभी 77 परिवहन कार्यालयों में क्रियान्वित।

  लाभः–

क– मैनुअल आवेदन की व्यवस्था पूर्णतः समाप्त।

ख– लाइसेन्स सम्बन्धी सभी सेवाएँ ऑन–लाइन।

ग– लाइसेन्स की डुप्लीकेसी को ट्रैक करने की सुविधा।

घ– लर्नर लाइसेन्स ऑन–लाइन प्रिन्ट करने की सुविधा।

3 **मोबाइल एप्प बेस्ड ई–चालान व्यवस्थाः**

- ई–चालान व्यवस्था की शुरूआत करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य।
- उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जून–2017 से शत–प्रतिशत क्रियान्वित।

लाभः–

क– एप्प के माध्यम से अभियोग का आरोपण तथा पेनाल्टी का आगणन।

ख– वाहन 4.0 डाटाबेस से वाहन का विवरण प्राप्त करने की व्यवस्था।

ग– चालान होने पर सम्बन्धित अभियोग की "वाहन 4.0/सारथी 4.0" डाटाबेस में स्वतः दर्ज होने की व्यवस्था।

घ– वाहन स्वामी अथवा चालकों को भी अपने चालान से सम्बन्धित विवरण को ई–चालान वेबसाइट www.echallanweb.in पर देखने की व्यवस्था।

ड़– ई–चालान को ऑन–लाइन भुगतान करने की सुविधा।

4 आनलाइन परमिट व्यवस्था :

- यह व्यवस्था लागू करने वाला प्रदेश हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेष देष का दूसरा राज्य।
- परमिट संबंधी 6 सेवाओं–नया परमिट, डुप्लीकेट परमिट, परमिट नवीनीकरण, अस्थायी परमिट, स्पेषल परमिट, नेषनल परमिट आथराइजेषन नवीनीकरण में आनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध।

लाभः–

क– परमिट की व्यवस्था पारदर्शी व सरल।

ख– कार्यालय आने से वाहन स्वामी को मुक्ति।

ग– आवेदको के समय व धन की बचत।

घ– आवेदन व शुल्क जमा करने हेतु लाइन में लगने से मुक्ति।

ड़– किसी भी समय एवं कहीं से भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध।

5 कामन सर्विस सेन्टर्स के माध्यम से विभागीय सेवाऍ आम जनमानस को उपलब्ध कराना :

- विभाग की कुल 25 ऑन–लाइन सेवाएँ आम जनमानस को कामन सर्विस सेन्टर्स– जनसेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई–सुविधा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध।
- मात्र 20 रूपये शुल्क देकर ऑन–लाइन आवेदन का लाभ।
- व्यवस्था का ज्यादा लाभ ऐसे लोगों को, जिनके पास न तो कम्प्यूटर है और न ही किसी प्रकार की नेट बैंकिंग या एटीएम कार्ड/क्रेडिट कार्ड की सुविधा है।
- वाहन तथा ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित समस्त ऑनलाइन सेवाओं में आवेदन तथा फीस पेमेन्ट ऑन–लाइन माध्यम से करने की व्यवस्था शत–प्रतिषत लागू।

6 वाहन पंजीयन हेतु ऑन–लाइन डीलर प्वाइंट व्यवस्था में डाक्यूमेंट मैनेजमेन्ट सिस्टम लागू किया जाना :

- नए व्यावसायिक (बिल्ट बाडी युक्त) तथा समस्त प्रकार के गैर व्यावसायिक वाहनों के पंजीयन के समय डीलर द्वारा वाहन पंजीयन के लिए आवष्यक प्रपत्र को डिजिटल सिग्नेचर सहित ऑन–लाइन अपलोड की व्यवस्था।
- प्रदेष के समस्त जनपदों में डीलर प्वाइंट पर डाक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम शत–प्रतिषत लागू।
- डीलर द्वारा परिवहन कार्यालयों को फिजिकल पत्रावली प्रेषण की व्यवस्था समाप्त।

लाभः–

क– फिजिकल फाइल आर0टी0ओ0 कार्यालय में ले जाने से मुक्ति।

ख– आर0 सी0 डिलीवरी में कम समय लगना।

ग– आर0 सी0 रिकार्ड रखने की समस्या से निदान।

घ– डीलर एवं आर0टी0ओ0 के बीच में मानवीय हस्तक्षेप की समाप्ति।

7 ऑन–लाइन ट्रेड सर्टिफिकेट जारी करने की व्यवस्थाः

- वाहन डीलरों को ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त करने की पूर्णतः ऑन–लाइन व्यवस्था प्रदेश के सभी जनपदों में लागू।
- प्रदूषण जॉच केन्द्र का संचालन करने वाले इच्छुक व्यक्तियों को कार्यालय आने की आवश्यकता समाप्त।
- समस्त कार्यवाही ऑन–लाइन उपलब्ध।

लाभः–

क– पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में 11 जनवरी 2020 से लखनऊ जनपद में आरम्भ।

ख– वर्तमान में प्रदेश के सभी जनपदों में क्रियान्वित।
ग– डीलर्स को ऑनलाइन आवेदन कर ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त करने की सुविधा।
घ– डीलर्स/आवेदको को कार्यालय आने की आवष्यकता समाप्त।

8 ऑन–लाइन प्रदूषण प्रमाण–पत्र निर्गमन व्यवस्थाः

- पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लखनऊ के एक प्रदूषण जांच केन्द्र पर यह व्यवस्था 20 फरवरी, 2019 से प्रारम्भ हुई।
- 06 मार्च, 2019 से मण्डलीय मुख्यालय एवं एनसीआर वाले जनपदों में चरणवार क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया।
- वर्तमान में प्रदेश के समस्त प्रदूषण जांच केन्द्रों में ऑनलाइन प्रदूषण प्रमाण–पत्र व्यवस्था लागू।

लाभः–

क– प्रदूषण प्रमाण–पत्र निर्गमन में पारदर्शिता।
ख– प्रदूषण प्रमाण–पत्र के सही अथवा गलत होने की ऑन–लाइन जॉच किये जाने की सुविधा।
ग– प्रदूषण जॉच के समय वाहन प्रस्तुत होने पर ही प्रदूषण प्रमाण–पत्र निर्गमन की व्यवस्था।

9 वीआईपी नम्बरों की बुकिंग हेतु ई–ऑक्षन व्यवस्थाः

- पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लखनऊ टी0पी0 नगर में जनवरी, 2019 के अंतिम सप्ताह में प्रारम्भ।
- 06 मार्च, 2019 से प्रदेश में चरणवार ढंग से क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया।
- वर्तमान में प्रदेश के समस्त जनपदों में वी0आई0पी0 नम्बरों की बुकिंग हेतु ई–ऑक्शन व्यवस्था शत–प्रतिशत क्रियान्वित।

लाभः–

क– ई–नीलामी प्रक्रिया में वी0आई0पी0 नम्बर बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता।
ख– ई–नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ होने से विभाग के राजस्व में बढ़ोत्तरी।

10 नम्बर पोर्टबिल्टी की व्यवस्थाः–

- पुराने वाहनों के पसंदीदा पंजीयन चिन्हों को नये वाहनों में तथा नये वाहनों का पंजीयन चिन्ह पुराने वाहनों मे पोर्ट कराने की सुविधा।

लाभः–

क– पुराने वाहनों के पसंदीदा नम्बरों को नये वाहन में पोर्ट कराने की सुविधा।
ख– राज्य को फीस के रूप में विभाग के राजस्व में बढ़ोत्तरी।

11. ऑनलाइन फिटनेस व्यवस्थाः

- पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बाराबंकी कार्यालय में दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 से प्रारम्भ।
- 06 मार्च, 2019 से प्रदेश के समस्त संभागीय कार्यालय एवं एनसीआर के समस्त परिवहन कार्यालयों (कुल 25 कार्यालय) में इस व्यवस्था को प्रारम्भ किया गया।
- प्रदेश के सभी जनपदों में ऑनलाइन फिटनेस व्यवस्था दिनांक 11.04.2019 से शत–प्रतिषत क्रियान्वित।

लाभः–

क– वाहन स्वामियों को ही अपने वाहन के फिटनेस जॉच की तिथि के चयन का अवसर प्राप्त।
ख– एक वर्ष पूर्व फिटनेस जॉच तिथि की निर्धारण व्यवस्था समाप्त।
ग– फिटनेस जॉच तिथि एवं फीस पेमेन्ट की ऑन–लाइन व्यवस्था से कार्यालय के कार्यभार में कमी।
घ– ऑन–लाइन व्यवस्था सरल व पारदर्शी।

12. आवश्यक दस्तावेजों का ऑन–लाइन प्रिन्ट प्राप्त करने की सुविधाः

- वाहन की पंजीयन पुस्तिका, फिटनेस, परमिट व ड्राइविंग लाइसेन्स का प्रिन्ट parivahan.gov.in पर प्राप्त करने की सुविधा।

लाभः—

क— आवेदक को तत्काल डाक्यूमेन्ट का प्रिन्ट प्राप्त होगा।

ख— आवेदक का कार्य पूर्ण हो जाने की जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

ग— मूल प्रपत्र प्राप्त होने तक आवेदक ऑन—लाइन प्रिन्ट प्राप्त कर रख सकता है।

13. वाहन लोकेशन ट्रैकिंग योजनाः—

- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा व्हैकिल लोकेशन ट्रैकिंग योजना के संचालन हेतु स्थापित निर्भया फण्ड के माध्यम से बजट का प्रावधान किया गया है। मंत्रालय के पत्र संख्या आर0टी0—16011/1/2018—टी, दिनांक 15.01.2020 के साथ जारी गाइड लाइन के टेबल—1 के अनुसार उक्त योजना हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के लिये अनुमानित व्यय रू 1540.00 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसमें केन्द्र सरकार का अंश 60 प्रतिशत अर्थात रू 924.00 लाख तथा राज्य सरकार का अंश 40 प्रतिशत अर्थात रू 616.00 लाख है।
- कार्यदायी संस्था दिल्ली इन्टीग्रेटेड मल्टी—माडल ट्रान्जिट सिस्टम (डी0आई0एम0टी0एस0) को योजना के कियान्वयन हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट नियुक्त किया गया है।
- दिल्ली इन्टीग्रेटेड मल्टी—माडल ट्रान्जिट सिस्टम द्वारा कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल रूम विकसित किये जाने का कार्य प्रगति पर है।

लाभः—

क— प्रदेश में सुरक्षा एवं नियंत्रण के दृष्टिगत सभी सार्वजनिक सेवायानो एवं नेषनल परमिट से आच्छादित भार वाहनों में व्हैकिल लोकेषन एण्ड ट्रैकिंग डिवाइस लगाये जाने की योजना है।

ख— योजनान्तर्गत परिवहन आयुक्त कार्यालय में एक कमान्ड व कन्ट्रोल सेन्टर की स्थापना की जायेगी, जिसके माध्यम से उक्त श्रेणी के वाहनों की लोकेशन पर नजर रखी जा सकेगी।

ग— योजना से वाहनों में लगाये गये पैनिक बटन के सिग्नल को इमरजेन्सी रिस्पोन्स सिस्टम से इन्टीग्रेट करने का प्राविधान भी किया गया है।

14. प्रदूषण जॉच केन्द्र स्थापित करने के लिये नये आवेदन/नवीनीकरण की ऑन—लाइन सुविधाः

- प्रदूषण जॉच केन्द्रो की स्थापना हेतु प्राधिकार—पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदकों को ऑन—लाइन आवेदन की सुविधा जनवरी 2020 से उपलब्ध।

लाभः—

क— आवेदको को ऑन—लाइन आवेदन/डाक्यूमेन्ट अपलोड करने की सुविधा।

ख— आवेदको को प्राधिकार—पत्र का ऑन—लाइन प्रिन्ट प्राप्त करने की सुविधा।

ग— आवेदको को कार्यालय आने की आवश्यकता समाप्त।

15. पसंदीदा पंजीयन चिन्ह के आरक्षण की ऑन—लाइन सुविधाः

- आवेदको को फैन्सी पंजीयन चिन्ह के अतिरिक्त किसी भी पंजीयन चिन्ह के आरक्षण की ऑन—लाइन सुविधा उपलब्ध।
- फैन्सी पंजीयन चिन्ह आबंटित न होने की दशा मे वैकल्पिक पंजीयन चिन्हों के आरक्षण की सुविधा।
- फैन्सी पंजीयन चिन्हों के लिये निर्धारित आधार मूल्य से कम मूल्य पर पसंदीदा पंजीयन चिन्हों के आरक्षण की सुविधा।

लाभः—

क— फैन्सी पंजीयन चिन्ह के अतिरिक्त किसी भी पंजीयन चिन्ह के आरक्षण की पारदर्शी ऑन—लाइन व्यवस्था।

ख— विभाग के राजस्व में बढ़ोत्तरी।

16. आवेदकों को विभागीय सेवाएँ एन्ड टू एन्ड उपलब्धः

- नया परमिट, परमिट की द्वितीय प्रति एवं विवाह के अवसर पर जारी होने वाले स्पेशल परमिट को प्राप्त करने हेतु एन्ड टू एन्ड सुविधा प्रदान कर दी गयी है।
- प्रदूषण जॉच केन्द्र स्थापित करने के लिये आवेदन/नवीनीकरण की सुविधा एन्ड टू एन्ड उपलब्ध है।

लाभः—

क–आवेदकों को ऑन–लाइन आवेदन कर फीस भुगतान की सुविधा।
ख–आवेदकों को कार्यालय आने की आवश्यकता समाप्त।
ग–आवेदक को परमिट ऑन–लाइन प्रिन्ट प्राप्त करने की सुविधा।

(ख) संभागीय/उप संभागीय परिवहन कार्यालयों का भवन निर्माणः–

परिवहन विभाग अपने विभागीय कार्य–कलापों को वर्तमान में 19 संभागीय कार्यालयों, 58 सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों (लखनऊ तथा वाराणसी जनपद के विस्तार–पटल को सम्मिलित करते हुए) एवं लखनऊ स्थित परिवहन आयुक्त कार्यालय/प्रदेश मुख्यालय के माध्यम से संपादित करता है। विभाग में इन कार्यों के सम्पादन हेतु कुल अपने 57 शासकीय कार्यालय भवन उपलब्ध है। 01 कार्यालय भवन (गोरखपुर) में कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिस पर कब्जा प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार 58 शासकीय कार्यालय भवन उपलब्ध है तथा 20 कार्यालय किराये के भवनों में संचालित हैं।
वित्तीय वर्ष 2020–21 में संभागीय परिवहन कार्यालय आजमगढ़ में सारथी हॉल सहित कार्यालय भवन के निर्माण हेतु चयनित कार्यदायी संस्था का लागत आगणन संलग्न कर शासन को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत हेतु प्रस्ताव प्रेषित है। इसके अतिरिक्त दो नये संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों में सारथी हॉल सहित कार्यालय भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में बजट प्रावधान स्वीकृत किया गया है, जिससे सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों –शामली एवं पीलीभीत के भवन निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था चयन सम्बन्धी प्रस्ताव शासन के स्वीकृतार्थ प्रेषित हैं। 02 कार्यालयों–बरेली एवं गाजीपुर के भवन निर्माण हेतु जिला प्रशासन द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी गयी है।
विभाग के कम्प्यूटरीकरण तथा स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस आदि के दृष्टिगत विभाग को शासकीय भवनों की आवश्यकता है क्योंकि इस कार्य हेतु महंगे उपकरण यन्त्र एवं संयन्त्र लगाये जाते हैं। किराये के भवनों में कम्प्यूटरीकरण कार्य हेतु पर्याप्त स्थान की अनुउपलब्धता है।
वित्तीय वर्ष 2020–21 में सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में सारथी हॉल सहित कार्यालय भवन के निर्माण हेतु रू0 600.00 लाख तथा पूर्व निर्मित शासकीय कार्यालय भवनों में सारथी हॉल के निर्माण हेतु रू 300.00 लाख अर्थात कुल 900.00 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत है, जिनका संक्षेप में विवरण निम्नवतः–

(i) <u>चालू कार्य–</u>

सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में सारथी हाल का निमार्णः– वर्ष 2020–21 में संभागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय–सीतापुर, फिरोजाबाद, कानपुर–देहात, बागपत, औरैया एवं अन्य दो पूर्व निर्मित कार्यालयों में सारथी हाल के निमार्ण कार्य हेतु रू0 300.00 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत है। स्वीकृत बजट प्रावधान के सापेक्ष सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी–फिरोजाबाद में निर्माणाधीन सारथी हॉल के निर्माण हेतु पुनरीक्षित लागत आगणन की प्रशासकीय स्वीकृति एवं पुनरीक्षित लागत की अन्तर धनराशि रू 22.69 लाख का प्रस्ताव शासन के स्वीकृतार्थ प्रेषित है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्वीकृत किये गये 02 सारथी हॉल– कुशीनगर की अनुमोदित लागत रू 223.24 लाख एवं जालौन की अनुमोदित लागत रू 219.84 लाख में से प्रथम किश्त के रूप रू 115.00 लाख प्रति कार्यालय की दर से रू 230.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।
आय–व्ययक वर्ष 2021–22 हेतु संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों (सीतापुर, फिरोजाबाद, कानपुर देहात, बागपत, औरैया एवं अन्य दो पूर्व निर्मित) में सारथी हॉल का निर्माण योजना के अर्न्तगत प्रतीक प्रावधान **रू 0.01 लाख** कराया जाना प्रस्तावित है।

सम्भागीय परिवहन कार्यालय, आज़मगढ़–आयुक्त आजमगढ़ के पत्र संख्या 2365(1)/08–12 (2017–2020) प्र0सहा0, दिनांक 19.09.2019 के द्वारा भूमि जिसका क्षेत्रफल 2.024 हेक्टेयर है, आबंटित की गयी है। भूमि का सीमांकन भी दिनांक 20.10.2019 को कराकर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), आजमगढ़ को कब्जा प्राप्त करा दिया गया है। प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था यू0पी0 सिड़को नामित है।
वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु रू 200.00 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष शासन के पत्र दिनांक 29.12.2020 द्वारा वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

आय–व्ययक वर्ष 2021–22 में उक्त निर्माण कार्य हेतु रू 300.00 लाख की आवश्यकता अनुमानित है, जिसका बजट प्रावधान कराये जाने के प्रस्ताव पर **रू 200.00 लाख** बजट स्वीकृत किया गया है।

सम्भागीय परिवहन कार्यालय, कानपुर में भूमि क्रय एवं भवन निर्माण–सम्भागीय परिवहन कार्यालय, कानपुर हेतु भूमि क्रय एवं भवन निर्माण कार्य हेतु वर्ष 2019–20 में रू0 500.00 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत किया गया, स्वीकृत धनराशि से भूमि क्रय हेतु बकाया धनराशि रू 158.66 लाख का भुगतान कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर को दिनांक 28.06.2019 को किया जा चुका है, शेष धनराशि शासन को समर्पित कर दी गयी।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु रू 200.00 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत है। स्वीकृत बजट प्रावधान के सापेक्ष शासन के पत्र दिनांक 09.09.2020 के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या जी–166ए/2020–96ए/2013, दिनांक 28.09.2020 द्वारा कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर से क्रय की गयी भूमि की रजिस्ट्री हेतु संभागीय परिवहन अधिकारी, कानपुर को अधिकृत करने तथा प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था नामित करने विषयक प्रस्ताव शासन को प्रेषित है। प्रावधानित धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना अनुमानित है।

आय–व्ययक वर्ष 2021–22 में उक्त निर्माण कार्य हेतु **रू 200.00 लाख** बजट स्वीकृत किया गया है।

सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, शामली– जिलाधिकारी शामली के आदेश संख्या 2410/डीएलआरसी/2015–16, दिनॉक 12.01.2016 के द्वारा क्षेत्रफल 5526.12 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय के भवन निर्माण हेतु आबंटित की गयी। जिलाधिकारी, शामली द्वारा आबंटित की गयी भूमि का कब्जा तहसीलदार, शामली ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), शामली को दिनांक 23.01.2016 को प्राप्त करा दिया गया है।

प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु शासन के पत्र दिनांक 04.12.2020 द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। चयनित कार्यदायी संस्था से कार्य की लागत का आगणन प्राप्त करने विषयक कार्यालय का पत्र दिनांक 09.12.2020 प्रेषित किया गया है। इस कार्य हेतु प्रावधानित धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2020–21 मे किया जाना अनुमानित है।

आय–व्ययक वर्ष 2021–22 में उक्त निर्माण कार्य हेतु **रू 300.00 लाख** की आवश्यकता अनुमानित है, जिसका बजट प्रावधान कराया जाना प्रस्तावित है।

सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, पीलीभीत– जिलाधिकारी, पीलीभीत के आदेश संख्या 71(4)/डी0एल0आर0सी0/2014, दिनांक 21.05.2015 द्वारा क्षेत्रफल 0.980 हेक्टेयर (9800 वर्ग मीटर) निःशुल्क भूमि सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, पीलीभीत के भवन निर्माण हेतु आवंटित की गयी। आबंटित की गयी भूमि तहसील पीलीभीत के भू–लेखो (खतौनी) में दर्ज है। जिलाधिकारी, पीलीभीत द्वारा आबंटित की गयी भूमि का कब्जा तहसीलदार, पीलीभीत ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), पीलीभीत को दिनांक 01.06.2015 को प्राप्त करा दिया गया है।

प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु शासन के पत्र दिनांक 29.12.2020 द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। चयनित कार्यदायी संस्था से कार्य की लागत का आगणन प्राप्त करने विषयक कार्यालय का पत्र दिनांक 31.12.2020 प्रेषित किया गया है। इस कार्य हेतु प्रावधानित धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2020–21 मे किया जाना अनुमानित है।

आय–व्ययक वर्ष 2021–22 में उक्त निर्माण कार्य हेतु **रू 300.00 लाख** की आवश्यकता अनुमानित है, जिसका बजट प्रावधान कराया जाना प्रस्तावित है।

(ii) नये कार्य–

सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में सारथी हाल का निमार्णः–इस योजना हेतु पूर्व में स्वीकृत किये गये निर्मित शासकीय कार्यालय भवनों में सारथी हॉल के निर्माण कार्य एवं उनके सापेक्ष स्वीकृत लागत के सापेक्ष प्रावधानित बजट से कार्य पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

गत वर्षो की भॉति ही आय–व्ययक वर्ष 2021–22 में भी पूर्व निर्मित कार्यालय भवनों में से 02 अन्य संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों में नवीन सारथी हॉल का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है, जिनके निर्माण कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में **रू 250.00 लाख** की आवश्यकता अनुमानित है, जिसका बजट प्रावधान नयी मॉग के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है।

सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में सारथी हॉल सहित कार्यालय भवन का निर्माणः–

सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, गाजीपुर–मण्डलायुक्त, वाराणसी के पत्र संख्या 604/8–53(2015–2018) रा0स0, दिनॉक 30.11.2018 के द्वारा जनपद गाजीपुर में ग्राम अरसदपुर, परगना

व तहसील गाजीपुर में खाता संख्या 00724 (जमीन बंजर) क्षेत्रफल 1.3975 हेक्टेयर निःशुल्क भूमि उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, गाजीपुर के भवन निर्माण हेतु आवंटित की जा चुकी है।

आय–व्ययक वर्ष 2021–22 में उक्त निर्माण कार्य हेतु प्रथम किशत के रूप में **रू 200.00 लाख** की आवश्यकता अनुमानित है, जिसका बजट प्रावधान नयी मॉग के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है।

सम्भागीय परिवहन कार्यालय, बरेली–जिलाधिकारी, बरेली के भूमि आबंटन आदेश संख्या 376 / सात–डी0एल0आर0सी0 / 2016, दिनांक 09.02.2016 द्वारा परिवहन विभाग को ग्राम–परसाखेड़ा, परगना व तहसील–बरेली, जिला–बरेली में भूखण्ड संख्या 307 मि0 एवं 309मि0 क्षेत्रफल 12000 वर्ग मीटर की भूमि का आबंटन किया गया है, जो तहसील बरेली के भू–लेखो (खतौनी) में परिवहन विभाग के नाम दर्ज है। जिलाधिकारी, बरेली द्वारा आबंटित की गयी भूमि का कब्जा तहसीलदार, बरेली ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बरेली को दिनांक 03.03.2016 को प्राप्त करा दिया गया है।

संभागीय परिवहन अधिकारी, बरेली ने अपने पत्र दिनांक 22.07.2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त आबंटित भूमि 12000 वर्ग मीटर में से ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक के निर्माणोपरान्त लगभग 7700 वर्ग मीटर भूमि रिक्त है। रिक्त भूमि पर सारथी हॉल सहित कार्यालय भवन का निर्माण 2500 वर्ग मीटर भूमि पर कराये जाने के उपरान्त लगभग 5200 वर्ग मीटर भूमि अन्य विभागीय कार्यो हेतु प्रयोग में लायी जा सकती है।

आय–व्ययक वर्ष 2021–22 में उक्त निर्माण कार्य हेतु प्रथम किशत के रूप में **रू 300.00 लाख** का बजट प्रावधान नयी मॉग के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है।

संक्षेप में शासकीय भवनों में संचालित क्षेत्रीय कार्यालयों एवं सारथी हॉल का विवरण निम्न तालिका में प्रदर्शित किया जा रहा हैः–

विषय	संभागीय परिवहन कार्यालय	उप संभागीय परिवहन कार्यालय	**योग**
कार्यालयों की कुल संख्या	**19**	**58** (लखनऊ एवं वाराणसी के विस्तार पटल को सम्मिलित करते हुए)	**77**
भवन जिनमें कार्यालय स्थापित हैं।	15–लखनऊ, कानपुर, झॉसी, आगरा, प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़ वाराणसी, मिर्जापुर बस्ती एवं देवीपाटन–गोण्डा।	41–फिरोजाबाद, श्रावस्ती, महोबा, कुशीनगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, उरई, हरदोई, फतेहपुर, इटावा, बागपत, अमरोहा, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, संतरबिदासनगर, कानपुर–देहात, कौशाम्बी, संतकबीरनगर, महराजगंज, बलिया, हाथरस, सीतापुर, ललितपुर, सोनभद्र, अम्बेडकरनगर, औरैया, बदायूॅ, मथुरा, मऊ, कासगंज, रायबरेली, उन्नाव, एटा, कन्नौज, बिजनौर, लखीमपुर, अमेठी मुजफ्फरनगर, शाहजहॉपुर एवं प्रतापगढ़।	56
निर्माण कार्य प्रगति पर है।	01–गोरखपुर		01
भूमि प्राप्त कार्यालयों की संख्या।	02– आजमगढ़, बरेली (आजमगढ़ में कार्यालय भवन निर्माण हेतु वर्ष 2020–21 में धनराशि	03– पीलीभीत, शामली, गाजीपुर (पीलीभीत व शामली में कार्यालय भवन निर्माण हेतु वर्ष 2020–21 में धनराशि प्रावधानित है)।	05

	प्रावधानित है)।		
भूमि अप्राप्त कार्यालयों की संख्या।	01– चित्रकूटधाम–बॉदा।	14–मैनपुरी, बुलन्दशहर, चन्दौली, जौनपुर, देवरिया, हमीरपुर, चित्रकूट, रामपुर, सम्भल, फर्रूखाबाद, हापुड, गौतमबुद्धनगर विस्तार पटल–लखनऊ एवं वाराणसी विस्तार पटल (जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा भवन आवंटित)।	15
कार्यालय भवन जिसमें सारथी हॉल निर्मित/ निर्माणाधीन है।	11–लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद,देवीपाटन–गोण्डा अयोध्या, मुरादाबाद, अलीगढ़ वाराणसी, ।	11–लखीमपुर, हाथरस, अमेठी, मुजफ्फरनगर, सीतापुर, फिरोजाबाद, बागपत, कानपुर–देहात, औरैया, कुशीनगर एवं जालौन।	22

मुख्यालय के मुख्य भवन के पीछे स्टैण्ड हटाकर स्थायी वाहन पार्किंग तथा रिकार्ड रूम आदि का निर्माण–मुख्यालय के वर्तमान भवन में निर्मित वाहन पार्किंग शेड के स्थान पर भूतल पर स्थाई वाहन पार्किंग तथा प्रथम/द्वितीय तल पर रिकार्ड रूम के निर्माण, सभा कक्ष का विस्तार, अधिकारियों के बैठने हेतु अतिरिक्त कमरों का निमार्ण, कार्यालय हेतु कैन्टीन आदि का निर्माण कराया जाना अति–आवश्यक है। मुख्यालय पर दिन–प्रतिदिन बढ़ते हुए अभिलेखों को सुरक्षित रखने तथा मुख्यालय पर आयोजित बैठकों में समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों के आ जाने से वर्तमान में बने मीटिंग हॉल में स्थान कम होने के कारण उसे बड़ा करने तथा अधिकारियों/कर्मचारियों के वाहनों को सुरक्षित रखा जा सकेगा। इस कार्य हेतु लगभग 800.00 लाख का व्यय अनुमानित है।
आय–व्ययक वर्ष 2021–22 में प्रश्नगत कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप मे **रू0 360.00 लाख** की आवश्यकता अनुमानित है, जिसका बजट प्रावधान नई मॉग के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है।

इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2021–22 उक्त चालू एवं नये कार्यो हेतु निम्न प्रकार धनराशि की आवश्यकता है:–

<u>चालू कार्य हेतु</u> (धनराशि लाख रूपये में)

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	वर्ष 2021–22 के लिए प्रस्तावित धनराशि
1	पूर्व से निर्मित सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय में सारथी हॉल का निर्माण	0.01
2	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, आज़मगढ़ में सारथी हाल सहित भवन निर्माण	300.00
3	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, कानपुर का भवन निर्माण	200.00
4	सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, शामली में सारथी हाल सहित भवन निर्माण	300.00
5	सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, पीलीभीत में सारथी हाल सहित भवन निर्माण	300.00
	योग	**1100.01**

<u>नये कार्य हेतु</u>

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	वर्ष 2021–22 के लिए प्रस्तावित धनराशि
1	दो अन्य निर्मित संभागीय / सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय में सारथी हॉल का निर्माण	250.00
2	सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, गाजीपुर में सारथी हाल सहित भवन निर्माण	200.00
3	परिक्षेत्रीय / सम्भागीय परिवहन कार्यालय, बरेली में सारथी हाल सहित भवन निर्माण	300.00
4	मुख्यालय के मुख्य भवन के पीछे स्टैण्ड हटाकर स्थायी वाहन पार्किंग तथा रिकार्ड रूम आदि का निर्माण	360.00
	योग	**1110.00**
	(चालू+नये कार्य) कुल योग	**2210.01**

आय–व्ययक वर्ष 2021–22 में उक्त तालिका में दर्शाये गये कार्यो हेतु **रू0 2210.01 लाख़** की आवश्यकता अनुमानित है, जिसका बजट प्रावधान कराया जाना प्रस्तावित है।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के कार्यालयों हेतु लधु निर्माण कार्यः–माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जनहित याचिका संख्या–4215 / 2018 में पारित निर्णय दिनांक 27.11.2018 के अनुपालन में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–165 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से सम्बन्धित मामलों के निस्तारण के लिए अधिसूचना संख्या–77 / तीस–3–2019, दिनांक 09.01.2019 द्वारा 71 जनपदों में कुल 75 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जिसके क्रम में लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर–नगर एवं मेरठ में दो–दो मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं अन्य जनपदों में एक–एक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के कार्यालय को क्रियान्वित / संचालित किया जा रहा है। इन अधिकरणों को ज्यादातर अप्रयुक्त शासकीय भवनों में स्थापित किये जाने के कारण इनमें लघु निर्माण कार्य की आवश्यकता है।
अतः आय–व्ययक वर्ष 2021–22 में प्रश्नगत लघुनिर्माण कार्य हेतु **रू 200.00 लाख** का बजट प्रावधान नयी मॉग के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है।

परिवहन आयुक्त कार्यालय में मोटर गाड़ियों का क्रयः–वित्तीय वर्ष 2020–21 में मोटरगाड़ियों के क्रय हेतु रू0 140.00 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष कार्यालय के पत्र दिनॉक 04.12.2020 द्वारा (07 महेन्द्रा बोलेरों जीपें तथा 07 मारूति सियाज कारें) 14 वाहनों के प्रतिस्थापन हेतु रू 105.34 लाख का प्रस्ताव शासन के स्वीकृतार्थ प्रेषित है तथा शेष धनराशि के सापेक्ष प्रस्ताव प्रेषण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रावधानित धनराशि का सम्पूर्ण व्यय वित्तीय वर्ष के अन्त तक किया जाना अनुमानित है।
परिवहन आयुक्त संगठन हेतु कुल 127 शासकीय वाहन स्वीकृत हैं, जिसमें से 12 वाहनें नीलाम की जा चुकी है। 12 वाहनें निष्प्रयोज्य घोषित की जा चुकीं हैं, जिसकी नीलामी के उपरान्त प्रस्थापन स्वरूप नये वाहन क्रय किये जायेंगें तथा 01 वाहन पूर्णतः जल चुकी है एवं 01 वाहन अत्यन्त जीर्ण–क्षीर्ण अवस्था में असंचालित है। इस प्रकार कुल 26 वाहन प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहन क्रय किये जाने हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या 1 / 2015 / 403 / 18–2–15–125 (ल0अ0) / 2014, दिनांक 22.05.2015 के अनुसार प्रति वाहन अधिकतम रू 8.50 लाख की धनराशि निर्धारित की गयी है। इस प्रकार 26 वाहनों हेतु (26 x 8.50 = 221.00) रू 221.00 लाख का व्यय सम्भावित है।
आय–व्ययक वर्ष 2021–22 में 26 वाहन निष्प्रयोज्य / नीलामी की परिधि में हैं, जिनके प्रतिस्थापन हेतु **रू0 221.00 लाख** का व्यय अनुमानित है, जिसका बजट प्रावधान कराया जाना प्रस्तावित है।

वाहनों के फिटनेस चेक हेतु फिटनेस पिट की स्थापना

वर्ष 2013–14 में 15 संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों– वाराणसी, गाजियाबाद, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, बस्ती, उन्नाव, कानपुर देहात, रायबरेली, फिरोजाबाद, बागपत, इटावा, कन्नौज व सीतापुर तथा वर्ष 2014–15 में 09 संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों–महराजगंज, अम्बेडकरनगर, सिद्धार्थनगर, कौशाम्बी, बलरामपुर, हाथरस, औरैया, सुल्तानपुर व कुशीनगर एवं वर्ष 2015–16 में 10 संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों– देवीपाटन–गोण्डा, श्रावस्ती, संतकबीरनगर, प्रयागराज, महोबा, पीलीभीत, बलिया, मिर्जापुर, मथुरा एवं कासगंज में फिटनेस पिट के निर्माण कार्य की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

ड्राइविंग टेस्ट हेतु टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण

वर्ष 2013–14 में 07 संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों–लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, गोण्डा, सीतापुर व हरदोई तथा वर्ष 2014–15 में 21 संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों–महराजगंज, कुशीनगर, अम्बेडकरनगर, कौशाम्बी, बलरामपुर, फतेहपुर, कानपुर–देहात, सुल्तानपुर, बिजनौर, झॉसी, उरई, ललितपुर, अमेठी, अयोध्या, मऊ, इटावा, औरैया, कन्नौज, मथुरा, एटा व फिरोजाबाद में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण कार्य स्वीकृत किया जा चुका है।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की योजनाएँ:–

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की योजनाओं हेतु वर्ष 2020–21 में रू0 2000.00 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत है। इस योजना के अन्तर्गत परिवहन निगम के बस स्टेशनों, डिपो कार्यशाला आदि का निर्माण तथा बस बेड़ो में वृद्धि सम्बन्धी कार्य की देयता का निस्तारण किया जाता है। प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष दिनांक 30.11.2020 तक रू0 500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत की जा चुकी है, जिसे आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जा चुका है। इस प्रकार वर्तमान में रू0 1500.00 लाख अवशेष धनराशि के प्रस्ताव प्रेषण की कार्यवाही परिवहन निगम द्वारा किया जाना प्रक्रियाधीन है। कुल प्रावधानित धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष के अन्त किया जाना अनुमानित है। आय–व्ययक वर्ष 2021–22 हेतु निम्न योजनाओं में अंशपूॅजी विनियोजन कराया जाना प्रस्तावित है :–

(धनराशि रू लाख में)

क0 सं0	**विवरण**	**धनराशि**
1	विगत वर्षो में स्वीकृत चालू कार्यो की अवशेष धनराशि तथा शासन को प्रेष्य प्रस्तावों हेतु।	2332.77+1908.90= 4241.67
2	शासन की प्राथमिकता के अर्न्तगत मा0 मुख्यमंत्री धोषणा के कार्यो हेतु।	3000.00
3	मा0 जन–प्रतिनिधियों की मॉग पर बस स्टेशनों के नवनिर्माण/पुनर्निर्माण हेतु।	2000.00
	योग–	**9241.67**
4	परिवहन निगम के बस बेड़े के सुदृढ़ीकरण के अर्न्तगत 1300 बसों का क्रय।	39000.00
	कुल योग–	**48241.67**

आय–व्ययक वर्ष 2021–22 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की योजनाओं हेतु अंशपूॅजी विनियोजन के अन्तर्गत रू 48242.00 लाख का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया, जिसके सापेक्ष **रू 2000.00 लाख** का बजट स्वीकृत है।

अध्याय–15

विभागीय पदो की स्थिति

परिवहन आयुक्त संगठन हेतु स्वीकृत पदों की सूचीः–

विभिन्न वर्गो के पदों के पदनाम	कुल स्वीकृत पदों की संख्या	स्थायी	अस्थायी
1	2	3	4
श्रेणी–''क''			
1. परिवहन आयुक्त	01	01	–
2. विशेष सचिव, परिवहन, विभाग, उ0प्र0 सरकार और उ0प्र0 राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकारी	02	–	02
3. अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन)	01	01	–
4. वित्त नियंत्रक	01	01	–
5. अपर परिवहन आयुक्त (विभागीय)	04	02	02

विभिन्न वर्गो के पदों के पदनाम	कुल स्वीकृत पदों की संख्या	स्थायी	अस्थायी
1	2	3	4
6. उप परिवहन आयुक्त/समकक्ष	13	13	—
7. सम्भागीय परिवहन अधिकारी/ समकक्ष	44	34	10
8. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान)	63	63	—
योग श्रेणी ''क''	**129**	**115**	**14**
श्रेणी ''ख''			
1. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (साधारण वेंतनमान)	136	136	—
2. संख्याधिकारी	01	01	—
3. सहायक लेखाधिकारी	08	02	06
4. यात्रीकर/मालकर अधिकारी	120	120	—
5. सहायक अभियोजन अधिकारी (परिवहन)	06	06	—
6. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (मुख्यालय)	01	—	01
7. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (क्षेत्रीय कार्यालय)	04	—	04
8. प्रशासनिक अधिकारी (मुख्यालय)	09	09	—
9. प्रशासनिक अधिकारी (क्षेत्रीय कार्यालय)	06	06	—
10. अपर संख्याधिकारी	01	01	—
11. सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	124	124	—
12. वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1 (आशुलिपिक संवर्ग मुख्यालय)	02	02	—
13. वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1 (आशुलिपिक संवर्ग संभागीय शाखा)	08	08	—
योग श्रेणी ''ख''	**426**	**415**	**11**

विभिन्न वर्गो के पदों के पदनाम	कुल स्वीकृत पदों की संख्या	स्थायी	अस्थायी
1	2	3	4
श्रेणी ''ग''			
मुख्यालय स्तर पर			
1. सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	02	02	—
2. लेखाकार	05	05	
3. सहायक लेखाकार	03	03	
4. वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2 (आशुलिपिक संवर्ग मुख्यालय)	05	05	—
5. आशुलिपिक (मुख्यालय)	07	07	—
6. वरिष्ठ लेखा परीक्षक	04	04	—
7. लेखा परीक्षक	01	01	—
8. प्रधान सहायक (मुख्यालय)	28	28	—
9. वरिष्ठ सहायक (मुख्यालय)	18	18	—

विभिन्न वर्गो के पदों के पदनाम	कुल स्वीकृत पदों की संख्या	स्थायी	अस्थायी
1	2	3	4
श्रेणी ''ग''			
मुख्यालय स्तर पर			
10. कनिष्ठ सहायक (मुख्यालय)	33	33	–
11. कैशियर	01	01	–
12. ड्राफ्ट्स्मैन	01	01	–
मुख्यालय स्तर का कुल योग	**108**	**108**	**–**
क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर			
1. लेखाकार (प्रदेश स्तर)	61	61	–
2. सहायक लेखाकार (प्रदेश स्तर)	18	18	–
3. वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2 (आशुलिपिक संवर्ग संभागीय शाखा)	20	20	–
4. आशुलिपिक (संभागीय शाखा)	32	32	–
5. प्रधान सहायक (संभागीय शाखा)	147	147	–
6. वरिष्ठ सहायक (संभागीय शाखा)	435	435	–
7. कनिष्ठ सहायक (संभागीय शाखा)	370	370	–
8. उर्दू अनुवादक सह– कनिष्ठ सहायक	46	46	–
9. प्रवर्तन चालक	165	38	127
10. प्रवर्तन पर्यवेक्षक	128	53	75
11. प्रवर्तन सिपाही	737	291	446
क्षेत्रीय कार्यालय स्तर का योग	2159	1511	648
योग श्रेणी ''ग''	**2267**	**1619**	**648**

मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में श्रेणी ''घ'' के स्वीकृत पदों की सूची–

विभिन्न वर्गो के पदों के पदनाम	कुल स्वीकृत पदों की संख्या	स्थायी	अस्थायी
1	2	3	4
श्रेणी ''घ''	**मुख्यालय स्तर पर**		
1. कार्यालय जमादार	04	04	–
2. दफ्तरी	01	01	–
3. चपरासी	24	24	–
4. चौकीदार	02	02	–
5. माली	01	01	–
6. पानीवाला	01	01	–
7. फर्राश	01	01	–
8. सफाईकार	02	02	–
मुख्यालय स्तर का कुल योग	**36**	**36**	
क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर			
1. दफ्तरी	28	28	–
2. चपरासी/चौकीदार	443	443	–
3. सफाईकार	27	27	–
क्षेत्रीय कार्यालय स्तर का कुल योग	**498**	**498**	**–**
योग श्रेणी ''घ''	**534**	**534**	
महायोग (श्रेणी–क+ख+ग+घ)	**3356**	**2683**	**673**